C O N T E N T S

Fifteenth Series, Vol.XI, Fifth Session, 2010/1932 (Saka)
No.15, Friday, August 13, 2010/Sravana 22, 1932(Saka)

SUBJECT	PAGES
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
***Starred Question Nos.281to 283**	**3-42**
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	**43-577**
Starred Question Nos.284 to 300	**43-151**
Unstarred Question Nos. 3216 to 3445	**152-577**

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

PAPERS LAID ON THE TABLE **578-584**

BUSINESS OF THE HOUSE **585-587**

MOTION RE: NINETEENTH REPORT OF BUSINESS ADVISORY COMMITTEE **588**

SUBMISSION BY MEMBERS **589-618**

(i)Re : Reported news about 33 Indian soldiers missing from Leh-Ladakh **589-611**

(ii)Re : Reported non-grant of Central Government permission for renewal of seats of 3rd year BDS course of Dental Wing, SCB Dental College and Hospital, Cuttack. **616-618**

STATUTORY RESOLUTION RE: DISAPPROVAL OF INDIAN MEDICAL COUNCIL (AMENDMENT) ORDINANCE, 2010
AND
INDIAN MEDICAL COUNCIL (AMENDMENT) BILL, 2010 **621-641**

Motion to Consider **621**

Shri Ghulam Nabi Azad **621-623**

Shri Prabodh Panda **624-625**

Dr. Chinta Mohan **626-631**

Shri Shailendra Kumar **632-635**

Shri Vijay Bahadur Singh **636-639**

Shri Jagdish Sharma **640-641**

PRIVATE MEMBER'S BILLS- INTRODUCED **642-653**

(I)High Court of Tripura Bill, 2010

By Shri Khagen Das **642**

(II)Flood Control Bill, 2009

By ShriG.S. Basavaraj 642

(III)Sculptors, Artists and Artisans of Rural Areas Welfare Bill, 2009

By Dr. Sanjeev Ganesh Naik 643

(IV)Constitution (Amendment) Bill, 2010 (Insertion of new article 16A)

By Dr. Sanjeev Ganesh Naik 643

(V)Representation of the People (Amendment) Bill, 2010 (Insertion of new section 29AA)

By Shri Jai Prakash Agarwal 644

(VI) Constitution (Amendment) Bill, 2010 (Amendment of Eighth Schedule)

By Shri Jai Prakash Agarwal 644

(VII) Constitution (Amendment) Bill, 2010 (Substitution of new article for article 48A)

By Shri Jai Prakash Agarwal 645

(VIII) Constitution (Scheduled Castes) Order (Amendment) Bill , 2010 (Amendment of the Schedule)

By Dr. Raghuvansh Prasad Singh 645

(IX) Consumer Protection (Amendment) Bill, 2010 (Amendment of section 2, etc.)

By Shri Anandrao Vithoba Adsul 646

(X) Cinematograph (Amendment) Bill , 2010
(Amendment of section 2, etc.)

By Shri Anandrao Adsul 646

(XI)Constitution (Amendment) Bill, 2010
(Amendment of article 117, etc.)
By Shri Anandrao Adsul 647

(XII)Palliative Care (Education and Training) Bill, 2010

By Shri Om Prakash Yadav 647

(XIII) Constitution (Amendment) Bill, 2010
(Insertion of new article 45A)

By Shri Om Prakash Yadav 648

(XIV)Constitution (Amendment) Bill, 2010
(Insertion of new article 279A)

By Shri Om Prakash Yadav 648

(XV) Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee (Amendment) Bill, 2010
(Amendment of section 6)

By Shri Hansraj G. Ahir 649

(XVI) Displaced Farmers (Rehabilitation and other Facilities) Bill, 2010

By Shri Hansraj G. Ahir 649

(XVII) Anganwadi Workers (Regularisation of Service and other Benefits) Bill, 2010

By Shri Hansraj G. Ahir 650

(XVIII) Commission for Formation of the State of Vidarbha Bill , 2010

By Shri Hansraj G. Ahir 650

(XIX) Central Bureau of Investigation Bill, 2010

By Shri Manish Tewari 651

(XX) High Court at Calcutta (Establishment of a Permanent Bench at Murshidabad) Bill, 2010

By Shri Adhir Chowdhury 651

(XXI) Special Financial Assistance to the State of West Bengal Bill, 2010

By Shri Adhir Chowdhury 652

(XXII) Economically Weaker Class (Provision of Certain Facilities) Bill, 2010

By Shri Satpal Maharaj 652

(XXIII) Constitution (Amendment) Bill, 2010 (Amendment of Eighth Schedule)

By Shri Satpal Maharaj 653

(XXIV) Representation of the People (Amendment) Bill, 2010 (Insertion of new section 32A, etc.)

By Smt. Maneka Gandhi 653

COMPULSORY VOTING BILL, 2009 654-669

Motion to Consider 654

Shri M. Veerappa Moily 654-666

Shri Jai Prakash Agarwal 667-669

CHILD WELFARE BILL, 2009 **670-697**

Motion to Consider **670**

Shri Adhir Chowdhury **670-681**

Shri Hukmadeo Narayan Yadav **682-690**

Shri Shailendra Kumar **691-696**

Shri Gorakhnath Pandey **697**

ANNEXURE – I **698-704**

Member-wise Index to Starred Questions 698

Member-wise Index to Unstarred Questions 699-704

ANNEXURE – II **705-706**

Ministry-wise Index to Starred Questions 705

Ministry-wise Index to Unstarred Questions 706

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shrimati Meira Kumar

THE DEPUTY SPEAKER

Shri Karia Munda

PANEL OF CHAIRMEN

Shri Basu Deb Acharia

Shri P.C. Chacko

Shrimati Sumitra Mahajan

Shri Inder Singh Namdhari

Shri Francisco Cosme Sardinha

Shri Arjun Charan Sethi

Dr. Raghuvansh Prasad Singh

Dr. M. Thambidurai

Shri Beni Prasad Verma

Dr. Girija Vyas

SECRETARY GENERAL

Shri P.D.T. Achary

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Friday, August 13, 2010/Sravana 22, 1932(Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[MADAM SPEAKER in the Chair]

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न-काल। प्रश्न सं. 281, श्री भूपेन्द्र सिंह।

...(व्यवधान)

श्री रामकिशुन (चन्दौली): अध्यक्ष महोदया, ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : रामकिशुन जी, आप बैठ जाइए। शून्य-काल में आपको बोलने का समय देंगे। आपका जो भी विषय है, उसे आप शून्य-काल में उठाएं। अभी आप बैठ जाइए और प्रश्न-काल को चलने दीजिए।

...(व्यवधान)

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर): अध्यक्ष महोदया, ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : योगी आदित्यनाथ जी, आप भी कृपया बैठ जाइए। आपको शून्य-काल में बोलने के लिए समय दिया जाएगा। आप कृपया बैठिए और प्रश्न-काल को चलने दीजिए।

...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी): अध्यक्ष महोदया, ...(व्यवधान) ट्रेनों में लूट हो रही है। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : ठीक है। मुलायम सिंह जी, आपको शून्य-काल में बोलने देंगे। आप कृपया अभी बैठ जाएं। हम आपको शून्य-काल में बोलने का अवसर देंगे।

...(व्यवधान)

(Q. No.281)

MADAM SPEAKER : Shri Bhupendra Singh, Q. No.281.

श्री भूपेन्द्र सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदया, हमारे देश में लगभग 6 लाख डॉक्टरों, 10 लाख नर्सों और 2 लाख डेंटल डॉक्टरों की कमी है। माननीय मंत्री जी, एम.सी.आई. में पूर्व में क्या होता रहा है, वह सब आपकी और सदन की जानकारी में है। एम.सी.आई. में सुधार हो, देश में मैडीकल कॉलेजज खुलें, यह सरकार की प्राथमिकता है और देश की जनता की आवश्यकता भी है।

महोदया, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि " प्रस्तावित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मानव संसाधन परिषद् चिकित्सा, दंत चिकित्सा, उपचर्या, फार्मेसी और पराचिकित्सा क्षेत्र के सभी पहलुओं का समन्वय करेगी। इसमें वरिष्ठ व्यावसायिक और विशेषज्ञ शामिल होंगे जिनका चयन/नामांकन अत्यन्त कड़े मानक द्वारा किया जाएगा। " मेरा माननीय मंत्री जी से प्रश्न है कि यह आपने जो प्रस्तावित किया है, इसे आप कब से लागू करने जा रहे हैं ?

महोदया, इसी के साथ जुड़ा हुआ मेरा दूसरा प्रश्न है कि ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : कृपया एक बार में एक ही प्रश्न पूछिए।

श्री भूपेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदया, इसी के साथ जुड़ा हुआ यह दूसरा प्रश्न है कि जो हमारे ग्रामीण, नक्सली, पहाड़ी और पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, वहां पर मैडीकल कॉलेजेज खुलें, इस बारे में भी क्या सरकार किसी नीति पर विचार कर रही है या जो आपने नीति बनाई है उसमें आप इसे भी समायोजित करेंगे?

श्री गुलाम नबी आजाद : मैडम, माननीय सदस्य के प्रश्न के दो भाग हैं- ए और बी। एक तो यह कि मैडीकल काउंसिल, डैंटल काउंसिल, नर्सिंग काउंसिल और फार्मेसी के लिए क्या कोई इस तरह की बॉडी बनाई जा सकती है, जिससे ये सभी चीजें ठीक हो सकें। मैं बताना चाहता हूं कि पिछली साल जब हमारी सरकार सत्ता में आई, तो राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में कैबीनेट की तरफ से यह प्रस्ताव कराया गया कि एक ओवरआर्चिंग बॉडी हो। अभी एम.सी.आई. की एक अलग रैगुलेटरी बॉडी है। डेंटल, नर्सिंग और फार्मेसी की अलग-अलग रैगुलेट्री बॉडीज हैं। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में था कि एक ओवरआर्चिंग बॉडी नैशनल स्तर पर बनेगी और वही सब कुछ करेगी। उसी की देख-रेख में सारा कुछ होगा। उसी की देख-रेख में सिलेबस भी बनेगा, इंस्पैक्शन भी होगा और परमीशन भी ग्रांट की जाएगी। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के तुरन्त बाद, सैक्रेट्री, हैल्थ की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स बनी। उसमें मिनिस्ट्री के बाहर से लोग, जो इन विषयों के एक्सपर्ट्स हैं, उन्हें लिया गया। तीन महीने के अंदर टास्क फोर्स ने अपनी रिपोर्ट दी।

वह रिपोर्ट और बिल बनाकर तमाम राज्य सरकारों को भेजा गया और मुझे खुशी है कि 14 राज्यों ने, जो सब तरफ के थे, साउथ के भी, नोर्थ के भी, वेस्ट के भी, ईस्ट के भी और सैण्ट्रल इंडिया के भी, ऐसा नहीं कि किसी एक रीजन के राज्य थे, सभी तरफ के राज्यों ने उसमें अपनी रिकमेण्डेशंस भेजीं। अब उन रिकमेण्डेशंस को एकोमोडेट करने के लिए हमें दोबारा टास्क फोर्स गठित करनी पड़ी, इसमें जो स्टेट गवर्नमेंट्स की रिकमेण्डेशंस हैं, उनको उसमें एकोमोडेट किया जाये तो यह जो नई टास्क फोर्स बनी, इस टास्क फोर्स ने स्टेट गवर्नमेंट्स की रिकमेण्डेशंस को भी एकोमोडेट किया और उसके साथ-साथ पूरे देश के पांच रीजंस में रीजनल मीटिंग्स हुईं, जिनमें फिर से स्टेट गवर्नमेंट्स के रिप्रेजेण्टेटिव्ज़ भी बुलाये गये, यूनिवर्सिटीज़ के, कालेजेज़ के रिप्रेजेण्टेटिव्ज़ बुलाये गये, इस मामले में बाकी जो विशेषज्ञ हैं, उनको बुलाया गया और उन्होंने जो रिकमेण्डेशंस दीं, अब हमारी रिकमेण्डेशंस तकरीबन-तकरीबन तैयार हैं, बिल तैयार है कि एक ओवर आर्चिंग बॉडी बनेगी। इसके तीन भाग होंगे, जो अलग-अलग चीजों को देखेंगे। इसमें एक भाग होगा, जो खाली एक्रेडेशन देखेगा, एक दूसरा भाग होगा, जो सलेबस और बाकी फैकल्टी को देखेगा। तीसरा भाग होगा, जो रिकगनीशन वगैरह को देखेगा। यह फाइनल स्टेज में इस वक्त है।

जहां तक दूसरे भाग का सवाल है कि देहातों में बड़ी दिक्कत आती है, डॉक्टर्स बढ़ाने की बहुत कोशिश की जा रही है, उसका अगर जवाब नहीं आयेगा तो शायद मैं उसके लिए रुकूंगा, वरना वह बहुत लम्बा जवाब है। ज्यादा डॉक्टर्स पैदा हो जायें, उसके लिए हमने पूरी कंट्री को अलग-अलग भागों में बांटा है। खासकर उन क्षेत्रों में, जिनमें कोई कालेजेज़ नहीं होते थे। अभी तक जो प्राइवेट कालेजेज़ हैं, तकरीबन 80 प्रतिशत जो कालेज हैं, वे देश में दक्षिण के या वैस्ट के पांच या छः राज्यों में हैं। नोर्थ इंडिया, सैण्ट्रल इंडिया या ईस्टर्न इंडिया में नहीं आते हैं, इसलिए हमने बहुत छूट दी है।

जमीन जो पहले 25 एकड़ होनी चाहिए थी, उसको 20 एकड़ किया है और वह 20 एकड़ भी, पहले 25 एकड़ जमीन का एक ही पीस होना चाहिए था, अब इन राज्यों में, जहां कालेजेज़ नहीं हैं, वह 20 एकड़ दो हिस्सों में होनी चाहिए। मैट्रोपोलिटन सिटीज़ में, मुम्बई, कोलकाता, दिल्ली, कानपुर, नागपुर जैसी बड़ी जगहों में 20 एकड़ जमीन मिलना भी असम्भव है, इसलिए वहां हमने सिर्फ 10 एकड़ जमीन रखी है। इसी तरह से बहुत सारे साइज़ जो होंगे, जो लैबोरेट्रीज़ होंगी, वे कम होंगी। ये तमाम चीजें हमने पिछले एक-डेढ़ साल में की हैं, जिससे स्पेशलिस्ट्स, सुपर स्पेशलिस्ट्स और एम.बी.बी.एस. डॉक्टर्स ज्यादा से ज्यादा पैदा हो जायें।

अध्यक्ष महोदया : दूसरा पूरक प्रश्न पूछिये और एक ही पूछिये।

श्री भूपेन्द्र सिंह : माननीय अध्यक्षा जी, माननीय मंत्री जी ने जैसा कहा कि जो हमारे नक्सली क्षेत्र हैं, पिछड़े क्षेत्र हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं, यहां पर मैडीकल कालेज खुलें, नर्सिंग कालेज खुले, इसके लिए आप नियमों में कुछ छूट दे रहे हैं। मेरा आपसे यह कहना है कि आप प्राइवेट सैक्टर के लिए ये सारी सुविधाएं दे देंगे। मेरा प्रश्न यह है कि सरकार अपने स्तर पर कितने नये मैडीकल कालेज, कितने नये नर्सिंग कालेज खोलने का प्रावधान कर रही है या विचार कर रही है? इसके साथ-साथ जो हमारा बुन्देलखण्ड का पिछड़ा हुआ सागर लोक सभा क्षेत्र है, जहां से मैं चुनकर आता हूं, हमारे प्रदेश के अन्दर नर्सिंग कालेजेज़ की बहुत कमी है। क्या हमारे सागर में, जो बुन्देलखण्ड का मुख्यालय है, क्या आप नर्सिंग कालेज खोलने पर सरकार विचार करेगी?

श्री गुलाम नबी आज़ाद: मैडम, ऑनरेबिल मैम्बर ने पूछा कि आपने प्राइवेट मेडीकल कालेज खोलने वालों को बड़ी छूट दी है और उनको बहुत सुविधाएं दी हैं, इन एरियाज़ में जहां मैडीकल कालेज नहीं हैं। यह सिर्फ प्राइवेट मैडीकल कालेजेज़ के लिए नहीं है, इन एरियाज़ में हैं, इन क्षेत्रों में अगर सरकारी मैडीकल कालेज वाले, उसको स्टेट वाले खोलेंगे तो उनको भी यही सुविधाएं मिलेंगी। जहां तक मैडीकल कालेज खोलने का, मैडीकल कालेज न खोलने का प्रश्न पैदा होता है, यह केन्द्रीय सरकार नहीं खोलती है, यह राज्य सरकार खोलती है।

अलबत्ता हमारे जो 6 ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट्स इस वक्त बन रहे हैं, उनमें 6 मेडिकल कालेजेज और नर्सिंग कालेजेज भी होंगे। गर्वनमेंट आफ इंडिया की तरफ ये 6 मेडिकल कालेजेज होंगे। मुझे यह कहते हुए खुशी होती है कि ये सभी अगले साल चालू हो जाएंगे। उनके काम बड़ी तेजी से चल रहे हैं। जहां तक नर्सिंग ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप चेयर को एड्रेस कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री गुलाम नबी आज़ाद : जहां तक नर्सिंग स्कूल्स की कमी के बारे में और एएनएम के बारे में आपने कहा, यह कहते हुए मुझे खुशी होती है कि इस साल हमने डेढ़ सौ के करीब नर्सिंग स्कूल्स और एएनएम स्कूल्स सैंक्शन किए। वे नर्सिंग स्कूल्स बगैर किसी सिफारिश के अलग-अलग राज्यों में सैंक्शन किए। हमारे देश में डेढ़ सौ डिस्ट्रिक्ट्स थे, जिनमें न ही कोई प्राइवेट नर्सिंग स्कूल था और न ही कोई गवर्नमेंट का नर्सिंग स्कूल था। हमने गवर्नमेंट आफ इंडिया की तरफ से वहां डेढ़ सौ स्कूल्स खोले, जिसकी वजह से अगले

साल से देश के हर एक डिस्ट्रिक्ट में कोई न कोई नर्सिंग स्कूल, चाहे केंद्र का या स्टेट का या प्राइवेट हो, नर्सिंग स्कूल होगा। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : श्री किसनभाई वी. पटेल, आप प्रश्न पूछिए।

...(व्यवधान)

श्री किसनभाई वी.पटेल : महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि एमसीआई के पूर्व अध्यक्ष के समय में कितने सरकारी कालेजों को स्वीकृति दी गयी? कौन-कौन से कालेज हैं, उनके नाम क्या हैं और अगर उनकी जांच हो रही है, तो उसकी रिपोर्ट क्या है?

श्री गुलाम नबी आज़ाद : मैडम, यह सब जवाब में ही दिया हुआ है, लेकिन मैं फिर भी जवाब देना चाहूंगा। मेडिकल काउंसिल ने हमें 88 केस इस साल भेजे थे जो रिन्युअल ऑफ कालेजेज के लिए थे। इसमें से उन्होंने 41 पोजीटिव करके भेजे थे। गवर्नमेंट आफ इंडिया को मेडिकल काउंसिल की रिकमंडेशन के अनुसार ही अनुमति देनी होती है। उन्होंने 88 कालेजेज में से 41 के लिए गवर्नमेंट को रिकमेंड किया था कि इनको अनुमति दी जाए और 45 के बारे में कहा था कि इनको अनुमति नहीं दी जाएगी, जबकि दो केसेज के बारे में उन्होंने कोई विशेष रिकमंडेशन नहीं की थी। इस बीच में जब यह घटना हुयी, तब हमने सभी 88 के 88 केस, जो नया बोर्ड आफ गवर्नर बना था, उनको भेज दिए। उन्होंने इन 88 में से जो पहले के 41 केस थे, जो उन्होंने पोजीटिव भेजे थे, बोर्ड ने उनमें से 36 को ठीक पाया, जबकि पांच को ठीक नहीं पाया। जो 45 एमसीआई ने पहले निगेटिव रिकमेंड करके भेजे थे, उनमें नये बोर्ड ने 28 को पोजीटिव किया और 17 को निगेटिव किया। इस बारे में यह रिपोर्ट है। यह तो आज की बात है। जहां तक पिछले साल का सवाल है, ऊपर न्यू रिन्युअल के बारे में था, अब रिकग्नेशन के बारे में आपको बताता हूं। पिछले साल 20 को टोटल रिकग्नेशन दिया गया। इनमें से 17 रिकग्नाइज हो गए और तीन को गवर्नमेंट आफ इंडिया ने बोर्ड आफ डायरेक्टर्स को वापस भेज दिया, जिनको उन्होंने अभी वापस नहीं भेजा। 17 रिकग्नेशन उनके वक्त में हुए, उसमें हमें किसी की भी शिकायत नहीं मिली कि उनको गलत रिकमेंड किया गया।

श्री शैलेन्द्र कुमार : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे प्रश्न पूछने का अवसर दिया। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद एवं मेडिकल कालेज को मान्यता देने के विषय से संबंधित मेरा प्रश्न है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या माननीय मंत्री जी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और पिछड़े

वर्ग के जो छात्र हैं, उनके प्रवेश और न्यूनतम शुल्क पर वहां उनकी पढ़ाई की व्यवस्था करायेंगे और क्या यह शर्त उनके लिए वहां लागू करेंगे? यदि ये सब मेडिकल कालेजेज यह शर्त लागू नहीं करते, तो उनको मान्यता न दें, क्या वह ऐसा प्रावधान करेंगे?

SHRI GHULAM NABI AZAD: It is a well intended, good suggestion that will be taken into account.

DR. TARUN MANDAL : Doctors have practically become very scarce in the Government sector. Mainly they are self-employed and are working in the private sector. Already the country is having a doctor-population ratio of nearly 1:1000. As such by statutes there is no difference between the recognition criteria of Government and private medical colleges. But some set of recommendations adopted by the earlier MCI of late reducing the land ceiling for building a medical college and downgrading the professor teacher-student ratio both for undergraduate and postgraduate studies will help private medical colleges to flourish with exorbitant educational expenses and will certainly lower the standard of medical teaching and training in the country. In the name of reforms, more stricter regulations and transparency and further improvement of medical education and training, the dissolution of an autonomous body like MCI in a most subtle way and approving some Board members arbitrarily setting aside all democratic norms and side by side allowing three and a half year short medical course for rural population only can neither increase the credibility of MCI nor improve the standard of medical and dental education in India. It will shatter public health services.

I would like to ask the hon. Minister that while the Government's general policy in almost all fields is for decentralization and supervisory control of any sort of activities, for what obvious reasons and benefits the Government is keen to abolish all separate councils in favour of a central control either by the proposed National Council of Human Resources in health or under a sub-committee of National Commission for Higher Education and Research.

MADAM SPEAKER: Hon. Minister, before you answer, I would like to make a request and an observation. I request the hon. Members to put pointed, short, crisp and only one question in a supplementary, so that more number of starred questions can be taken up during the Question Hour.

SHRI GHULAM NABI AZAD: Madam, I think your observations and directions are totally correct and I agree with you because if you put so many questions at a time, it is very difficult to connect.

I can only say that as hon. Members know as the first question was asked, we have acute shortage of doctors, specialists and super-specialists. Then we wanted to study as to what is the student-teacher ratio in other parts of the world which is comparable to our standard. We came to know that in other parts of the world, particularly European countries - because our medical education can be compared with the United States, Britain and the most advanced medical education of some of the European countries - the student-teacher ratio is 2:1, even 3:1. In our country so far, the student-teacher ratio at the postgraduate level was 1:1. It is because of this reason, because the student-teacher ratio at the level of postgraduate, specialist and super-specialist studies was only 1:1, we were not able to produce more postgraduates. So, by changing the norms from teacher-student ratio to 1:2, in one jump, this year alone we have increased the number of seats by 4000 in postgraduate level. In postgraduate level we need two things. Firstly, it is these postgraduates who become specialists.

It is these post-graduates who go for super-specialisation. It is these post-graduates who become the faculty of medical colleges. At the moment, we are also having acute shortage of faculty members in the medical colleges. Most of the medical colleges are rejected by the Medical Council or Board of Directors because of inadequacy of faculty and not because of inadequacy of infrastructure. Any rich man can create infrastructure; no rich man or big man can create overnight the faculty. So, these post-graduates can become the faculty members at the level of Lecturer and over a period of time, they will become Associate

Professor and Professor. So, to overcome the shortage of the faculty members for the medical colleges and to overcome the shortage of specialists and super-specialists, we had to do it. It is not that only we are doing it; most of the countries are doing this.

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न संख्या -282।

...(व्यवधान)

श्री संजय निरुपम : अध्यक्ष महोदया, पहला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए मैं भी एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। ...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: We have moved on to the next Question.

... (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: I have moved on to No. 282.

... (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: We have moved on. Let us not start the practice of going back to the previous Question.

... (*Interruptions*)

श्री संजय निरुपम : अध्यक्ष महोदया, मेरा एक छोटा सा सवाल है। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अहीर जी, आप अपना पहला पूरक प्रश्न पूछिये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : संजय जी, आप बैठ जाइये। अगर हम हर सवाल के बाद पिछले सवाल में चले जायेंगे, तो मुश्किल हो जायेगी। एक सवाल पर 22 मिनट हो चुके हैं, इसलिए अब अगला प्रश्न चलने दीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम प्रश्न काल कैसे चलायेंगे?

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record except what Shri Ahir speaks.

(Interruptions) ... *

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइये। अहीर जी, आप अपना पूरक प्रश्न पूछिये।

...(व्यवधान)

* Not recorded.

(Q. No.282)

श्री हंसराज गं. अहीर : अध्यक्ष महोदया, मेरे प्रश्न के जवाब में मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि जल विद्युत क्षमता अभिवृद्धि में कमी है। नवीकरण एवं आधुनिकीकरण की स्कीमों में भी कुछ खास बढ़ोतरी नहीं हुई है। मंत्री जी ने नदियों के इस देश में करीब-करीब 1 लाख 48 हजार मेगावाट बिजली बनाने की क्षमता बतायी है। मैं कहना चाहता हूं कि अभी तक हमारे देश में सिर्फ 32 हजार मेगावाट बिजली जल विद्युत के रूप में बनती है। हम केवल 22 प्रतिशत बिजली ही बना पाये हैं। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि सरकार ने जल विद्युत की जो नयी नीति बनायी है, उसके अन्तर्गत अल्ट्रा मेगा पावर सिस्टम की तर्ज पर क्या आप पनबिजली बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं, तो क्या आपको उसमें कोई विशेष सफलता मिली है?

मैं आपसे यह भी पूछना चाहता हूं कि ऐसे कितने मेगा प्रौजेक्ट्स आपने हाथ में लिये हैं? ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अहीर जी, आप इतने सारे सवाल मत पूछिये। अभी हमने कहा कि सिर्फ एक सवाल पूछिये।

हमने अभी बताया कि माननीय सदस्य केवल एक ही प्रश्न पूछे और वह भी संक्षिप्त हो। आप अपना प्रश्न पूछिये।

श्री हंसराज गं. अहीर : अध्यक्ष महोदया, मैं बहुत संक्षिप्त प्रश्न पूछ रहा हूं। राज्य सरकारों ने ऐसे मेगा प्रौजेक्ट्स के लिए कितने प्रस्ताव आपके पास भेजे हैं? अगर किसी राज्य सरकार ने प्रस्ताव भेजा है, तो आप उसके बारे में बतायें।?

श्री भरतसिंह सोलंकी : अध्यक्ष महोदया, सम्मानित सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि बताया कि हाइड्रो पावर डेवलप करने में हमेशा काफी दिक्कतें इसलिए आती हैं, क्योंकि डिफिक्लट एसेंशियल पोटेंशियल होता है, रिसैंटलमैंट और रिहैबिलिटेशन की प्रौब्लम होती है। जियोलॉजिकल सरप्राइज, कांट्रलेक्चुएल प्रौब्लम्स वगैरह की वजह से ऐसा होता है। अभी हाइड्रो में अल्ट्रा मेगा पावर प्रौजेक्ट कोई आया नहीं है।

जैसा कि माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि कितने प्रोजैक्ट्स आए हैं, तो मैं बताना चाहूंगा कि सेन्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, जो परमीशन देती है डैम सेफ्टी और ऑप्टिमम यूजेज ऑफ रिर्सोसेज को देखकर, कभी अगर वह स्टेट टू स्टेट होता है, तो वाटर रिर्सोसेज मिनिस्ट्री और सेन्ट्रल वाटर कमीशन मिलकर

करते हैं। अब तक उन्होंने 9660 मेगावाट के 13 प्रोजेक्ट्स को कनकरेन्स दी है, 4633 मेगावाट के 12 प्रोजेक्ट्स अंडर-एग्जामिनेशन हैं।

MADAM SPEAKER: Let us have order in the House.

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Hon. Member, why are you standing?

… (*Interruptions*)

SHRI A. GANESHAMURTHI : Madam, we are not getting the interpretation in English. Hence, we are not able to understand anything. … (*Interruptions*)

SHRI T.R. BAALU : We are also not getting the interpretation. … (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: I will just see to it.

… (*Interruptions*)

श्री भरतसिंह सोलंकी: महोदया, 9660 मेगावाट के 13 प्रोजेक्ट्स को कनकरेन्स दी है, 4633 मेगावाट के 12 प्रोजेक्ट्स अंडर-एग्जामिनेशन हैं और ऐसे प्रोजेक्ट्स जिनको प्रोजेक्ट अथॉरिटीज के पास कंप्लायंस के लिए भेजा गया है, उनकी संख्या 23 जो 7634 मेगावाट के हैं और अंडर सर्वे एंड इनवेस्टीगेशन प्रोजेक्ट्स को मिलाकर कुल 113 प्रोजेक्ट्स 41984 मेगावाट के हैं।

श्री हंसराज गं. अहीर : क्या राज्य सरकारों से प्रस्ताव आए या नहीं, उसका जवाब मंत्री जी ने दिया नहीं है। मैंने अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछा, उसके बारे में जवाब नहीं दिया है। राज्य सरकारों से प्रस्ताव आए या नहीं, अगर उसको बताते तो मैं आपसे पूछता कि क्या ऐसी राज्य सरकारों को जल विद्युत प्रकल्पों के लिए प्रोत्साहित करने के लिए आपने कोई धनराशि या अनुदान देने की कोई नीति बनाई है?...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप केवल एक ही प्रश्न पूछिए।

श्री हंसराज गं. अहीर : ये बातें मैंने अपने पहले में पूछी थीं, इनका जवाब नहीं दिया गया। इसलिए मैंने उसको रिपीट किया है।

जल विद्युत प्रदूषण मुक्त होती है, अच्छी बिजली है। मैं यह पूछना चाहूंगा कि क्या हमारे ऐसे कोई प्रोजेक्ट्स हैं, जो पर्यावरण मंत्रालय में लंबित हैं या पर्यावरण मंत्रालय से नकारे गए हैं, उनको मान्यता नहीं दी जा रही है?

श्री भरतसिंह सोलंकी: महोदया, माननीय सदस्य ने पूछा है कि कोई अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट...(व्यवधान)

SHRI T.R. BAALU : Madam, we are not getting it even now.

MADAM SPEAKER: I am getting it checked.

… (*Interruptions*)

SHRI T.R. BAALU : We are not getting the interpretation. What is the use of having it? … (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: It is a technical problem, and I am having it checked.

… (*Interruptions*)

SHRI T.R. BAALU : We are not getting it. Otherwise, what is the use of sitting over here? … (*Interruptions*) No, we do not want to sit here without having the English translation. There should be a translator to translate it into English. … (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: I am having it checked.

… (*Interruptions*)

SHRI T.R. BAALU : What is the use of it? Otherwise, suspend the Question Hour for some time or adjourn the Question Hour for some time. We cannot just sit here like dumb. … (*Interruptions*)

Madam, we are walking out. We have to walk out. We cannot sit here without translation. We have to hear the English translation to understand the answer.

THE MINISTER OF POWER (SHRI SUSHILKUMAR SHINDE): Mr. Solanki, you speak in English.

MADAM SPEAKER: Wait, the Minister is speaking in English.

… (*Interruptions*)

SHRI T.R. BAALU : Madam Speaker, we are walking out.

SHRI BHARATSINH SOLANKI : Sir, I am speaking in English. … (*Interruptions*) I will answer in both the languages. … (*Interruptions*) मैं पहले आपको हिन्दी में जवाब दूंगा, उसके बाद इंग्लिश में भी जवाब दूंगा।...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 1145 hours.

11.30 hrs

The Lok Sabha then adjourned till
Forty-Five Minutes past Eleven of the Clock.

_____

11.45 hrs.

The Lok Sabha reassembled at Forty Minutes past Eleven of the Clock

(Madam Speaker *in the Chair)*

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS (Contd.)

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: माननीय सदस्य बैठ जाएं और प्रश्न काल चलाने दें।

...(व्यवधान)

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): Madam, I would like to submit … (*Interruptions*) What is this? Till the other day you were the Cabinet Minister, Dr. Raghuvansh Prasad Singh? … (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: I want to apologize because I think there was some technical fault in the English translation, and some Members were feeling inconvenienced. I am told that it has been corrected. Now, we may continue with the Question Hour. Hon. Minister may continue his reply.

...(व्यवधान)

श्री भरतसिंह सोलंकी : मैं आपका जवाब हिन्दी में दे रहा हूं।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: मंत्री जी हिन्दी में बोल रहे हैं, अब तो बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

श्री भरतसिंह सोलंकी: मैं हिन्दी में बोल रहा हूं। अध्यक्ष महोदया, जैसा कि माननीय सदस्य ने पूछा को कोई अल्ट्रा पावर प्रोजेक्ट के प्रस्ताव भारत सरकार के पास आए हैं...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : सदन के नेता कुछ कहें, उससे पहले मैं कुछ कहना चाहता हूं। यह कोई मामूली घटना नहीं है। कोई सदस्य तमिल में बोले, तेलुगू में बोले, मलयाली में बोले, कन्नड़ में बोले, बंगाली में बोले या उर्दू में बोले, हमें खुशी है, लेकिन यह क्या तरीका है...(व्यवधान) यह सही नहीं है।

SHRI VIJAY BAHADUR SINGH: He should apologize. … (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया: अब तो हो गया, अब जाने दें और प्रश्न काल चलने दें।

...(व्यवधान)

SHRI T.R. BAALU (SRIPERUMBUDUR): Madam, hon. Mulayam Singh Yadav was correct in saying that if anybody is not getting the translation in the language in which a particular Member feels convenient to listen, it is okay. If there is a Tamil translation, then there is no problem. If you arrange for Tamil translation, we will definitely welcome it. Till such time the Tamil translation is arranged, there is no option for us but to hear the English translation. We are not against any language, whether it is English, Hindi, Malayalam or any other language. But the Member should know that particular language in which he or she can put the question and hear the answer. If the Speaker arranges to provide for Tamil translation, definitely we welcome it. … (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप रहने दीजिए, आप बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

श्री गोपीनाथ मुंडे : अध्यक्ष महोदया, हिंदी राष्ट्र भाषा है और उसका सम्मान होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदया : माननीय मंत्री जी हिंदी में ही बोल रहे हैं, अब प्रश्नकाल चलने दीजिए।

...(व्यवधान)

श्री गोपीनाथ मुंडे : उसका सम्मान आपको और सदन को भी रखना चाहिए। ...(व्यवधान)

सभी भाषाएं बराबर नहीं हैं, हिंदी राष्ट्रभाषा है। ऐसा दर्जा किसी और भाषा को नहीं हो सकता है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयाः ठीक बात है, हिन्दी राष्ट्रभाषा है।

श्री शैलेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदया, भोजपुरी को संविधान की आठवीं अनुसूची में आना चाहिए...(व्यवधान)

श्री भरतसिंह सोलंकी: अध्यक्ष महोदया, सम्मानित सदस्य ने जो पूछा है कि अल्ट्रा-मेगा-पावर-प्लांट की कोई प्रपोजल क्या किसी राज्य से आई है? मेरा कहना है कि टास्क फोर्स ऑन हाइड्रो-पावर-प्रोजैक्ट की जो स्टेंडिंग कमेटी बनी है, वह मई 2007 में भी मिली और 13 अप्रैल 2010 में राज्यों को रिक्वैस्ट की गयी कि उन्हें यह अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट भेजना है। दूसरा सवाल यह था कि एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लीयरेंस के लिए क्या कोई प्रपोजल पेंडिंग है? जी हैं, 13 प्रपोजल्स हैं जो फॉरेस्ट क्लीयरेंस के हिसाब से पेंडिंग हैं और 14 प्रपोजल्स एनवायरनमेंट क्लीयरेंस की वजह से पेंडिंग हैं?

श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी : अध्यक्ष महोदया जी, आज किसी तरह से बोलने का मौका मिल गया। हिंदी में बोलना ठीक रहेगा ना?

अध्यक्ष महोदया : हिंदी में बोलिये।

श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी : हमारा सीधा सवाल एनएसजी सिक्योरिटी के ऊपर है। सिक्योरिटी और रीज़नल कोऑपरेशन सार्क कंट्रीज का है, जैसे नेपाल है, भूटान है। नेपाल की नदियों की वजह से हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ भागों में बाढ़ भी आती है। नेपाल से आने वाली नदियों की वजह से पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक बड़ा भाग बाढ़ से प्रभावित होता है और जान-माल की काफी क्षति होती है। नेपाल में पड़ने वाले पंचेश्वर, करनाली और राप्ती पर बांध और विद्युत परियोजनाएं प्रस्तावित हैं। क्या इनकी प्राथमिकता सरकार करवा रही है और अगर करवा रही है तो कब तक इन पर कार्य शुरु हो जाएगा, जिससे आम लोगों को इनका फायदा मिले।

श्री भरतसिंह सोलंकी: अध्यक्ष महोदया, सम्मानित सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है वह मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जोकि नेपाल, भूटान और सभी पड़ोसी राष्ट्रों के साथ अपनी नीति तय करके, उसके क्या इम्प्लीकेशन्स होंगे, वह तय करता है। इसलिए यह सवाल मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप जवाब सुन लीजिए, मंत्री जी जवाब दे रहे हैं।

श्री सुशीलकुमार शिंदे: माननीय महोदया, जब नेपाल के प्रधान मंत्री जी यहां आये थे तभी शिष्ट मंडल के साथ, पंचेश्वर और करनाली के बारे में भी बातचीत हो गयी थी। हमने उनसे विनती की है कि जल्दी से जल्दी इस प्रोजैक्ट के बारे में विचार होना चाहिए। भारत सरकार ये प्रोजैक्ट्स करने के लिए तैयार है, यह भी हमने नेपाल के प्रधान मंत्री जी को बता दिया है।

SHRI SANJOY TAKAM : Hon. Speaker, in Tibet Autonomous Region of People's Republic of China a big dam is being constructed over the Tsangpo river. After the commissioning of that particular project on the Tsangpo river, it is anticipated that there would be an environmental and socioeconomic disaster in the North-East region. I would like to ask the hon. Minister of Power whether they have taken up the issue of construction of the dam over the Tsangpo River with the Chinese Government, and whether the Chinese Government is planning to divert the entire river to irrigate their desert areas.

SHRI SUSHIL KUMAR SHINDE: Madam Speaker, we are very careful in watching the situation with our neighbouring countries who are constructing dams or any roads. This refers to our security also. So, we are aware of it. But so far we have no information on this.

SHRI M.B. RAJESH : Madam Speaker, the State of Kerala is all set to achieve total household electrification in the near future. This will naturally create more demand for electricity. It is evident from the answers given by the hon. Minister that Kerala is having a huge untapped potential of hydro power. The Government of Kerala has submitted proposals of two hydro projects – 163 MW Athirappilli and 210 MW Pooyamkutty. I would like to know from the Minister whether he will give an assurance to the House that these two projects will be given approval in the near future.

श्री भरतसिंह सोलंकी: अध्यक्ष महोदया, हाइड्रो-पावर-पॉलिसी में पर्मिशन देने के लिए 500 करोड़ रुपये ज्यादा प्रोजैक्ट की लागत आती है, उसमें सेंट्रल इलैक्ट्रिसिटी अथॉरिटी की डैम-सेफ्टी और ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, इन दो पर्मिशनों के बाद कंकरेंस दी जाती है। बाकी स्टेट्स अपनी जो भी रिक्वायरमेंट है, उसे बताकर उस प्रोजैक्ट को लगा सकते हैं।

(Q. No. 283)

SHRI RAVNEET SINGH : Madam Speaker, the Integrated Housing and Slum Development Programme provides for construction of houses for those living in slums and provisioning of necessary infrastructure in the identified slums to improve the living environment. When you start providing basic amenities in slums, a few questions arise. First, how are you going to charge for the services that you are providing when you do not have proper data about the people living in those slums? You also require the data to know what kind of services they need and whether they can pay for them or not. Generally people with low incomes live in this informal sector.

PROF. SAUGATA ROY: Madam Speaker, this question is not related to the Ministry of Urban Development. This should be addressed to the Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation.

SHRI RAVNEET SINGH: Madam, is it not true that the shortage of funds is coming in the way of State level sanctioning Committee in approving the projects; and if so what advice can be tendered by the Ministry to the States in this regard? Is it also not a fact that some States have complained that a quarterly progress report is a cumbersome document and needs to be revised? What action has been taken by the Ministry in this regard?

PROF. SAUGATA ROY: There should be no problem for the States to send quarterly reports. We are trying to monitor the progress of the projects under the JNNURM every month and we want this to be completed before 2012, which is the end of the Jawaharlal Nehru National Urban Rural Mission period.

MADAM SPEAKER: Thank you so much.

The Question Hour is over.

12.00 hrs

PAPERS LAID ON THE TABLE

MADAM SPEAKER: Papers to be laid on the Table of the House.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI NAMO NARAIN MEENA): On behalf of Shri S.S. Palanimanickam, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under Article 151(1) of the Constitution:-

(i) Report of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (Scientific Departments) (No. 13 of 2010-11)-Performance Audit of Procurement of Stores and Inventory Management, Department of Atomic Energy, for the year ended March, 2009.

(Placed in Library, See No. LT 2841/15/10)

(ii) Report of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (Defence Services) (No. 14 of 2010-11)-Performance Audit of Canteen Stores Department, Ministry of Defence, for the year ended March, 2009.

(Placed in Library, See No. LT 2842/15/10)

(iii) Report of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (Direct Taxes) (No. 20 of 2009-2010)-The Appeal Process for the year ended March, 2009.

(Placed in Library, See No. LT 2843/15/10)

(2) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under Article 151(2) of the Constitution:-

(i) Audit Report of the Comptroller and Auditor General of India-Government of Jharkhand (Revenue Receipts) for the year ended March, 2009.

(ii) Report of the Comptroller and Auditor General of India-Government of Jharkhand (State Finances) for the year ended March, 2009.

(iv) Report of the Comptroller and Auditor General of India-Government of Jharkhand (Civil and Commercial) for the year ended March, 2009.

(Placed in Library, See No. LT 2844/15/10)

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Export-Import Bank of India, Mumbai, for the year 2009-2010, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Export-Import Bank of India, Mumbai, for the year 2009-2010.

(Placed in Library, See No. LT 2845/15/10)

(4) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 31 of Securities and Exchange Board of India Act, 1992:-

(i) The Securities and Exchange Board of India (Foreign Institutional Investors) (Amendment) Regulations, 2010 published in Notification No. LAD-NRO/GN/2010-11/02/1107 in Gazette of India dated 13th April, 2010.

(ii) The Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers) (Amendment) Regulations, 2010 published in Notification No. LAD-NRO/GN/2010-11/04/1109 in Gazette of India dated 13th April, 2010.

(iii) The Securities and Exchange Board of India (Venture Capital Funds) (Amendment) Regulations, 2010 published in Notification No. LAD-NRO/GN/2010-11/07/1100 in Gazette of India dated 13th April, 2010.

(iv) The Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Amendment) Regulations, 2010 published in Notification No. LAD-NRO/GN/2010-11/05/1110 in Gazette of India dated 13th April, 2010.

(3) The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2010 published in Notification No. LAD-NRO/GN/2010-11/03/1104 in Gazette of India dated 13th April, 2010.

(vi) The Securities and Exchange Board of India (Credit Rating Agencies) (Amendment) Regulations, 2010 published in Notification No. LAD-NRO/GN/2009-10/30/199044 in Gazette of India dated 19th March, 2010.

(vii) The Securities Contracts (Regulation) (Amendment) Rules, 2010 published in Notification No. G.S.R. 469(E) in Gazette of India dated 4th June, 2010.

(Placed in Library, See No. LT 2846/15/10)

(5) A copy of the Notification No. G.S.R. 640(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 28th July, 2010 together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 6/2006-C.E., dated 1st March, 2006 under sub-section (2) of section 38 of the Central Excise Act, 1944.

(Placed in Library, See No. LT 2847/15/10)

(6) A copy of the Notification No. G.S.R. 637(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 27th July, 2010 together with an explanatory memorandum seeking to exempt specified items meant for display and sale in World Philatelic Exhibition scheduled to be held from 12-18, February, 2011 at New Delhi, from whole of the basic customs duty and additional duty of customs, till 18th February, 2011, under section 159 of the Customs Act, 1962.

(Placed in Library, See No. LT 2848/15/10)

(7) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (7) of section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 :-

(i) G.S.R. 646(E) published in Gazette of India dated 30th July, 2010, together with an explanatory memorandum seeking to impose provisional anti-dumping duty on the imports of 'PVC Flex Film', originating in, or exported from China PR at the specified rates, in pursuance of the preliminary findings dated 22nd June, 2010 of the Designated Authority.

(ii) G.S.R. 632(E) published in Gazette of India dated 26th July, 2010, together with an explanatory memorandum seeking to impose definitive anti-dumping duty on the imports of Viscose Staple Fibre excluding Bamboo fibre, originating in, or exported from Indonesia and China PR and imported into India at the specified rates for a period of five years from the date of publication of this notification in the Gazette of India, in pursuance of the final findings dated 17th May, 2010 of the Designated Authority.

(iii) G.S.R. 633(E) published in Gazette of India dated 26th July, 2010, together with an explanatory memorandum seeking to impose provisional anti-dumping duty on the imports of Poly Vinyl Choloride Pase Resin, originating in, or exported from China PR,

Japan, Korea RP, Malaysia, Russia, Taiwan and Thailand and imported into India at the specified rates upto and inclusive of 25th January, 2010, in pursuance of the preliminary findings dated 11th June, 2010 of the Designated Authority.

(Placed in Library, See No. LT 2849/15/10)

(7) A copy of the PNB (Employees') Pension (Amendment) Regulations, 2009 (Hindi and English versions) published in Notification No. 26 in weekly Gazette of India dated 2nd July, 2010, under sub-section (4) of Section 19 of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970.

(Placed in Library, See No. LT 2850/15/10)

(9) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (3) of Section 29 of Regional Rural Bank Act, 1976:-

(i) G.S.R. 845(E) published in Gazette of India dated 13th April, 2010, regarding dissolution of Lucknow Kshetriya Gramin Bank and Triveni Kshetriya Gramin Bank.

(ii) G.S.R. 846(E) published in Gazette of India dated 13th April, 2010, regarding dissolution of Ballia Kshetriya Gramin Bank and Etawah Kshetriya Gramin Bank.

(Placed in Library, See No. LT 2851/15/10)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (SHRI BHARATSINH SOLANKI): I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Damodar Valley Corporation, Kolkata, for the year 2008-2009, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Damodar Valley Corporation, Kolkata, for the year 2008-2009.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(Placed in Library, See No. LT 2852/15/10)

(3) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 179 of the Electricity Act, 2003:-

(i) The Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories (Preparation of Annual Report) Rules, 2010, published in Notification No. G.S.R. 525(E) in Gazette of India dated 21st June, 2010.

(ii) The Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Manipur and Mizoram (Preparation of Annual Report) Rules, 2010, published in Notification No. G.S.R. 526(E) in Gazette of India dated 21st June, 2010.

(Placed in Library, See No. LT 2853/15/10)

(4) A copy of the Joint Electricity Regulatory Commission (Electricity Supply Code) Regulations, 2010, published in Notification No. JERC-11/2010 in Gazette of India dated 20th May, 2010, under Section 182 of the Electricity Act, 2003.

(Placed in Library, See No. LT 2854/15/10)

(5) A copy of the Memorandum of Understanding (Hindi and English versions) between the NTPC Limited and the Ministry of Power for the year 2010-2011.

(Placed in Library, See No. LT 2855/15/10)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TOURISM (SHRI SULTAN AHMED): I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 619A of the Companies Act, 1956:-

(a) (i) Review by the Government of the working of the India Tourism Development Corporation Limited, New Delhi, for the year 2008-2009.

(ii) Annual Report of the India Tourism Development Corporation Limited, New Delhi, for the year 2008-2009, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(Placed in Library, See No. LT 2856/15/10)

(b) (i) Review by the Government of the working of the Madhya Pradesh Ashok Hotel Corporation Limited, Bhopal, for the year 2008-2009.

(ii) Annual Report of the Madhya Pradesh Ashok Hotel Corporation Limited, Bhopal, for the year 2008-2009, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(2) Two statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(Placed in Library, See No. LT 2857/15/10)

(3) A copy of the Memorandum of Understanding (Hindi and English versions) between the India Tourism Development Corporation Limited and the Ministry of Tourism for the year 2010-2011.

(Placed in Library, See No. LT 2858/15/10)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI S. GANDHISELVAN): I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Council for Research in Unani Medicine, New Delhi, for the year 2008-2009, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central Council for Research in Unani Medicine, New Delhi, for the year 2008-2009.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(Placed in Library, See No. LT 2859/15/10)

(3) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 31 of Cigarettes and other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Act, 2003:-

(i) G.S.R. 411(E) published in Gazette of India dated 17th May, 2010, containing corrigendum to the Notification No. G.S.R. 176(E) dated 5th March, 2010.

(ii) G.S.R. 489(E) published in Gazette of India dated 9th June, 2010, reconstituting Steering Committee with the Chairman and Members, mentioned therein, to look into specific action regarding violations under Section 5 of the Cigarettes and Other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Act, 2003.

(Placed in Library, See No. LT 2860/15/10)

12.03 hrs

BUSINESS OF THE HOUSE

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI PAWAN KUMAR BANSAL): With your permission, Madam, I beg to announce that the Government Business during the week commending Monday, the 16th August, 2010 will consist of: -

1. Consideration of any item of Government Business carried over from today's Order Paper.

2. Consideration and passing of the following Bills:-

   (a) The Essential Commodities (Amendment) Bill, 2010.

   (b)The Jharkhand Panchayati Raj (Amendment) Bill, 2010.

   (c) The Orissa (Alteration of Name) Bill, 2010

   (d)The Constitution (One Hundred Thirteenth Amendment) Bill, 2010.

3. Discussion and Voting on the Supplementary Demands for Grants (Railways) for 2010-11.

4. Introduction, consideration and passing of the Appropriation (Railways) No. 4 Bill, 2010.

5. Consideration and passing of the following Bills, after they are passed by the Rajya Sabha: -

   (a) The Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Bill, 2008.

   (b)The Nalanda University Bill, 2010.

MADAM SPEAKER: Shri Jai Prakash Agarwal.

श्री जय प्रकाश अग्रवाल (उत्तर पूर्व दिल्ली): अध्यक्ष महोदया, आगामी सप्ताह की कार्य-सूची में निम्नांकित विषयों को सम्मिलित किया जाए -

1. राजधानी दिल्ली में यमुना नदी पर बढ़ते हुए भारी यातायात को दृष्टिगत रखते हुए नागरिकों की सुविधा के लिए उत्तर-पूर्वी संसदीय क्षेत्र के अन्तर्गत यमुना नदी पर अविलम्ब पुल का निर्माण करवाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

2. राजधानी दिल्ली में विशेषतः उत्तर-पूर्वी संसदीय क्षेत्र के अन्तर्गत नियमित की गई कालोनियों में आवश्यक मूलभूत सुविधाएं अविलम्ब उपलब्ध करवाए जाने के बारे में।

डॉ. भोला सिंह (नवादा): माननीय अध्यक्ष महोदया की अनुमति से संसदीय कार्य मंत्री के आगामी सप्ताह के लिए सदन में प्रस्तुत प्रस्ताव में निम्नलिखित विषय जोड़ने की अपनी इच्छा की सूचना देता हूं -

1. नवादा जिले के प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क सम्पर्क योजना की लगभग आधे दर्जन सड़कें अभी तक कार्यान्वयन के लिए पड़ी हुई हैं।

2. नवादा बारसलीगंज से दिल्ली अथवा हावड़ा जाने के लिए कोई एक्सप्रेस ट्रेन नहीं है। एक महाबोद्धि एक्सप्रेस ट्रेन या श्रमजीवी एक्सप्रेस ट्रेन बारसलीगंज, नवादा स्टेशन से चलाई जाए।

SHRI P.T. THOMAS (IDUKKI): The following items may be included in next week's agenda:-

1. Alarming situation of river pollution in the country with a special mention to the Periyar river in Kerala; and
2. The new challenges to the secularist face of nation from the terrorist outfits.

श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर): महोदया, आपसे अनुरोध है कि आगामी सप्ताह की कार्यवाही में कृपया निम्न विषयों को विचार के लिए जोड़ा जाए -

1. देश के सार्वजनिक उद्योगों में उत्पादन बढ़ने के बावजूद कामगारों की हो रही छंटनी, देश के बेरोजगारों की करोड़ों की संख्या को देखते हुए रोजगार सृजन हेतु नई नीति बनाए जाने की आवश्यकता।

2. देश के पर्यावरणीय प्रदूषित क्षेत्र में प्रदूषणकारी उद्योगों को स्वीकृति देने पर रोक लगाने और ऐसे स्थान पर प्रदूषणकारी उद्योगों को दी गई स्वीकृति रद्द करने की कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता।

श्री वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़): अध्यक्ष महोदया, ललितपुर सिंगरोली रेलवे लाईन जो कि म.प्र. के बुंदेलखंड में जीवन रेखा का कार्य करेगी। इसे प्राथमिकता से प्रारम्भ करने की शीघ्र कार्यवाही की जाए।

टीकमगढ़ (म.प्र) आज भी केन्द्रीय विद्यालय की सुविधा से वंचित है। अत: यहां के छात्रों को इसका लाभ दिलाने हेतु टीकमगढ़ में अति शीघ्र केन्द्रीय विद्यालय प्रारम्भ किया जाए।

SHRI ARJUN CHARAN SETHI (BHADRAK): The following item may be included in the next week's agenda:-

To discuss the reports of the National Commission for Scheduled Castes and Tribes.

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर) : महोदया, मोटर वाहन अधिनियम के तहत अतिरिक्त राहत दिलाने एवं राहत को दुर्घटना के तुरन्त पश्चात् फैसले से पूर्व पीड़ित पक्ष को पहुंचाने एवं फैसले के बाद उस राशि को फैसले की राशि में समायोजन करने के विषय को लोक सभा की आगामी सप्ताह की कार्य सूची में सम्मिलित किया जाए।

श्री ए.टी. नाना पाटील (जलगांव): अध्यक्ष महोदया, जलगांव तथा खान्देश परिसर के केला उत्पादकों को निर्यात करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुदान तथा अन्य सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता।

देश में भूजल स्तर में आई कमी का संज्ञान लेकर भूजल पुनर्भरण हेतु आवश्यक कार्यक्रम प्राथमिकता से चलाने की आवश्यकता।

SHRI ADHIR CHOWDHURY (BAHARAMPUR): The following items may be included in next week's agenda:-

1. To discuss the jute-based industry in view of the growing global demand for organic fibre; and
2. The prevailing drought-like situation in various parts of the country including the State of West Bengal.

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): अध्यक्ष महोदया, मेरे संसदीय क्षेत्र के झपहा से मीनापुर भाया बेलसंड परसौनी, रीगा एवं मेजरगंज होते हुए नेपाल सीमा तक पी.डब्ल्यू.डी. मार्ग जो 100 कि.मी. से अधिक है, को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का कार्य।

बिहार के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़ के दौरान ग्रामीण लोगों को विशेषकर महिलाओं को ग्रामीण शौचालय की व्यवस्था करने का कार्य।

12.08 hrs

MOTION RE: NINETEENTH REPORT OF BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI PAWAN KUMAR BANSAL): I beg to move the following:-

> "That this House do agree with the Nineteenth Report of the Business Advisory Committee presented to the House on 12th August, 2010."

MADAM SPEAKER: The question is:

> "That this House do agree with the Nineteenth Report of the Business Advisory Committee presented to the House on 12th August, 2010."

The motion was adopted.

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर): अध्यक्ष महोदया, कृपया मुझे भी बोलने का अवसर दीजिए...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : हम सबको बुलाएंगे। मैं आपको बुलाऊंगी। आपका नाम है। आप जरा धैर्य रखिए। हम सबको मौका देंगे।

...(व्यवधान)

12.09 hrs.

SUBMISSION BY MEMBERS

Re : Reported news about 33 Indian Soldiers missing from Leh-Ladakh

श्री मनीष तिवारी (लुधियाना): अध्यक्ष महोदया, लेह में जो प्राकृतिक आपदा के कारण त्रासदी हुई और जानमाल का नुकसान हुआ है। उन लोगों का दुख बांटने के लिए सारा देश एक है। आपने भी अपनी ओर से इस सदन का दुख व्यक्त किया है। लेकिन मैं आपका ध्यान एक बहुत ही गंभीर मामले की ओर दिलाना चाहता हूं कि कई समाचार-पत्रों में यह खबर छपी थी कि बिहार रेजीमेंट के 33 जवान पाकिस्तान नियंत्रित कश्मीर में बह गये। उसके बाद कई समाचार-पत्रों में यह खबर भी छपी कि शायद वे क्षतिग्रस्त हो गये हैं।

मैं केन्द्र सरकार से जानना चाहता हूं, क्योंकि यह बहुत ही गम्भीर मसला है। इसलिए सरकार इस पर स्पष्टीकरण दे कि जो 33 जवान हैं, क्या वे बह गये हैं, क्या उनमें से कुछ मिले हैं या उनके बारे में सरकार को आज तक क्या खबर मिली है? मैं इस मामले को इसलिए गम्भीर मानता हूं क्योंकि पाकिस्तान सेना का जो इतिहास रहा है, जिस तरह से उन्होंने भारतीय सैनिकों के साथ बदसलूकी की है, उसे सब जानते हैं। मैं कैप्टन सौरभ कालिया का जिक्र करना चाहूंगा कि कारगिल युद्ध शुरू होने से पहले किस तरह से उसे यातनाएं देकर मारा गया था, उसे ध्यान में रखते हुए यह एक बहुत ही गम्भीर मसला है। मैं समझता हूं कि इसके ऊपर सरकार को सदन को स्पष्टीकरण देना चाहिए कि उन 33 जवानों की परिस्थिति क्या है?...(व्यवधान)

श्री जगदीश शर्मा (जहानाबाद): महोदया, वे बिहार के जवान है और वे लापता हैं। ...(व्यवधान) बिहार के जवान कहां है, इस बारे में सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : ठीक है, आप बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइये। ऐसे शून्यकाल कैसे चलेगा। आप अपने आपको इससे सम्बद्ध कर लीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : श्री हंसराज अहीर, श्री अर्जुन मेघवाल, प्रो. रामशंकर, श्री अशोक अर्गल, श्री राजेन्द्र अग्रवाल, श्री वीरेन्द्र कुमार और श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी अपने आपको इस विषय से सम्बद्ध करते हैं।

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन (भागलपुर): मैडम, हमने भी नोटिस दिया है। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : ठीक है, आप इस मुद्दे को उठा लीजिए। अभी शून्यकाल चल रहा है। आप उन्हें बैठ जाने दीजिए। आप इस मुद्दे को उठा लीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : यदि आप इस तरह से बोलेंगे तो जिन्होंने नोटिस दिया है, वे कब बोलेंगे। आप इन्हें बोल लेने दीजिए, उसके बाद आपको भी बुला लेंगे। अभी आप बैठ जाइये।

श्री हसन खान (लद्दाख): मैडम स्पीकर, आपने मुझे जीरो ऑवर में बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। इसके पहले भी लद्दाख के बारे में बोलने का मुझे मौका दिया। वहां की हालत देखने के बाद आज वहां जो हालात नजर आये, लद्दाख की तारीख में आज तक ऐसा वाकया नहीं हुआ है। वहां इस वक्त जो मुसीबत का आलम बना हुआ है, उसे मीडिया ने भी देखा और गवर्नमैन्ट के मिनिस्टर साहेबान और यहां जो नुमाइंदे गये थे, उन्होंने भी देखा। वहां सेना, एयरफोर्स, आईटीबीपी और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग मदद कर रहे हैं, वे अपनी तरफ से बहुत कुछ कर रहे हैं। लेकिन जो मुसीबत वहां आई है, उसकी भरपाई इनके द्वारा होनी बहुत मुश्किल है। क्योंकि वहां इस वक्त दो चीजों की सबसे बड़ी शॉर्टेज है, पहली मैनपावर की शॉर्टेज है। क्योंकि जितने भी लेबरर्स वहां काम कर रहे थे, वे लेबरर्स वहां से भाग निकले। इसके अलावा जितनी मशीनरी और कंस्ट्रक्शन मैटिरियल की वहां जरूरत है, वह वहां मिल नहीं रही है और पहुंच भी नहीं पा रही है। क्योंकि अभी भी दोनों रास्ते जो मनाली और श्रीनगर से आ रहे हैं...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: कृपया आप बैठ जाइये। अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री हसन खान: वे दोनों रास्ते इस वक्त बंद हैं और वहां के लोग बहुत मुसीबत में है। वहां आप अस्पतालों में जाकर देखेंगे तो पायेंगे कि ऐसी माएं हैं, जिनकी गोद और हाथों से सैलाब ने बच्चे छीन लिये हैं और बहुत से जख्मी पड़े हुए हैं।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए और हसन खान साहब को बोलने दीजिए।

श्री हसन खान: ऐसे बच्चे इस वक्त अस्पतालों में मौजूद हैं, जिनके सिर से रातों-रात इस मुसीबत के कारण मां-बाप का साया हमेशा के लिए उठ गया है। ऐसे घर हैं, जहां न इस वक्त घर का कोई निशान मौजूद है और न घरवाले ही मौजूद हैं। ऐसे मजदूरों के कैम्प्स हैं, जहां यदि 200 मजदूर काम करते थे तो उनमें से 20 या 30 मजदूर जिंदा निकले हैं। शेष अभी भी टनों मलबे के नीचे दबे पड़े हैं।

हम गवर्नमैन्ट और खासकर पार्लियामेन्टेरियंस के मश्कूर हैं, जिन्होंने इस हाउस में बार-बार इसकी तरफ अपनी हमदर्दी और माली मदद का इजहार किया है। लेकिन जो कुछ करना है, उसके लिए वक्त की बहुत कमी है। क्योंकि लद्दाख आइंदा दो महीने के बाद फिर सात महीने के लिए बंद हो जायेगा। दुनिया के हर हिस्से से मुल्क के हर हिस्से से कट जायेगा। इसलिए हमारी इस हाउस के थ्रू गुजारिश है कि इन दो महीनों के अंदर सरकार जितनी जल्दी मदद हो सके, करे, क्योंकि दो महीने के बाद वहां कोई काम नहीं हो सकता है। वहां बर्फ पड़ेगी और जीरो टैम्परेचर होगा और सारे रास्ते हर तरफ से बंद हो जायेंगे।

मैं आप सबका और खासकर इस हाउस का बहुत मश्कूर हूं कि हर एक पोलिटिकल पार्टी ने हमदर्दी का इजहार किया है। सब मदद के लिए आगे आये हैं और खासकर जो फौज वहां तैनात है, हम उनके भी शुक्रगुजार हैं।

अध्यक्ष महोदया : धन्यवाद। श्री हमदुल्लाह सईद। ...(व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): अध्यक्ष महोदया, सदन की तरफ से चिंता व्यक्त की गई थी कि लद्दाख में भयानक परिस्थिति पैदा हुई है। लेकिन हमें दुख हैं कि सरकार ने अभी तक कुछ नहीं किया है। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप मुझे जीरो ऑवर चला लेने दीजिए। आप क्यों खड़े हो गये। आप उन्हें बोलने दीजिए। बैठ जाइये और स्लिप भेजकर एसोसिएट कर लीजिए।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : सरकार ने कुछ भी स्पष्ट नहीं किया है और न कोई जानकारी दे रही है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप क्यों खड़े हैं? आप बैठ जाइये। आप उन्हें बोलने दीजिये। आप एक एक करके एसोसिएट कर लीजिये। आप स्लिप भेजकर कर एसोसिएट कर लीजिये।

...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Order please. सब को बोलना है, जिनका पहला नोटिस है, पहले उन्हें बुला लेने दीजिये।

श्री हमदुल्लाह सईद।

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record except what Shri Hamdullah Sayeed is saying.

(Interruptions) ...[*]

अध्यक्ष महोदया : हमने कहा है कि हम आपको बुलायेंगे। आप बैठ जाइये।

…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : ऐसे कैसे होगा?

...(Interruptions)

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record except what Shri Hamdullah Sayeed is saying.

(Interruptions) ... *

अध्यक्ष महोदया : रघुवंश प्रसाद जी, आप बैठ जाइये। आप अपना स्थान ग्रहण कर लीजिये। आप शून्य प्रहर चलने दीजिये। आप ऐसे ही बोले जा रहे हैं, आपकी बात रिकॉर्ड में नहीं जा रही है। आप बैठ जाइये।

(Interruptions) ... *

MADAM SPEAKER: Nothing is going on record.

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record except what Shri Hamdullah Sayeed is saying.

*(Interruptions) ...**

SHRI HAMDULLAH SAYEED (LAKSHADWEEP): Respected Madam, I would like to draw the attention of the House to the discontinuation of Air India flight which flies between Lakshadweep and Kerala. It has caused a great inconvenience to the local islanders. This flight service to Lakshadweep was started way back in 1987. Since then, it has been 23 years of the inception of the erstwhile Indian Airlines service between Kerala and Lakshadweep. But it has now been discontinued. When enquired from the competent authority, they said

[*] Not recorded.

that Air India has incurred a loss of Rs.4000 crore. But the loss that has been incurred by Air India in Lakshadweep-Kerala sector is hardly Rs.7 crore which is not even one per cent of the total losses that have been incurred by Air India. The flight between Lakshadweep and Kerala which has been provided by Air India was only a 16-seater beach craft. It can accommodate only 16 passengers at a time. But in the case of a private airline, the Kingfisher Airlines which is flying in the same sector, it has a craft with carrying capacity of 72 passengers at a time. When Kingfisher Airlines which is a private airlines even after incurring losses has not discontinued or stopped the flight, I fail to understand why on earth the Air India which is the sole national carrier has discontinued and stopped the flight service in this sector. Not only that, Lakshadweep has been granted the status of Scheduled Tribe under Schedule V of the Constitution on account of its geographical isolation from the mainland.

Therefore, I would request that taking all these circumstances into account, the Government should immediately re-start the flight service between Lakshadweep and Kerala.

श्री भूपेन्द्र सिंह (सागर): माननीय अध्यक्ष महोदया, इस समय पूरे देश के अंदर मोबाईल नैटवर्क की समस्या है। मेरा लोक सभा क्षेत्र सागर है जहां 50 हाजर उपभोक्ता बीएसएनएल मोबाईल से हैं और 25 हजार उपभोक्ता लैंडलाईन से हैं। पिछले 4-5 महीने से बीएसएनएल का सिस्टम ठप्प पड़ा हुआ है। सिर्फ मेरे लोक सभा क्षेत्र में ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश और पूरे देश के अंदर यह स्थिति है। मोबाईल से कहीं भी बात नहीं हो सकती है। अगर एक जगह बात करनी हो तो दस-दस बार कॉल लगानी पड़ती है लेकिन मोबाईल से बात नहीं हो पाती है। लोगों का अनावश्यक रूप से पैसा लग रहा है।

महोदया, लोगों को सुविधा नहीं मिल पा रही है। मेरा इस मामले में कहना है कि इस बात की जांच होनी चाहिए कि बीएसएनएल, जो सरकारी कम्पनी है, इसमें गड़बड़ क्यों है? लगता है कि इसमें कहीं न कहीं बड़ा भारी भ्रष्टाचार हो रहा है और जानबूझकर इस सिस्टम को फेल किया जा रहा है। निजी मोबाइल कम्पनियों को लाभ पहुंचाने के लिए यह भ्रष्टाचार चल रहा है।

महोदया, मेरी इस संबंध में आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि इसकी जांच हो, जिससे सत्यता सामने आये। यह बहुत बड़ा संकट है, कहीं पर भी बात नहीं हो पा रही है, मोबाइल काम ही नहीं कर रहे हैं।

MADAM SPEAKER: The hon. Members, namely, Shri Virendra Kumar, Shri Ashok Argal, Shri Ramsinh Rathwa and Smt. Sumitra Mahajan, may associate with this issue.

SHRI ANTO ANTONY (PATHANAMATHITTA): Respected Madam, I request the Government to urgently introduce a Bill to protect the rights of the nurses in India. The nursing community in India is suffering from various kinds of exploitations that are ranging from bondage system to long hours of work.

Even though the bonded labour is abolished in our country, this practice still exists in the nursing sector. Having understood the gravity of the issue, the hon. Chief Minister of Delhi convened a meeting in this regard. The Central Labour Commissioner was also present at that meeting. He assured that he will issue an order to all the States regarding the abolishment of bondage system in nursing sector. But the bondage system still exists in the country. It underlines the urgent need for an initiative from the Parliament in the form of an enactment of a law in this regard.

Another problem faced by the nurses is the absence of a standardized pattern to ensure a reasonable salary. The nurse-patient ratio is also alarming in many hospitals. It should be noted that the expected ratio is 1:5, but in many hospitals it is 1:20. The medical benefits available to nurses are marginal or in some cases absolutely nil. Their lives seem to be in peril due to the negligence of hospital administration in providing adequate precautionary measures *vis-à-vis* treatment of highly chronic and infectious diseases. Even though they are working in hospitals, the hospital authorities are reluctant to provide medical assistance to their nurses. Recently, in June, 2010, a nurse died in Delhi for not getting medical assistance.

Meeting of the Indian Nursing Council held at Hyderabad on 31st July, 2010 passed a Resolution and submitted its proposal to the Government of India regarding the following matters:

a) To ensure reasonable salaries and other allowances to nurses.
b) Standardize the duty time of nurses at 8 hours per day and also provide for sick and other leaves.
c) To provide medical assistance whenever needed.
d) To ban bondage system (withholding of certificates by the hospital authorities).

Therefore, I would like to request the Government to introduce a Bill to protect the interests of the nurses in the country by including the above provisions in the same.

Thank you.

श्री देवजी एम. पटेल (जालौर): महोदया, आज हरित राजस्थान के नाम पर सड़क के किनारे बड़े-बड़े गड्डे खोदकर उसमें पेड़ लगाने की एक योजना चल रही है। गड्डे इतने बड़े खोद दिये जाते हैं कि रोड के ऊपर अगर कोई वाहन निकलता है तो वह सीधा गड्डे के अंदर गिर जाता है। इससे बहुत बड़ी दुर्घटना होती है, जिससे जान-माल की बहुत हानि हो रही है। मेरे जालौर जिले में और सिरोही के अंदर इन गड्डों के कारण बहुत सारी दुर्घटनाएं हुई हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि ये जो गड्डे खोदे जा रहे हैं, उनमें पेड़ तो होते ही नहीं हैं, शायद ही कभी कोई पेड़ दिखता हो, उसमें केवल कांटे की बाड़ दिखती है। अगर वहां पर किसानों को प्रोत्साहन दिया जाये और वह राशि किसानों को देकर, उनके खेतों में किनारे-किनारे पेड़ लगा दिये जायें तो हरित राजस्थान और हरित देश का जो हमारा सपना है, वह साकार हो सकता है।

महोदया, राजस्थान के अंदर खेजड़ी और जार के पौधे बहुत उपयोगी हैं। उन पौधों को लगाकर हम वहां की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदया : आप केंद्र सरकार से क्या चाहते हैं, वह बता दीजिये?

श्री देवजी एम. पटेल : महोदया, मैं केंद्र सरकार से यह चाहता हूं कि जो गड्डे खोदे जा रहे हैं, उन्हें बंद करके वहां की जनता को राहत दी जाये। मैंने सरकार को भी पत्र लिखा था और इस बारे में बताया था, लेकिन वहां से कुछ नहीं हो रहा है तो हमें केंद्र में ही आना पड़ता है। मैं यही चाहता हूं कि वहां पर गड्डे

बंद करके लोगों की जान-माल को बचाया जाये और इसके ऊपर केंद्र के माध्यम से कोई एक्शन लिया जाये तब जाकर हमारी समस्या हल होगी।

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): महोदया, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे लोकमहत्व के महत्वपूर्ण प्रश्न पर बोलने का अवसर दिया है। मैं आपका ध्यान बीड़ी मजदूरों के शोषण की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे क्षेत्र इलाहाबाद, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ (उत्तर प्रदेश) में लाखों की संख्या में बीड़ी मजदूर हैं, जिनमें महिलाएं, पुरुष और बच्चे भी काम करते हैं। बीड़ी मजदूरों के लिए कम्प्लसरी कर दिया जाए कि उनका कार्ड बनाया जाए।

दूसरी बात, उनकी जो भी निर्धारित मजदूरी होती है, उस मजदूरी में मालिक बीड़ी के डैमेज को दिखा कर उसकी मजदूरी में से काट लेता है। उनका आर्थिक शोषण किया जाता है। कई बीड़ियां अन्य प्रदेशों से उत्तर प्रदेश में आती हैं, उन पर प्रदेश में आने के लिए प्रवेश शुल्क लगे, ताकि उत्तर प्रदेश में जो बीड़ी निर्मित होती है, उसका प्रदेश के लोग ज्यादा उपयोग करें। अन्य प्रदेशों से जो बीड़ी आती है, उस पर प्रवेश शुल्क लगाया जाए। बीड़ी मजदूरों के आवास के लिए निशुल्क आवासीय पट्टे की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। बीड़ी मजदूरों को आवास बनाने के लिए जो आर्थिक अनुदान दिया जाता है, वह बहुत नामिनल है। हमारी मांग है कि उसे एक लाख रुपए कम से कम किया जाए। उनकी पुत्रियों की शादी के लिए केवल पांच हजार रुपए दिए जाते हैं। मैं मांग करता हूं कि सरकार इस राशि को बढ़ा कर 25 हजार रुपए करे।

इन श्रमिकों को सामूहिक बीमा योजना में स्वाभाविक दुर्घटना में मृत्यु लाभ की राशि को एक लाख किया जाए। जिन श्रमिकों की आयु 60 वर्ष से अधिक है, उन्हें पेंशन का हकदार बनाया जाना चाहिए, जिससे कि उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो। इलाहाबाद, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ (उत्तर प्रदेश) में मैंने जैसा कहा कि लाखों की संख्या में बीड़ी मजदूर हैं, उनके लिए अलग से कम से कम 10 या 20 कमरों का अस्पताल बने, जिसमें एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और पेथोलोजी की व्यवस्था हो। बीड़ी मजदूरों के बच्चों के लिए शिक्षा में अनुदान स्कोलरशिप कम्प्लसरी कर दिया जाए। कौशाम्बी में भरवारी जगह है, जहां इनके स्वास्थ्य के लिए मोबाइल गाड़ी जाती है और इनके स्वास्थ्य का परीक्षण करती है, वह गाड़ियां नहीं जाती हैं।

मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि तमाम बिंदुओं पर बीड़ी मजदूरों का जो शोषण हो रहा है और उनके लिए कल्याणकारी जो योजनाएं हैं, उन पर सरकार ध्यान दे और अमल करे।

श्री गोपीनाथ मुंडे (बीड): अध्यक्ष महोदया, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

महोदया, मैं जिस विषय को उठा रहा हूं, उस पर मंत्री जी ने स्टेटमेंट दी थी। मुंबई के पास जो ऑयल लीक हुआ है, वह इंडियन शिपिंग का बिगैस्ट डिज़ाज़स्टर है। मंत्री जी ने इस विषय में सदन को जानकारी दी थी, लेकिन इसके बाद जो क़दम उठाए जाने चाहिए थे, वे नहीं उठाए गए। 7 अगस्त को यह घटना घटी थी और तब से लेकर आज तक जवाहर लाल नेहरू पोर्ट और मुंबई पोर्ट बंद हैं। इसके कारण 6 हजार करोड़ रूपये का नुकसान हुआ है। कोई जहाज न पोर्ट पर आ पा रहा है, न कोई जा पा रहा है। एक लाख कंटेनर जवाहर लाल नेहरू पोर्ट और मुंबई पोर्ट पर पड़े हैं। इसकी कोई जानकारी नहीं है कि यह पोर्ट कब तक शुरू होंगे? मुंबई पोर्ट के सौ साल के इतिहास में यह पोर्ट कभी बंद नहीं रहा। दोनों पोर्ट अलग-अलग हैं और इसमें कोई कॉर्डिनेशन नहीं है। अभी तक किसी की जिम्मेदारी भी तय नहीं की गई है। मुंबई पोर्ट, जेएलएनपी और डिपार्टमेंट के अधिकारियों में कोई कॉर्डिनेशन नहीं है। विशेषज्ञों ने कहा है कि भोपाल के बाद यह बहुत बड़ा डिज़ास्टर है। सौ स्कैवयर किलोमीटर तक ऑयल समुद्र में फैल चुका है, जिसके कारण वहां के समुद्र से जहाज जाना मुश्किल है। वहां फिशिंग खत्म हो चुकी है। फिशरमैन घर बैठे हैं। उनके पास कोई काम नहीं है, रोजगार नहीं है। इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी एमएससी और यूएससी, उन जहाजों की कम्पनियों के खिलाफ कोई केस रजिस्टर नहीं हुआ है। अभी तक किसी को अरैस्ट नहीं किया गया है।

महोदया, वर्ष 1990 में अमरीका में इसी प्रकार से ऑयल का लीकेज हुआ था।

उस समय 22 हजार करोड़, 4.5 बिलियन डालर उन्हें कम्प्नसेशन दिया और फिशरमैन को 20 हजार करोड़, चार बिलियन डालर कम्प्नसेशन दिया। भारत को भी कम्प्नसेशन मांगना चाहिए। आपने यह मुद्दा उठाया था और यह सही था, कम्प्नसेशन कैसे रजिस्टर नहीं करेंगे। अभी तक एमएससी और यूएससी के जो मालिक हैं, उन्हें जांच के लिए बुलाया भी नहीं गया। मुझे लगता है कि इसकी उच्चस्तरीय जांच होनी चाहिए, महज़ एक इंस्पेक्टर से जांच नहीं होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि भारत को क्लेम करना चाहिए, क्योंकि ये बाहर की कम्पनियां हैं। मुंबई पोर्ट और जवाहरलाल नेहरु पोर्ट शुरु करने के लिए सरकार प्रयास करे। इसमें किसी ने ध्यान नहीं दिया, वहां पर किसी मंत्री ने विज़िट नहीं किया है और न ही कोई हायर ऑफिसर वहां गया। इतनी लैक ऑफ रिस्पोंसिबिल्टी सरकार ने दिखाई है, इस पर ध्यान देकर सदन में इस बारे में बताना चाहिए।

श्री दत्ता मेघे (वर्धा): अध्यक्ष महोदया, श्री गोपीनाथ मुंडे जी जिस विषय पर बोले हैं, उस विषय के साथ मैं भी अपने आपको सम्बद्ध करता हूं।

MADAM SPEAKER: Those who want to associate themselves with the matter raised by Shri Gopinath Munde may please send slips.

श्री भक्त चरण दास (कालाहांडी): अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे एक गंभीर मामले पर प्रीमिटिव आदिवासिसों के अधिकार के बारे में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। हमारे कालाहांडी के नियमगिरी जंगल में आठ हजार प्रीमिटिव ट्राइबल्स रहते हैं। भारत सरकार के 2006, एफआर एक्ट के तहत उन्हें कम्युनिटी राइट जंगल की सम्पदा के ऊपर मिलना चाहिए। लास्ट जनवरी में दस गांव के लोगों ने नियमगिरी का जो माइनिंग एरिया है, उसमें अपने हक के लिए एफआरसी के जरिए एसडीएलसी में एप्लाई किया, लेकिन अभी तक उन्हें रिकोग्नाइज़ नहीं किया गया। मैंने खुद उनकी दरख्वास्त को एसडीएलसी में पिछले महीने की 12 तारीख को सबमिट किया, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन में कहना चाहता हूं कि दूसरी तरफ से वे लोग एफआरसी के अंडर कम्युनिटी राइट नहीं मांगे, उन आदिवासियों के ऊपर किस तरह से वेदान्त कम्पनी ने पुलिस को यूटिलाइज़ करके टार्चर किया है, यह बात मैं आपके सामने बहुत दुख के साथ रखना चाहता हूं। कल 12 तारीख को बंद्रा शिवाजी में एक सम्मेलन का आयोजन किया था, जिसमें फोरेस्ट राइट एक्ट के ऊपर चर्चा होने वाली थी और उसमें ये लोग भागीदारी लेने वाले थे। जब दस तारीख को वे लोग जंगल से निकले तो किस तरह से 15 स्टेनगनधारी पुलिस वाले सीधे सिविल ड्रेस में, जैसे डकैत लोगों को उठा कर जंगल में ले जाते हैं, उसी तरह से लोगोशिकाका और उसके साथी को उठा कर ले गए। वह भी कालाहांडी की पुलिस नहीं थी, रायगढ़ की पुलिस को बुला कर किस तरह से सत्ता और पुलिस का दुरुपयोग करके उन्हें यहां आने से रोका। इस बात को मैं सदन में बहुत दुख के साथ रखना चाहता हूं। ...(व्यवधान) ये वेदान्त कम्पनी का मामला है। राज्य सरकार किस तरह से पुलिस का दुरुपयोग...(व्यवधान) किस तरह से राज्य सरकार वहां के आदिवासियों को हक दिलाने की बजाए पुलिस को किस तरह से गलत व्यवहार करके एक कम्पनी का फेवर करने के लिए आदिवासियों के हक को कुचलने के लिए प्रयास एवं कोशिश कर रही है।

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन से दरख्वास्त कर रहा हूं, भारत सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि फोरेस्ट राइट एक्ट के तहत उन्हें उनका अधिकार मिलना अनिवार्य है। आदिवासी वर्षों से सबसे अधिक शोषित हुआ है। आज कल नक्सलाइट भी उनका शोषण कर रहे हैं, उनका जंगलों में अड्डा बना हुआ है। सरकार और अधिकारी वर्ग की और से तथा तमाम अधिकार सम्पन्न लोगों की और से आदिवासी शोषित हुआ है। आदिवासियों को उनका हक मिलना चाहिए, नहीं तो एफआर एक्ट को एबोलिश

कर देना चाहिए, उस कानून की कोई जरूरत नहीं है। मैं इस सदन के सभी सदस्यों से दरख्वासत करता हूं कि नियमगिरी प्रीमीटिव ट्राइब्स है, लोधा मांझी एक गरीब आदमी है, उसने कोई गुनाह नहीं किया, उसे बिना कारण गिरफ्तार करके ले गए और दूसरे दिन मेरे द्वारा हस्तक्षेप करने से उसे छोड़ दिया गया। आदिवासी कम्युनिटी राइट माइनिंग एरिया में नहीं मांगे, इसलिए यह साजिश की गई है। यह बहुत संवेदनशील विषय है।

अध्यक्ष महोदया, मैं तमाम उन मासूम लोगों की तरफ से आपसे दरख्वास्त कर रहा हूं कि उन्हें न्याय मिलना अनिवार्य है। आप उन्हें भारत सरकार की ओर से न्याय दिलाने का प्रयास करेंगी। धन्यवाद।

DR. TARUN MONDAL (JOYNAGAR): Madam, I want to associate with him.

SHRI RAJAIAH SIRICILLA (WARANGAL): Madam, I also want to associate with him.

SHRI BADRUDDIN AJMAL (DHUBRI): Madam, I want to associate with him.

MADAM SPEAKER: Dr. Tarun Mondal, Shri Rajaiah Siricilla and Shri Badruddin Ajmal, Shrimati Jayaprada are allowed to associate with him.

श्री अनुराग सिंह ठाकुर (हमीरपुर): अध्यक्ष महोदया, मुझे अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय को सदन में उठाने हेतु समय देने के लिए मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं।

महोदया, काश, मुझे दो मिनिट पहले बोलने का मौका मिला होता, तो ज्यादा अच्छा रहता, क्योंकि जो विषय मैं उठा रहा हूं वह विद्युत मंत्रालय से संबंधित है और तब विद्युत मंत्री जी, यहां उपस्थित थे।

महोदया, लगभग 33 वर्ष पहले, हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी में बग्गी नामक स्थान पर 40 मैगावाट की एक हाइड्रोइलैक्ट्रिक पॉवर परियोजना बननी तय हुई थी। इस परियोजना को 33 वर्ष हो गए हैं। इसके ऊपर अभी तक करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं। इसके अन्तर्गत 11.78 किलोमीटर लम्बी सुरंग बन कर तैयार हो चुकी है। इस सुरंग से पानी निकल कर 12.2 किलोमीटर लम्बी नहर में जाना था, वह भी तैयार है। उसके बाद फिर एक 14 किलोमीटर लम्बी सुरंग में पानी जाने के बाद जो गेट बनना था, वह बना हुआ है और लगभग 33 वर्षों से उसमें जंग लगी हुई है।

महोदया, करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड के गलत निर्णयों के कारण और बोर्ड की अनदेखी के कारण आज तक यह परियोजना पूरी नहीं हो पाई है। मुख्य सुरंग पर पानी रोकने के लिए कंट्रोल गेट बनना था, वह भी बहुत पहले ही बन चुका है और अब उसमें भी जंग लग गया है।

महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि जब 33 वर्ष पहले इस परियोजना को बनना था, यदि उसके अनुसार यह बन गई होती, तो अब तक इससे कम से कम 500 करोड़ रुपए का मुनाफा सरकार को हो चुका होता और लगभग 300 से 400 लोगों को रोजगार मिल जाता।

महोदया, इस बात से पूरा देश अवगत है कि आज देश में बिजली की बहुत कमी है। आज हम जिस गति से आगे बढ़ना चाहते हैं, उस गति से नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि बिजली की बहुत कमी है और देश में हजारों-लाखों गांव आज भी ऐसे हैं, जहां बिजली नहीं है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या यह परियोजना कभी पूरी होगी, यदि होगी, तो कब? इसे जल्दी से जल्दी पूरा क्यों नहीं किया जा सका और 33 वर्षों तक इस परियोजना का काम लंबित क्यों रखा गया ? मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि यह राष्ट्रीय हित के साथ जुड़ी हुई परियोजना है और देश में जो बिजली की कमी है, उसे पूरी करने में यह बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है।

महोदया, यहां श्री पवन कुमार बंसल, माननीय संसदीय कार्य मंत्री और जल संसाधन मंत्री तथा श्री वी. नारायणसामी, माननीय योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री उपस्थित हैं। अतः मैं उनसे चाहूंगा कि मेरे प्रश्नों का जवाब मुझे दिया जाए और इस परियोजना को जल्दी से जल्दी पूरा कराया जाए। धन्यवाद।

श्री मकनसिंह सोलंकी (खरगौन): अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। खंडवा-धार वाया खरगौन-बड़वानी ब्रॉडगेज रेल लाइन हेतु बजट में पर्याप्त राशि स्वीकृति के सम्बन्ध में मैं एक बार फिर से सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

रेल के बारे में हमने पिछले सत्र में दिनांक 08.07.2009 को हमारे क्षेत्र की रेल की समस्या के सम्बन्ध में बताया था। वर्ष 2008-09 में रेल बजट के प्रस्तुतीकरण में रेल मंत्री द्वारा नई रेल लाइन के सर्वेक्षण प्रस्ताव में खंडवा-धार वाया खरगौन-बड़वानी ब्रॉडगेज रेल लाइन का प्रस्ताव किया गया है, जिसका वर्तमान में सर्वेक्षण हो चुका है। गत 64 वर्षों से आदिवासी एवं पिछड़े क्षेत्रों में रेल लाइन अपेक्षित है। अतः 2010-11 के बजट में इसके लिए पर्याप्त धनराशि का प्रस्ताव किया जाये, ताकि आगामी वर्षों में इस रेल लाइन का कार्य पूर्ण होने पर खंडवा से गुजरात की दूरी कम हो सके। रेल लाइन बिछाने से इस क्षेत्र में छोटे-छोटे उद्योग चलाने से बेरोगजारी खत्म होगी और समय की बजत होगी। इस क्षेत्र का विकास होगा और इस क्षेत्र की जनता की जो मांग है, वह पूर्ण होगी।

SHRI PONNAM PRABHAKAR (KARIMNAGAR): Hon. Madam Speaker, I am thankful to you for giving me an opportunity to speak.

As the House is aware, every year thousands of people are going for Haj Pilgrimage from Andhra Pradesh and also from all over the country. There is a heavy demand from the Muslim minority people to avail of the Haj Pilgrimage and this demand is increasing every year in Andhra Pradesh and also in other States. A lot of applications are pending in this regard but the limit is very low particularly for Andhra Pradesh. The Haj quota number for Andhra Pradesh is limited to 6700 only but the demand is more.

Our hon. Chief Minister of Andhra Pradesh, Shri Rosaiah ji has already written a letter to the Government of India seeking an extra 2,000 seats for Haj Pilgrims in Andhra Pradesh to get additional quota for the State Haj Pilgrims.

I would, therefore, request the Government of India to kindly intervene in the matter and take urgent steps to increase the Haj quota not only for Andhra Pradesh but to all States by removing the private operators in the current year itself. … (*Interruptions*)

DR. MIRZA MEHBOOB BEG (ANANTNAG): Madam, I would like to associate with it.… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Do you want to associate with it? You please send the slip. … (*Interruptions*)

SHRIMATI JAYAPRADA (RAMPUR): I would like to associate with the hon. Member on this issue.… (*Interruptions*)

SHRI BADRUDDIN AJMAL : I also associate with it.

SHRI RAJAIAH SIRICILLA : I am associating with the hon. Member in the matter of increase in the quota for Haj Pilgrims.… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: All right, you all associate with it. आप अपना नाम भेज दीजिए।

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इन्दौर): माननीय अध्यक्ष महोदया, अभी कुछ ही दिन पहले इस सदन में तेजस्विनी को जर्मनी में हुई वर्ल्ड चैम्पियनशिप में गोल्ड मैडल लाने के लिए हम सब ने मिलकर आपके द्वारा बधाई दी। मैं उसी दिन बोलना चाहती थी, मगर आनन्द के क्षण में मैं नहीं बोली।

तेजस्विनी को तो गोल्ड मैडल मिल गया। हमारे बच्चे अपनी तरफ से तो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मैं एक बात सामने लाना चाहूंगी कि हमारे यहां मंत्रालय के द्वारा जो निशानेबाजी के लिए वरिष्ठ और कनिष्ठ, सीनियर और जूनियर, जो पूरे बच्चे जाने थे, उसमें 50 बच्चों के नाम मांगे गये थे और नेशनल रायफल एसोसिएशन को यह कहा गया था कि हम 50 बच्चों को इसमें भेजेंगे। उन 50 बच्चों के नाम एसोसिएशन के द्वारा भेजे भी गये थे। जर्मनी जाने के तीन दिन पहले, अध्यक्ष महोदया, आप देखो, बच्चे इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन यह कहा गया कि हम 15 जूनियर खिलाड़ियों को नहीं भेज सकेंगे, हमारे पास बजट नहीं है। उसमें ज्यादा से ज्यादा 30-35 लाख रुपये लगने थे। यहां अभी जिस तरह से ओलम्पिक की बात हो रही है और उसमें करोड़ों रुपये इधर-उधर जा रहे हैं, मगर इन बच्चों को तीन दिन पहले कहा गया कि हमारे पास बजट नहीं है, अगर आपको जाना हो तो आप अपने खर्चे से जाना। ये जो जूनियर बच्चे हैं, यदि वास्तव में देखा जाये तो ये कल का गोल्ड मैडल हैं। वैसे ही ये जो शूटिंग की स्पर्धाएं हैं, ये बहुत महंगी रहती हैं। उनका जो पहले एम्युनीशन लगता है, सब माता-पिता वह खर्च करते हैं। मैं एक और बात सामने लाना चाहूंगी कि इन्हीं बच्चों में सीनियर गगन नाम के लड़के को पिस्तौल में ब्रोंज मैडल भी मिला है।

लेकिन आज भी इनको पिस्तौल में कोच एवलेबल नहीं है। इन्हें यह कहा जाता है कि आप अपने खर्च से कोच रख लीजिए। एक तरफ जहां इतने ज्यादा धन का दुरूपयोग हो रहा है, मैं चाहूंगी कि मंत्रालय इस पर ध्यान दे कि इस तरह से जूनियन बच्चों के साथ जो अन्याय हुआ है, उनको एम्युनिशन तो मिलते नहीं हैं, कोच भी ढंग से नहीं मिलते हैं। कहीं न कहीं मंत्रालय को इन बातों में दखल देना चाहिए। हमारे ऐसे बच्चे, उनमें तेजस्वनी ने तो गोल्ड मेडल लाकर दिखाया है, जो ऐसे होनहार बच्चे हैं, इन होनहार बच्चों को जाने से तीन दिन पहले ही ऐसा कहने से डीमोरलाइजेशन होता है, इसको रोकने की दृष्टि से मंत्रालय आगे इन बातों का ध्यान दे। अभी भी उन 15 बच्चों को हम पैसा दे सकें, जो अपने खर्च पर वहां गए हैं, उनके लिए व्यवस्था की जाए। महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को यह बात पहुंचाना चाहती हूं।

अध्यक्ष महोदया : श्री रामसिंह राठवा, श्री वीरेन्द्र कुमार, श्रीमती जयश्रीबेन पटेल, श्रीमती दर्शना जरदोश और श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी अपने आपको श्रीमती सुमित्रा महाजन के विषय के साथ संबद्ध करते हैं।

डॉ. ज्योति मिर्धा (नागौर): मैडम, मैं इस सदन का ध्यान प्रोफेसर जी. डी. अग्रवाल की तरफ आकर्षित करना चाहती हूं जो आईआईटी के प्रोफेसर थे और अभी भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। लोहारी नागपाला डैम न बने, उसके खिलाफ वह भूख हड़ताल पर बैठे हैं। जब पिछली बार वह भूख हड़ताल पर बैठे थे, तो हमारे यहां से पावर मिनिस्ट्री ने एक आश्वासन दिया था कि हम एक कमेटी सेट-अप करेंगे और अगर वह हमें सही रिपोर्ट देती है, तो हम इस प्रोजेक्ट को ओ.के. करेंगे, तब तक हम इसको सस्पेंड करते हैं। इसके बाद वह अड़तीसवें दिन फास्ट से उठे। कमेटी भी सेट-अप हुयी और नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथारिटी बनी। उसके जितने भी एक्सपर्ट मेंबर्स हैं, सभी नौ मेंबर्स इस लोहारी नागपाला प्रोजेक्ट के खिलाफ अपनी रिपोर्ट दे चुके हैं और सारे के सारे इसके खिलाफ हैं। टेक्निकल कमेटी वहां यह पता करने के लिए भेजी गयी थी कि कितना काम हो चुका है और क्या वह डैमेज रीट्रिएबल है? उन्होंने कहा कि हां डैमेज हुआ है, पर वह रीट्रिएबल है। जितने इन्वायर्नमेंट नार्म्स हैं, शुरू से लेकर आखिर तक वहां उस डैम के ऊपर सारे एन्वायर्नमेंटल लॉज तकरीबन फ्लाउट किए गए हैं। जब तक हिमालयन नदियों के ऊपर हम लोग क्यूमेलेटिव इंपैक्ट एसेसमेंट नहीं करा लेते, क्योंकि हर एक एन्वायर्नमेंट की एक कैरिंग कैपेसिटी होती है, अगर हम अंधाधुंध उसके ऊपर डैम बनाते जाएंगे, देश को पावर की जरूरत है, यह मैं भी समझती हूं, पर क्या देश को पानी की जरूरत नहीं है? वाटर सिक्योरिटी से कंप्रोमाइज करके पावर सिक्योरिटी लाने में ज्यादा विवेक मेरे हिसाब से समझ में नहीं आता कि हम लोग इसे काम में ले रहे हैं या नहीं। एन्वायर्नमेंट मिनिस्टर ने 16 जुलाई को प्रोटेस्टर्स के सामने यह कहा था कि reasons are purely fiscal, not environmental. फिस्कल में उन्होंने कहा था कि चालीस पर्सेंट काम इस डैम का हो चुका है, इसलिए हम चाहते हैं कि इसका बाकी काम कराया जाए। आरटीआई की एक इंक्वायरी की जवाब में आया कि इसमें पांच सौ करोड़ रूपए खर्च हुए हैं। 29 सौ करोड़ रूपए के प्रोजेक्ट के अंदर पांच सौ करोड़ रूपए का मतलब हुआ कि 17 प्रतिशत पैसा खर्च हुआ। उन्होंने कहा चालीस पर्सेंट काम खत्म हो गया। 13.85 किलोमीटर लंबी सुरंग बननी थी, जिसमें से मात्र 2.56 किलोमीटर लंबी सुरंग बनी है, जो लगभग 17-18 पर्सेंट हुआ।

पहली बात यह है कि चालीस पर्सेंट काम वहां नहीं हुआ। दूसरी बात उन्होंने कही कि मैं इस डैम के खिलाफ हूं, but there are people in the Ministry who think otherwise. मेरा कहना है कि जो हमारी नेशनल रिवर है, इकलौती रिवर जिसका सोर्स हमारे कंट्रोल में है, दूसरी रिवर्स के साथ

चाइना क्या कर रहा है, उसके लिए हम ज्यादा चिंतित हैं, पर एकमात्र जो सोर्स हमारे कंट्रोल में है और हम अपनी नदी के साथ क्या करना चाह रहे हैं? मेरा सरकार से निवेदन है कि प्रो. जी.डी. अग्रवाल की स्थिति आज बिगड़ने लगी है क्योंकि 20 जुलाई से इसी चीज को लेकर वह भूख हड़ताल पर बैठे हैं। वह साइंटिस्ट हैं, भावनाओं में बहकर यह काम नहीं कर रहे हैं, प्योरली साइंटिफिक बेसिस के ऊपर ऐसा कर रहे हैं। सरकार ने कहा कि रीजन फाइनैंशियल हैं। फाइनैंशियल रीजन के लिए जो धार्मिक नेता वहां इस मुहिम में जुटे हुए हैं, उन्होंने कहा कि हम आपको पैसा रीअंबर्स करेंगे, सरकार ने उनके आफर को ठुकरा दिया। मुझे यह समझ में नहीं आता कि जब कोई प्रोजेक्ट एन्वायर्नमेंटली, इकानामिकली, कल्चरली, सोशियली वाइबल नहीं है, तो सरकार उसको ओ.के. करके कैसे कह सकती है कि हम इसको आगे बनाना चाहते हैं? मेरा यह निवेदन है कि गंगा की जितनी भी हिमालयन रिवर्स हैं, उन सभी के ऊपर जब क्यूमेलेटिव इंपैक्ट एसेसमेंट नहीं हो जाए, तब तक के लिए सारे प्रोजेक्ट्स को सस्पेंड कर देना चाहिए, क्योंकि पावर से पहले हमें पानी की सिक्योरिटी देखनी पड़ेगी। जो पानी गंगा में आता है, वह राजस्थान में पाइप लाइन के थ्रू मेरी कांस्टीच्युएंसी में भी पानी पहुंच रहा हे, जो कि पीने के काम आता है। मैं सरकार से निवेदन करूंगी कि जी.डी. अग्रवाल जी को भूख हड़ताल से उठाया जाए और तब तक इनको सस्पेंड किया जाए जब तक कि इन सभी निदियों पर क्यूमेलेटिव एसेसमेंट नहीं होता।

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण (साबरकांठा): अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे ज़ीरो आवर में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं आपके माध्यम से एयर इंडिया अथॉरिटी द्वारा मुसाफिरों के साथ किए गए खराब व्यवहार के बारे में सदन एवं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह 22 जुलाई, 2010 को अहमदाबाद, गुजरात राज्य के एयरपोर्ट से संबंधित घटना है। उस दिन जेट एयरवेज़ फ्लाइट के हाइड्रॉलिक सिस्टम खराब हो जाने के कारण एयरपोर्ट का रनवे बंद कर दिया गया था। उसी वक्त रात को एयर इंडिया की फ्रैंकफर्ट से अहमदाबाद आने वाली फ्लाइट नम्बर एआई-144, जो रात को 9.10 बजे आने वाली थी, रनवे बंद होने के कारण उसे मुम्बई एयरपोर्ट पर डाइवर्ट कर दिया गया। मुम्बई एयरपोर्ट पर प्लेन लैंडिग होने के बाद सभी 250 यात्रियों को पूरी रात यानी रात के दस बजे से सुबह सात बजे तक प्लेन में बैठे रहने का आदेश दिया गया। उनके लिए किसी होटल में खाने-पीने या रहने की व्यवस्था नहीं की गई। यात्रीगण पूरी रात प्लेन में बैठे रहे और किसी को भी प्लेन से नीचे उतरने की अनुमति नहीं दी गई। यात्रीगणों में कई वृद्ध, छोटे बच्चे एवं महिलाएं थीं जिनकी हालत बहुत खराब हो गई थी। वृद्ध लोग परेशान थे, बच्चे रो रहे थे एवं महिलाएं बेचैन थीं। अहमदाबाद में यात्रीगणों के सगे संबंधियों को सही जानकारी नहीं दी गई। सबसे खराब बात यह है कि जब तक प्लेन मुम्बई एयरपोर्ट पर था, यात्रियों को खाने-पीने की

सुविधा नहीं दी गई एवं पीने के पानी की बोतल भी नहीं दी गई। दूसरे दिन पूरे 39 घंटों बाद प्लेन ने अहमदाबाद एयरपोर्ट पर लैंड किया। जब यात्रीगणों ने अथॉरिटी के सामने शिकायत की तो उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया।

मैं सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस अमानवीय क्रूर व्यवहार के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाए, दोषियों को दंडित किया जाए ताकि अव्यवहारिक व्यक्तियों के कारण भारत की छवि खराब न हो। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदया : श्रीमती दर्शना जरदोश, श्री महेन्द्रसिंह चौहान द्वारा उठाए गए विषय के साथ अपने को सम्बद्ध करती हैं।

SHRI ADHIR CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Madam Speaker, we are all aware that India is a victim of subversive activities being perpetrated by anti-national forces at the behest of a hostile neighbour, and we have been inflicted day in and day out.

Recently news have come up that Pakistan telecom companies are installing mobile towers along the Indo-Pak border. It has a serious security implications because it has been found that Pakistan SIM mobiles are very much active in various locations inside the Indian territory. Not only that, as much as 30 kilometres deep inside the territories of our country, the signal of Pakistan mobile tower was being received. It is a matter of serious security implication. We are leading the world on information technology; but why we are not able to stop the mischievous intentions and the activities being perpetrated by our hostile neighbour. Violation of ceasefire agreement is very much rampant also along this border.

Even along the Bangladesh border mobile towers are being installed. The smugglers are exploiting the same mobile tower facilities being installed along the Indo-Bangla border. That is why, it is a matter of serious concern because, I think, it is a technological aggression against our country. It is tantamount to infringement upon the sovereignty of our country. That is why, I would urge upon

this Government to take up this matter with the Pakistani Government – but it must keep in mind – not meekly but boldly.

SHRI B. MAHTAB (CUTTACK): Madam Speaker, I do not want to interrupt the proceedings of the House. But for the last one week, I have been trying to raise a very important matter during 'Zero Hour'. I have also apprised you about it. After the conclusion of the list of Members for raising 'Zero Hour' matters that has been listed today, please allow me to raise a very important matter.

श्री नारनभाई कछाड़िया (अमरेली): अध्यक्ष महोदया, मैं 21 जुलाई, 2010 को बिजनेस भास्कर में जो प्रैस रिपोर्ट आयी थी, उस बारे में बताना चाहता हूं। मल्टी ब्रांड रिटेल को लेकर यूपीए सरकार एक बार फिर से छोटे दुकानदारों की रोजी-रोटी पर धावा बोलने जा रही है।

महोदया, हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश के साथ-साथ एक विकासशील देश भी है। हमारे देश में जनसंख्या का बड़ा बोझ होने के कारण एक लंबे अर्से से बेरोजगारी की समस्या चलती आ रही है। लोगों के पास इतनी पूंजी नहीं है कि वें बड़ा व्यापार कर सकें, इसलिए हमारे देश की जनसंख्या का एक बड़ा भाग मल्टी ब्रांड रिटेल के साथ सीधे जुड़ा हुआ है। हमारे देश की जीडीपी में रिटेल की हिस्सेदारी लगभग दस प्रतिशत है और प्रत्येक वर्ष आठ से नौ प्रतिशत की वृद्धि भी हो रही है। यदि आंकड़ों के अनुसार देखा जाये, तो पांच करोड़ से अधिक मध्यम वर्ग के व्यापारी, छोटे-छोटे वर्ग के व्यापारी रिटेल से रोजगार प्राप्त कर रहे हैं और 20 करोड़ से अधिक अन्य लोग ऐसे हैं जो अपनी रोजी-रोटी के लिए रिटेल व्यापार पर निर्भर करते हैं।

महोदया, यदि केन्द्र सरकार मल्टी ब्रांड रिटेलर, एफडीआई को इजाजत दे देती है, तो उसका फायदा वालमार्ट, केरियरफोर्ट, टेसको और मेट्रो जैसी दुनिया की बड़ी कम्पनियों को मिलेगा। इसके विपरीत हमारे देश के साढ़े तीन करोड़ से अधिक गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के व्यापार पर उसका सीधा असर पड़ेगा। आज इस खुदरा कारोबार में साढ़े तीन करोड़ देशवासी लगे हुए हैं। इनमें से ज्यादातर असंगठित क्षेत्र के हैं और गांव, गली-मोहल्लों में छोटी-बड़ी दुकानें खोलकर अपने परिवार का भरण-पोषण कर रहे हैं। आज पूरे देश में महंगाई ने गरीब परिवार का जीना मुश्किल कर दिया है और इस सरकार की नीति को देखते हुए यह साफ जाहिर होता है कि सरकार की नीति गरीब जनता के लिए नहीं बल्कि पूंजीपतियों के लिए है। यदि सरकार अपनी नीति नहीं बदलेगी तो सभी छोटे और मध्यम वर्ग के व्यापारी धरना-प्रदर्शन करेंगे और अपने रोजगार को बचाने के लिए संसद तक आयेंगे।

श्री आर.के.सिंह पटेल (बांदा): अध्यक्ष महोदया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश देश का सबसे पिछड़ा प्रांत बुन्देलखंड है और बुन्देलखंड में सबसे पिछड़ा जिला चित्रकूट है। माननीय ऊर्जा मंत्री ने बरगढ़ क्षेत्र में चार हजार मेगावाट का एनटीपीसी का पावर प्लांट लगाने की घोषणा की थी।

अध्यक्ष महोदया, मैंने पिछले सत्र में नियम 377 के अन्तर्गत इस बारे में माननीय ऊर्जा मंत्री जी से अनुरोध किया था और उन्होंने जवाब दिया था कि वहां चार हजार मेगावाट का पावर प्लांट लगाया जा रहा है। उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही के बारे में वार्ता जारी है। मेरी जानकारी में आया है कि उस प्लांट को मध्य प्रदेश में स्थानांतरित कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में उस पावर प्लांट को नहीं लगाया जा रहा है। उसी पिछड़े बरगढ़ क्षेत्र में माननीय राजीव गांधी जी ने अपने कार्यकाल में ग्लास फैक्टरी लगाने हेतु उद्घाटन किया था। उस बरगढ़ ग्लास फैक्टरी में कई करोड़ रुपये लगने के बाद भी उसमें मशीनें नहीं लगायी गयीं। वह फैक्टरी नहीं चलायी जा सकी है। उस पिछड़े क्षेत्र में जो चार हजार मेगावाट विद्युत का पावर प्लांट लगने जा रहा था, उसे उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में न लगाकर मध्यप्रदेश में कहीं ट्रांसफर कर दिया गया है, जबकि वहां पानी भी उपलब्ध है। प्रतापपुर पम्प केनाल से पानी मिलने की बात माननीय मंत्री जी ने स्वीकार की है। वहां पर रेलवे लाइन है जहां कोयला आने का साधन भी था। वहां सारे संसाधन उपलब्ध थे। वह उपजाऊ भूमि में न लगकर अनउपजाऊ भूमि में लग रहा था। लोग भूमि देने के लिए तैयार थे, लेकिन पता नहीं उस पावर प्लांट को किस कारण उत्तर प्रदेश से बाहर ट्रांसफर किया जा रहा है।

मेरी आपके माध्यम से इस सदन और माननीय ऊर्जा मंत्री जी से मांग है कि चार हजार मेगावाट का पावर प्लांट चित्रकूट जिले के बरगढ़ क्षेत्र में स्थापित किया जाये। ...(व्यवधान)

13.00 hrs.

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी): महोदया, मैं स्वयं को श्री आर.के.सिंह पटेल की बात से संबद्ध करते हुए कहना चाहता हूं कि पिछले तीन साल से केन्द्र सरकार उत्तर प्रदेश की उपेक्षा कर रही है।

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह): महोदया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि झारखण्ड राज्य में कई परियोजनाएं अनेक वर्षों से लंबित हैं और इस बारे में कई बार रेलवे से आग्रह किया गया, लेकिन हर बार रेलवे की ओर से नकारात्मक जवाब और झारखण्ड राज्य के बारे में सौतेला व्यवहार देखने को मिला। गिरीडीह-पारसनाथ-मधुबन को रेल लाइन से जोड़ने की घोषणा की गयी, सर्वे के लिए भी बात आई, लेकिन अभी तक कार्य में कोई प्रगति नहीं है। कोडरमा-गिरीडीह-हजारीबाग रेल लाइन परियोजना भी आज की तारीख में लंबित पड़ी है और वर्तमान में कोडरमा-बरकाखाना-गढ़वारोड, बरकाखाना-गोमो-धनबाद मंडल,

सोननगर-गढ़वारोड-मुगलसराय मंडल पर समपार गैलरियों के फीडर मार्ग पर पुलों का मजबूतीकरण के काम लंबित हैं। यह विषय नियम 377 के तहत भी सदन में उठाया गया। रामाकुंडा हाल्ट के बारे में भी इस सदन में वर्ष 1996 से हम लोग बात रख रहे हैं, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। फुसरो का रेल समपार, जहां मेरा निवास है, को बंद कर दिया गया और आज कोल ट्रंक रोड, जो भारत सरकार और कोल इंडिया द्वारा बनाई गयी थी, जो बंगाल और झारखण्ड को जोड़ने का काम करती है, उसको भी वर्तमान में बंद रखा गया है। चन्द्रपुरा में आज लगभग 10 वर्ष से लोग जहां से लाइन पार करते थे, मोटर साइकिल वगैरह पार होती थी, उसको भी बंद कर दिया गया है। रेलवे का नकारात्मक रवैया है कि धनबाद जो झारखण्ड का एकमात्र और कोयलांचल का सबसे बड़ा जंक्शन है, वहां वीआईपी पार्किंग को बंद कर दिया गया है। इस विषय में हम लोगों ने रेल मंत्रालय से चर्चा की तो उन्होंने कहा कि सुरक्षा कारणों इसे बंद किया गया है, जब तक वहां आज तक न कोई एफआईआर दर्ज की गयी है, न कहीं कोई दुर्घटना घटी है। इसके साथ ही अंगारपथरा, कतरासगढ़ रेल फाटक को भी लगभग एक वर्ष से बंद करके रखा गया है, जिससे वहां का आवागमन में बाधा हो रही है और लोगों को पांच किलोमीटर घूमकर जाना पड़ता है। मेरा आपसे आग्रह है कि इस विषय पर आपके माध्यम से रेल मंत्रालय को यह आदेश निर्गत किया जाए कि ये जनहित से जुड़े हुए मामले हैं और इन पर अविलम्ब कार्रवाई हो।

श्री संजय निरुपम : महोदया, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि जो विषय मैं प्रश्नकाल में रखना चाहता था, उसे आपने जीरो ऑवर में उठाने का मौका दिया। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी सदन में उपस्थित हैं, यह भी बहुत अच्छी बात है। वह हमारी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं और बहुत ही गंभीर एवं सक्रिय स्वास्थ्य मंत्री हैं। मैं आपके माध्यम से उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : उनको बोलने दीजिए। अभी आपकी बारी आएगी।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए।

श्री संजय निरुपम : महोदया, मैं किसी भी प्रकार के राजनीतिक मुद्दे पर बोलने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं। यह मुंबई का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसे लेकर खड़ा हुआ हूं। वह प्रश्न एमसीआई की मनमानी और भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है। एमसीआई की मनमानी और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक अच्छा काम हो रहा है, पिछले अध्यक्ष को गिरफ्तार करके तिहाड़ जेल में डाला गया है, वहां एक नई बॉडी बनाई गयी है। लेकिन अब नई बॉडी बनने के बाद भी क्या सचमुच सही ढंग से काम हो रहा है? कल मुंबई के टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार ने खबर दी कि मुंबई के एक ऐतिहासिक अस्पताल, जो वर्ष 1926 में स्थापित हुआ था, 88

वर्ष पुराने किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज को डिरिकग्नाइज करने के लिए फिर से नोटिस दी गयी है। पिछले तीन वर्षों से, वर्ष 2007 से इस प्रकार की नोटिस दी जा रही है। एक ऐसा मेडिकल कॉलेज जहां से प्रतिवर्ष 180 डाक्टर्स पढ़कर निकलते हैं और पूरी दुनिया में वहां के डाक्टर जाते हैं, शायद दिल्ली में भी वहां के बहुत से डाक्टर्स होंगे। मैंने पता लगाने की कोशिश की कि डिरिकग्नाइज करने की नोटिस और धमकी क्यों दी जा रही है, तो मुझे बताया गया कि सिर्फ इसलिए कि वहां पर लेक्चरर्स की कुछ पोस्ट्स वैकेंट हैं।

उन लेक्चरर्स की कौन सी पोस्ट्स खाली हैं, वे पोस्ट्स एस.सी. और एस.टी. के लिए हैं, वे ही खाली हैं और उनका बैकलॉग बन गया है। यह काम अस्पताल का नहीं है, सरकार का काम है। अगर एस.सी. और एस.टी. के नए बच्चे वहां डाक्टर्स या लेक्चरर्स बन कर आएं तो उन्हें रिक्रूट किया जा सकता है। अगर नहीं आ रहे हैं तो इसमें अस्पताल का कोई दोष नहीं है। इसलिए किस आधार पर उस अस्पताल को डिरिकोग्नाइज करने का नोटिस दिया जा रहा है? मैं इस बारे में मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वह कृपया इस असप्ताल को, जो मुम्बई के इतिहास से जुड़ा हुआ है, उसके डिरिकोग्नीशन को जितनी जल्दी हो सके खारिज किया जाए। मुझे मालूम है एमसीआई एक एटोनॉमस बॉडी है इसलिए मंत्रालय का उसमें ज्यादा दखल नहीं हो सकता। लेकिन एमसीआई का जो कामकाज है...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: ठीक है, आपने अपनी बात कह दी। अब आप बैठ जाएं, क्योंकि अभी काफी सदस्यों को बोलना है।

...(व्यवधान)

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन (भागलपुर): संजय जी, मुझे बोलने दें, क्योंकि रमजान का महीना शुरू हो गया है, मुझे जल्दी जाना है।...(व्यवधान)

श्री संजय निरुपम : मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। एमसीआई की जो इस प्रकार की मनमानी भरी नोटिस है, वह केवल किंग एडवर्ड मेमोरियल अस्पताल, मुम्बई के लिए ही नहीं है, बल्कि चंडीगढ़, जम्मू के अस्पतालों के लिए भी है। इसलिए मैं स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वह इस अस्पताल को बचाने के लिए तुरंत कार्रवाई करें।

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : मैडम, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। रमजान मुबारक का आज पहला जुमा है, मुझे जाना है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि लेह, लद्दाख में जो इतनी बड़ी घटना हुई, सरकार कितनी संवेदनहीन है कि वहां करीब 600 लोग मारे गए हैं और सरकार 282 लोगों के मारे जाने की बात कबूल

कर रही है। उसमें कई सैनिक जो बिहार के रहने वाले थे, लेकिन वे देश के सैनिक थे। करीब 33 सैनिक जो सीमा पर भारत की निगरानी कर रहे थे, वे बहकर पाकिस्तान चले गए। आप पाकिस्तान का व्यवहार तो जानती ही हैं कि वह किस तरह का व्यवहार हमारे सैनिकों के साथ करता है। आज तक सरकार ने या डिफेंस मिनिस्टर ने एक भी स्टेटमेंट नहीं दिया, जबकि इस पर स्टेटमेंट होना चाहिए था। मैं बहुत दिनों से सदन में हूं, लेकिन मैं पहली बार देख रहा हूं कि जहां हमारे 33 सैनिक बहकर चले गए और 600 लोगों से ज्यादा मर गए हों, डिफेंस मिनिस्टर ने अभी तक यहां कोई संवेदना उनके प्रति प्रकट नहीं की है और न ही कोई स्टेटमेंट हुआ। यहां पर स्वास्थ्य मंत्री जी मौजूद हैं, वह खुद कश्मीर से हैं। उन सैनिकों के परिवार वाले, जो बिहार के हैं, वे हमसे कांटेक्ट कर रहे हैं। हमें आपका इस विषय पर संरक्षण चाहिए। लगता है यह सरकार उन सैनिकों के लिए चिंतित नहीं है। क्या उनके परिवार वाले उन्हें तलाशने के लिए पाकिस्तान जाएंगे? मेरी सरकार से मांग है कि वह तुरंत सदन में इस विषय पर स्टेटमेंट दे। वहां जो घटना हुई है, उसके बारे में जानकारी दे और उन सैनिकों की चिंता करे जो बहकर पड़ोसी मुल्क में चले गए हैं, क्योंकि उनकी अभी तक बॉडी भी नहीं मिली है। पूरे देश के अंदर इस बात का गुस्सा है इसलिए सरकार को जागना चाहिए। मेरा आपके जरिए सरकार से यही अनुरोध है। मैं चाहूंगा कि सरकार तुरंत इतनी बड़ी घटना पर स्टेटमेंट दे, लेकिन सरकार अभी तक खामोश है। इनकी खामोशी का राज़ क्या है, यह हम जानना चाहते हैं? इसलिए सरकार को रिस्पॉंड करना चाहिए, क्योंकि यह कोई मामूली बात नहीं है। वे 33 सैनिक देश की रक्षा कर रहे थे, वे कोई ट्यूरिस्ट्स नहीं थे। सीमा से वे बह गए हैं इसलिए सरकार को उस पर तुरंत रिस्पॉंड करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदया: श्री अर्जुन मेघवाल, श्री राजेन्द्र अग्रवाल भी अपने को इस विषय के साथ एसोसिएट करते हैं। स्वास्थ्य मंत्री जी इस पर कुछ कहना चाहते हैं।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद): मैडम स्पीकर, वैसे तो यह डिफेंस मिनिस्टर साहब को कहना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं गए। केन्द्र सरकार के दो केबिनेट मिनिस्टर फारुक अब्दुल्ला साहब और मैं दूसरे दिन ही वहां पहुंच गए थे। लेह में जो प्राकृतिक आपदा से नुकसान हुआ था, उसका जायजा लिया था। यहां पर सीनियर्स लोगों को मालूम होगा कि पहाड़ी इलाके में, खासकर लद्दाख में दो बजे के बाद फ्लाइट नहीं जाती है, हैलिकॉप्टर भी नहीं जाता है। लेकिन तब भी हम दोनों केबिनेट मिनिस्टर्स ने दबाव डालकर हैलिकॉप्टर से वहां जाने का तय किया और शाम को छः बजे वहां लैंड किया और उन जगहों को देखा। वहां पर ब्रिगेडियर आर्मी के और एयर फोर्स के लोग भी पोस्ट के सामने थे, जिन्होंने वह जगह भी दिखाई। वह पूरा एरिया जिसमें 25 सैनिक थे, तीन लोडर्स थे, जो उसके नीचे

आए हैं। वह करीब 20-25 फीट, यहां से तकरीबन आधा किलोमीटर तक चौड़ा और इतना ही लम्बा एरिया है। उसमें आर्मी वाले बचाव कार्य में लगे हुए हैं। बॉर्डर का जो रास्ता है, वह पीओके के पास का है।

यह वही इलाका है जो वर्ष 1971 में हमने पीओके से रिट्रीव किया था, उस इलाके में यह घटना हुई है। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि वहां कोई गया नहीं है।

SHRIMATI JAYAPRADA (RAMPUR): Madam Speaker, I wish to draw the kind attention of this House towards an important issue pertaining to the problems being faced by the tea and coffee growers in the country.

At present, almost the entire production of coffee, rubber and cardamom comes from the three Southern States of Kerala, Tamil Nadu and Karnataka. Coffee industry had plunged into a financial crisis due to unremunerative prices during the period from 1999 to 2005. Heavy rainfalls in 2006 to 2008 led to severe infestation of coffee plants and diseases like white stem borer and leaf rust resulted in significant crop loss of more than 35 per cent. As a result, the coffee farmers have been pushed to a debt trap. They have approached the Government for a comprehensive debt relief package.

Their demands from the Government are that all loans of growers in the scheduled commercial banks, RRBs and Cooperative Banks up to 20 hectares be waived; waiving off 70 per cent of the debt burden of growers; and withdrawal of cases pending before the Debt Recovery Tribunal. As regards partnership firms, I wish to point out that in the case of individuals there is no tax, but if it is a partnership, the Government is putting tax.

Another issue that has been agitating the minds of plantation growers is taxation – the rate and structure of taxation of agricultural income. Initially, income from agriculture including plantations was not taxed. But, now as a measure of augmenting their revenue, State Governments have gone on increasing the Advance Income Tax rates. Tamil Nadu has repealed the Advance Income Tax and there is no tax in Tamil Nadu today. But in Kerala there is 50 per cent tax and in Karnataka though slowly they have come down, it is still there up to 30-35 per cent.

MADAM SPEAKER: What do you want from the Central Government?

SHRIMATI JAYAPRADA : I want them to get relief from the Central Government. The plantation income should be equated with that of industrial or agricultural level. They are really in a crisis and they are committing suicide. The Government can help them by reducing the tax rates. The discrimination between the States also has to be put an end to. There should be coordination between the States and the Centre. While the Centre is reducing taxes, the States are discriminating and are charging different rates of taxes. It is putting more burden on them.

I urge upon the Government to take a serious look into this, give relief to the planters by solving their problems.

योगी आदित्यनाथ : अध्यक्ष महोदया, मैं आपका ध्यान जम्मू-कश्मीर के अंदर अमरनाथ की पवित्र यात्रा की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। गुरू-पूर्णिमा से लेकर श्रावण-पूर्णिमा तक एक माह की यात्रा चलती है। देश और विदेश से भी हिंदू बड़ी पवित्र भावना के साथ अमरनाथ की यात्रा में भाग लेते हैं। लेकिन यह बड़े

दुर्भाग्य की बात है कि जब यह यात्रा शुरु होती है तो उससे पहले जम्मू-कश्मीर के अंदर उपद्रव शुरु हो जाते हैं और उन यात्रियों के सामने गंभीर संकट पैदा हो जाता है।

अध्यक्ष महोदया : आपने दूसरे विषय के लिए नोटिस दिया था।

योगी आदित्यनाथ : महोदया, मैंने जीरो-आवर का नोटिस दिया था, मैं जीरो-आवर में बोल रहा हूं और मेरा एडजोर्नमेंट पर नोटिस था, आपने बुलवाया नहीं, अब मैं जीरो-आवर में बोल रहा हूं।

अध्यक्ष महोदया : आप डेंगू विषय पर बोलिए।

योगी आदित्यनाथ : महोदया, दोनों विषय महत्वपूर्ण है। आप मुझे दोनों विषयों पर बोलने दीजिए।

अध्यक्ष महोदया : ऐसा नहीं हो सकता है। आपने जिस विषय का नोटिस दिया है, उसी विषय पर बोलिए।

योगी आदित्यनाथ : महोदय, अमरनाथ की यात्रा पर किसी सदस्य ने नहीं बोला है। वह यात्रा मात्र 24 अगस्त तक है और वहां जो दुर्व्यवस्था है, उसकी तरफ सदन और सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदया : धन्यवाद। अब आप बैठ जाएं।

श्री रामकिशुन।

योगी आदित्यनाथ : महोदया, मुझे अति लोकमहत्व के विषय पर बोलने नहीं दिया गया, मैं इसका विरोध करते हुए वाक-आउट करता हूं।

13.16 hrs

At this stage, Shri Yogi Aditya Nath left the House

श्री रामकिशुन (चन्दौली): महोदया, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। भारतीय रेल हमारे देश की जीवन-रेखा है। करोड़ों लोग प्रति वर्ष देश के इस कोन से उस कोने तक आते जाते हैं। विगत एक महीने के अंदर ट्रेन में डैकती और लूट तथा जहरखुरानी जैसी तमाम घटनाएं प्रकाश में आई हैं। इतना ही नहीं नक्सली हमलों के शिकार से भी हमारी रेलवे की 500 करोड़ से ज्यादा की सम्पत्ति का नुकसान हो चुका है। रेलवे यात्रियों में दहशत है। यात्री जहरखुरानी से प्रभावित हैं और कई लोगों की तो मृत्यु भी हो चुकी है। अब तक दो दर्जन ट्रेनें लुटेरों के हवाले हो गई हैं। कई घंटे

हमारी ट्रेनें नक्सलियों या असामाजिक तत्वों के हाथों अपहरण हो कर रहती हैं। उनमें हमारे बच्चे, महिलाएं, देश के यात्री हैं। उनमें दहशत है। हमारी सरकार से, रेल मंत्री जी से मांग है कि रेलवे की सुरक्षा बढ़ाएं। आम लोगों में इस प्रकार की घटनाएं बढ़ने से जो भय है, उन पर प्रभावी तौर पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है। जो मुगल सराय रेलवे यार्ड है, वहां प्रतिदिन दस-बारह लोग जहरखुरानी का शिकार होते हैं। रेल मंत्री से मांग है कि रेल की दुर्घटनाएं हो रही हैं, सम्पत्ति का नुकसान हो रहा है, उस पर प्रभावी नियंत्रण किया जाए।

श्री विष्णु पद राय (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह): अध्यक्ष महोदया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में लोगों को द्वीप से द्वीप जाने के लिए बोट सर्विस लाइफ लाइन है और पैसेंजर-कम-व्हीकल सर्विसज़ तथा बोट सर्विसेज़। भारत सरकार कह रही है कि प्लान और नॉन-प्लान फण्ड में हमारे द्वीप समूह पर एक आदमी पर 50 हजार रूपये खर्च होते हैं, लेकिन सेवा के नाम पर जहाज सेवा लंगड़े की तरह चल रही है। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं, चाताम से बाम्बूफ्लैट, मिडल स्टेट से निलाम्बुर, उत्तरा जेट्टी से गांधी घाट जेट्टी में पैसेंजर व्हीकल सर्विस बुरी तरह से अनियमित है। 50 साल पहले में जो आबादी बढ़ी, इन्फ्रास्ट्रक्चर, जैसे लेंडिंग रैम्प, स्लीप वे और जेट्टी उसी मुताबिक नहीं बनी है। ड्राई डॉक की बहुत कमी है। जापान काल के समय में जो ड्राई डॉक बनाया गया था, आज भी वही चल रहा है। जैट्टी, जहाज और लेंडिंग रैम्प कम होने के कारण मारपीट, धरना, हड़ताल और कोर्ट कचहरी में केस चल रहे हैं। मिडिल स्टेट से निलाम्बुर तथा उत्तरा जेट्टी से गांधी घाट जेट्टी में पारापार के लिए कार्गो ट्रक, टूरिस्ट बस, वाहन तथा पैसेंजर दस घण्टे खड़े रहते हैं।

सबसे दुख की बात है कि जिस धरती का बेटा, अंडमान का बेटा, मिटैगरी बस्ती जंगलीगढ़ से बस्ती मिटैगरी में वोट सर्विस थी। 40 साल वोट सर्विस चली। सुनामी के बाद वोट सर्विस बंद हो चुकी है। करोड़ों रुपये खर्च कर दिये गये। जेट्टी बनाया गया। लेकिन जंगलीघाट पर जेट्टा, व्हाइट एलीफेंट खड़ा है। वहां से अभी तक वोट सर्विस शुरु नहीं हुआ। मायाबंद टू हंसपुरी वोट सर्विस थी, बंद हो गई। कालीघाट टू मायाबंदर वोट सर्विस थी, बंद हो गई। कचाल द्वीप जहां पर हमारे मंत्री जी गये थे, तत्कालीन हरिन पाठक जी गये थे, वहां वोट सर्विस बंद हो गई। द्वीप में ऐसा अंचल है, गणेश नगर, शांति नगर, कृष्णा नगर, पश्चिम सागर, जगन्नाथ डेरा आदि एरिया में आज भी वोट सर्विस सेवा आरम्भ नहीं की गई है। भगवान न करे, सुनामी आ जाए और उनके निकलने का रास्ता कोई नहीं है। उनके यातायात का साधन भी कोई नहीं है। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस क्षेत्र में भारत सरकार के मंत्री एक बार अंडमान-

निकोबार में जाएं। आज सरकार के एक भी मंत्री यहां पर नहीं बैठे हुए हैं। जो मैंने अपने क्षेत्र की समस्या रखी है, उसका जल्दी से समाधान किया जाए। धन्यवाद।

SHRI KHAGEN DAS (TRIPURA WEST): Thank you, Madam. With your kind permission, I am raising an important issue with regard to repatriation of Reang refugees.

The influx of Reang refugees of Mizoram has been a great and grave concern for Tripura. This has been creating social, administrative, and law and order problems. The influx of Reang Tribals started from October 1997 due to serious ethnic problems in Mizoram. At present, the State has more than 40,000 persons from 6,138 Reang families of which 800 families have arrived after 13th November 2009. The State Government has time and again taken up the issue with the Government of India as well as the Government of Mizoram and series of meetings -- at different levels -- have taken place, but without any result. Instead, new families have come over from Mizoram from November 2009.

The National Human Rights Commission, after a spot visit, had emphasized that it was the Constitutional obligation of the Government of Mizoram to take back Reang refugees and ensure their peaceful settlement. Out of the 2,746 new Reang migrants, who had arrived in Tripura after 13th November 2009, the Government of Mizoram has agreed to take back 259 families only and have actually taken back 184 families comprising 884 migrants only so far. As a humanitarian measure, the State Government has extended relief benefits to these families and sought for Rs. 1.87 crore for reimbursement up to March 2010 for these new families, but the State is yet to receive the amount.

I would, therefore, strongly demand that the Government of India must take urgent pro-active steps to ensure repatriation of Reang refugees and their peaceful settlement in a time-bound manner.

13.21 hrs.

SUBMISSIONS BY MEMBERS – Contd.

(ii)Re : Reported non-grant of Central Government permission for renewal of seats of 3rd year BDS course of Dental Wing, SCB Dental College and Hospital, Cuttack.

SHRI B. MAHTAB (CUTTACK): Thank you, Madam, for allowing me to raise this important issue at a time when the hon. Health Minister is present in this House.

I would like to draw the attention of the Government, through you, to the issue of non-grant of Central Government permission for renewal of third-year BDS course in the Dental Wing of the Sriram Chandra Bhanj (SCB) Dental College and Hospital, Cuttack.

The seats for the third-year BDS course in the Dental Wing of the SCB Dental College and Hospital, Cuttack, which was already granted, has been reduced this year by 30 seats. The Dental Council of India has given four reasons for reducing it, and the Government is insisting on it. One reason that is given is that adequate floor space is not there. How much is their requirement? The requirement is 50, 000 square feet of space, and already 30,000 square feet of space is there. Another 20 square feet of space is under construction, and it will be completed by the Month of November.

But citing that example, the enhancement of seats is being stopped. Second is relating to the purchase of dental chairs. We need 100 dental chairs – already 50 dental chairs are there 40 are in the process of procurement, already allotment is there, and it is going to be available in the month of October. But still citing that example that this shortage is there, seats are not being given. Third is adequate posts are not there. The Government has already sanctioned the posts, and the Public Service Commission is going to recruit the personnel, and it is going to be done within this academic year. There is hardly any problem in that. The fourth is about adequate and sufficient library material, which is required. That is in the

process, and the Government of Orissa has assured the Central Government. The Secretary of Health and Family Welfare has written to the Government of India.

The larger question is without giving a hearing to the Principal of the Dental College, this decision has been taken. A letter was sent that he should be present here and that letter was received later. I would urge upon the Government to please consider it. Do not play with the lives of the students of the dental college of SCB Medical College and Hospital. I would like to get a response from the Minister. The State Government and I have appraised the Government. Please respond to it. It would be helpful.

SHRI ARJUN CHARAN SETHI (BHADRAK): I associate myself with whatever he has stated.

MADAM SPEAKER: Please send your name to the Table.

SHRI ARJUN CHARAN SETHI : Madam, the hon. Minister is here. Please allow the hon. Minister, if he is willing to say something. I request the hon. Minister, through you, Madam, to respond to the queries which were raised.

MADAM SPEAKER: The hon. Minister wants to respond, please sit down.

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI GHULAM NABI AZAD): Let me tell this House that we do not interfere in the working of MCI, which was there earlier, and now with the Board of Governors, at any stage. We have not recommended even a single case. I would also like to inform the hon. House about a dental college in Jammu which was having some deficiencies which were brought to my notice when I was the Chief Minister. It is almost three years since then and at that time we were assured that they would fill up the gaps which were there. Till date they have not done that. This time the Dental Council recommended the de-recognition of that college and as Minister I have signed that.

I wanted to set an example. If we want education, it should not be mere education, but it has to be quality education. Sometimes, the State Governments come to MCI or the Board of Governors or the Government of India saying that it is under Government control. I think it is the responsibility of the Government to

provide quality education and to create infrastructure and full faculty. It is much more important because if the Governments cannot provide the faculty and infrastructure, how can the Medical Council or the Dental Council blame the private sector? Persistently and continuously, whether it is the medical colleges or Government colleges of my State or Orissa, or for that matter any State, they cannot ask for concessions under the garb that they are run by the Government. It means the Government itself is not providing quality education.

Whatever the hon. Member has said, he raised four or five points, the Medical Council will not go by the Government's promise that they will conduct the elections, they will go to the Public Service Commission and the Public Service Commission will appoint, I think these things are common. It is not only for you, even in case of my State also, instead of taking concession every time, we should build the infrastructure and appoint the faculty.

SHRI B. MAHTAB (CUTTACK): The work is in process and the Government has written a letter. The Under Secretary has written a letter.

MADAM SPEAKER: Hon. Member, you can meet the hon. Minister later. Maybe, the hon. Minister should invite the hon. Member to his office and discuss the matter. On this issue, Shri Kailash N. Singh Deo and Shri Arjun Charan Sethi are allowed to associate.

श्री दारा सिंह चौहान : अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे एक महत्वपूर्ण बिन्दु पर बोलने का अवसर दिया, उसके मैं आपका आभारी हूं।

मैं समझता हूं कि न केवल पूरा सदन बल्कि सभी लोग इस समस्या से परेशान हैं। जहां पूरी दुनिया कम्प्यूटर के क्षेत्र में भारत का लोहा मान रही है, वहां पता नहीं इस रेलवे इंक्वायरी के कम्प्यूटर सिस्टम को क्या हो गया है, क्या बीमारी हो गई है? इधर जब यह सिस्टम मैन्युल था तो एक बार, दो बार, तीन बार फोन करने पर इंक्वायरी पर फोन कोई न कोई उठा लेता था तो मालूम हो जाता था कि कौन सी ट्रेन कब जाने वाली है लेकिन जब से 139 फोन नं. इंक्वायरी के लिये दिया है, जब भी आप फोन करेंगे तो कहा जाता है कि हिन्दी के लिये यह दबाइये, अंग्रेजी के लिये यह दबाइये, फलां के लिये यह

दबाइये। उसके बाद यदि आपको ट्रेन की जानकारी चाहिये कि साबरमती एक्सप्रेस या राजधानी एक्सप्रेस से जाना है तो बेचारा कौन सा आदमी लिखकर बैठा होगा कि राजधानी या साबरमती या शिवगंगा या कैफियत ट्रेन का क्या नम्बर है। अगर कभी गलती से नम्बर मिल गया तो जो जानकारी मिलती है, पता चलता है कि ट्रेन एक घंटा पहले चली गई या अभी जानकारी है कि ट्रेन डेढ घंटा लेट आ रही है। कभी-कभी ऐसा होता है कि जब आप 139 नम्बर डॉयल करते हैं तो इतनी लापरवाही इसमें है कि अगर फोन उठा लिया तो तुरंत कहेंगे कि आपकी आवाज नहीं आ रही है, फोन रख दिया जाता है। अगर आप दुबारा करने पर उठा लिया जाते है और आप हैलो कहते हैं तो कहेगा कि आपकी आवाज नहीं आ रही है, धन्यवाद। आप दुबारा फोन करेंगे तो फिर कहा जायेगा कि आपकी आवाज नहीं आ रही है, फोन रख दिया जायेगा।

अध्यक्ष महोदया, मैं इसलिये आपका संरक्षण चाहूंगा कि रेल मंत्री जी बैठे हुये थे,वे सभा में उपस्थित नहीं हैं । हम पार्लियामेंट में नीचे बैठे हुये लोग हों, आज देश के लाखों-लाख पैसेंजर्स इससे परेशान हैं। आप इंक्वायरी के लिये फोन डॉयल करते रह जायंगे, फोन नहीं मिलेगा और ट्रेन चली जायेगी। मैं समझता हूं कि संबंधित मंत्रालय् को इस मामले में निर्देश जारी होना चाहिये।

MADAM SPEAKER: The House stands adjourned for Lunch to meet at 2.30 p.m.

13.32 hrs.

The Lok Sabha then adjourned for lunch till Thirty Minutes past Fourteen of the Clock

14.35 hrs.

The Lok Sabha reassembled after lunch at Thirty Five Minutes past Fourteen of the Clock

(Mr. Deputy Speaker in the Chair)

श्री विष्णु पद राय (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह): उपाध्यक्ष महोदय, सरकारी पक्ष सदन में बिलकुल नहीं रहता है, क्या ये लोग कालापानी हो गए हैं या तड़ीपार हैं।...(व्यवधान) सदन में बिलकुल नहीं रहते हैं, न ज़ीरो आवर में रहते हैं और न किसी अन्य में...(व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Item Nos. 8 and 9.

Shri Lalji Tandon – not present.

Shri Basu Deb Acharia – not present

Shri Prabodh Panda.

14.36 hrs.

STATUTORY RESOLUTION RE: DISAPPROVAL OF INDIAN MEDICAL COUNCIL (AMENDMENT) ORDINANCE, 2010 AND INDIAN MEDICAL COUNCIL (AMENDMENT) BILL, 2010

SHRI PRABODH PANDA (MIDNAPORE): I beg to move the following resolution:

> "That this House disapproves of the Indian Medical Council (Amendment) Ordinance, 2010 (No.2 of 2010) promulgated by the President on 15 May, 2010."

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI GHULAM NABI AZAD): I beg to move:

> "That the Bill to amend the Indian Medical Council Act, 1956 be taken into consideration."

The Medical Council of India (MCI) has been a Statutory Body created by an Act of Parliament empowered to carry out inspection of Medical Colleges as per the provisions of Indian Medical Council Act, 1956, and make recommendations to the Central Government for grant for permission to establish a new Medical College or to start a new course of study or increase intake of students, etc.

The IMC Act, under section 10 (A), empowered the Central Government to grant permission to the Medical Colleges on the basis of recommendations of MCI. Medical Colleges which were found deficient of the requirements of the MCI were given an opportunity to rectify the deficiencies. In such cases, MCI carried out re-inspection for verification of any compliance report submitted by them.

From time to time, there have been complaints and representations against the nature of the recommendations made by MCI to the Government of India. Such complaints and representations were forwarded to the MCI for appropriate remedial action.

Ministry of Health & Family Welfare has always been of the opinion that the provisions of the Indian Medical Council Act, 1956 are inadequate to ensure transparent, credible and constructive decision making in the erstwhile Council.

My Ministry had introduced a comprehensive Bill in the Parliament in August 2005 to amend various provisions of the Indian Medical Council Act, 1956. The purpose of this Bill was to make the Council more responsible in its functioning and to empower the Central Government to take steps to make the Council more transparent and accountable.

The Government has suggested some important changes in the Bill which included restricting the number of terms in office of the President & Vice - President of the MCI. There were also provisions for removal of the President, Vice-President or any Member of the MCI on grounds of misconduct, incapacity or abuse of power. The proposed amendments also included a clause empowering the Government to issue directions to the MCI. However, Department-related Parliamentary Standing Committee on Health & Family Welfare did not agree with most of the amendments proposed in the Bill.

Even as the Ministry of Health and Family Welfare was examining the Bill in the light of the recommendations of Department-related Parliamentary Standing Committee, certain events involving the Medical Council of India (MCI) and its former President took place.

This was followed by extensive media coverage, both print and electronic, which severely affected the credibility of the Council. This evoked public demand for immediate action both inside the House and outside the House and the Ministry of Health & Family Welfare were asked to take immediate action.

To achieve this, the Ministry has held detailed deliberations to explore various possible measures for improving the functioning of the MCI which only brought forth many divergent views and suggestions. One possibility was an altogether new body like the National Council for Human Resources in Health as an over-arching regulatory body to streamline the working of the various Councils in the Ministry, the other being to strengthen the existing IMC Act with appropriate amendments.

More time was, therefore, needed to harmonize these different views and come up with an implementable and feasible model that has the consensus of all stakeholders. Meanwhile, the Ministry was of the firm opinion that certain immediate steps must be taken in respect of the Medical Council of India.

Under the prevailing circumstances at that time, the Ministry of Health and Family Welfare, vide an ordinance notification dated 15th May 2010, superseded the Medical Council of India and constituted the six-member Board of Governors to oversee the work of the Council.

It is in this backdrop that I would request the House to consider the Indian Medical Council (Amendment) Bill, 2010.

SHRI PRABODH PANDA (MIDNAPORE): Thank you, Mr. Deputy-Speaker. The ordinance was promulgated on 15th May 2010. The reasons and the explanations were given by the Minister.

It is understood that after the President of MCI's arrest by the CBI on 11th April, the Government opted for the ordinance route, rather than handing over the powers of the MCI to the Vice-President.

The allegation against the MCI was not a new one. Weaknesses, dysfunctional and the question of transparency, etc. were not cropped up all of a sudden. So, why did the Government not take any initiatives earlier – rather tolerated it – and why did it come up with issuance of ordinance all of a sudden, after all the happenings?

When the situation cropped up, at that time, was it not possible to bring this matter to this august House? They did not do it. So, ordinance is not the only route. Particularly in the case of Medical Council of India, as has already been mentioned by the hon. Minister, earlier during the UPA-1, an attempt was made to bring forward the legislation. It was referred to the Standing Committee and the Standing Committee did not agree. Now, they attempted to set up a Board of Governors of seven persons. It is not a solution. It might be a temporary arrangement. But the very important thing is that the Minister is – very rightly – interested to bring this matter within the ambit of National Council for Human Resources in Health, NCHRH.

Another news also appeared in the Press that the Prime Minister's Office is interested to bring this matter under the Commission of higher education. Whatever may be, the question of autonomy comes in? Why the MCI was formed? It is a well regulated autonomous body and this is an attempt to encroach upon the right of an autonomous body. Without having a proper discussion and without scrutinising the matter in the Standing Committee, taking the route of ordinance is not a healthy one. This is not an ordinary thing. Now it has become a *fait*

accompli. I know the fate of this Bill. The Government is in majority. Somebody from the Opposition may also support it. But this is not my point. I know the fate of this Bill. The Government has made the matter *fait accompli.* Without having a discussion in this forum you have already taken this route. This is my serious point of reservation, serious point of objection. I have reservation not just because of taking the route of ordinance but also because of its content.

Yes, there are weaknesses. You should remember that the Medical Council of India comprises of very distinguished persons of our country. They include a number of Vice Chancellors. If something wrong is committed by the President or the Vice President of MCI, not everyone should be condemned. Dissolving this autonomous body is like an attempt to condemn everyone. If something wrong is there, you can correct it, strengthen it and remove the lacuna but not to dissolve it.

So, I wish to highlight these two points and I think the House will agree to it. I would request the hon. Minister not to press it here and refer it to the Standing Committee so that they can scrutinise it, apply their prudence, their wisdom and after that we can discuss this matter in the House itself. With these words I move the Resolution for disapproval of the ordinance.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Motions moved:

> "That this House disapproves of the Indian Medical Council (Amendment) Ordinance, 2010 (No.2 of 2010) promulgated by the President on 15 May, 2010."

> "That the Bill further to amend the Indian Council Act, 1956, be taken into consideration."

DR. CHINTA MOHAN (TIRUPATI): Sir, I stand to support this Bill because I am a Member of the Congress Party and a Member belonging to the UPA Group. But I would like to say with all humility, as a human being, as a doctor, seeing the medical education in this country, I would like to congratulate the Minister who has taken a very bold step. The Government in these 63 years has taken a very historic decision. This is not an ordinary decision. This is a decision taken by the Government in the interest of the people, in the interest of the health care systems in India.

Actually what is happening today is that we have so many Primary Health Centres but they do not have doctors. In the last three years, we have already spent Rs.53,000 crore through Rural Health Mission. But this money is not going to the Primary Health Centres. In spite of the fact that the Union Government is trying its best, it is not reaching the Primary Health Centres. The doctors are not available. Why are the doctors not available today? The main reason is the medical education in the country. Medical education is controlled by the Medical Council of India through an Act of Parliament of 1956. What was this Medical Council doing? Today, the rich people of this country pay capitation fee of Rs.50 lakh and join the medical college. The rich people of this country pay Rs.1.50 crore and join the post-graduate courses. The rich people of this country pay Rs.2 crore and join the super-speciality course like DM, cardiology, etc. These rich people after becoming the doctors are not going to the rural areas and they are not going to the people who need attention. They are sitting in the urban areas because they paid capitation fee. They are the rich people and they are only interested in making money. Nobody bothers to go to rural areas. People in the Primary Health Centres are suffering.

The Medical Council of India is supposed to look after the standard of the doctors. What is the standard of a doctor today? After becoming an MBBS doctor, he is not able to treat diseases like diabetes, heart attack – which is normally seen everywhere - and fevers like typhoid or malaria. This is the standard of doctors which we are produced in the country through our Medical Council. What are the ethics? The Medical Council is also supposed to look after the ethics of the people. We read in the newspapers that a doctor who is a cardiologist, was asking his patient to get a stent which costs Rs.30000 to Rs.40000. Instead of using one, he was asking the patient to get two stents and he was making money out of this. There are some doctors who while doing surgery are stealing the kidneys of the poor people who are coming for treatment and selling them outside. This is the type of medical ethics we are having today which is controlled by the Medical Council.

What was the Medical Council doing? It was only helping the private profit making medical colleges. There are so many profit making medical colleges. The entire Medical Council of India connived with these profit making medical colleges and they started giving permissions one after another. For giving a seat or a programme, they are collecting huge amounts of money. I would like to say with all responsibility and with all humility that Medical Council of India has become a 'Money-making Council of India'. Such a useless body continued for more than half a century. I congratulate the Minister for that. I never expected that he will take a decision like this. God entered in him and made him take this decision. It is a very bold decision. It is not an easy decision. It is a historic and a very bold decision which the UPA Government under the leadership of Shrimati Sonia Gandhi, Dr. Manmohan Singh and Shri Ghulam Nabi Azad has taken. I congratulate the Minister for that.

There are service making premier institutions in the country like Christian Medical College, Vellore. This institution was started by an American missionary. This hospital was started with $ 10,000. Then, she made it a medical college

which has more than 60 years of history. This College is having 60 undergraduate MBBS seats. But this College is not given permission to go for post-Graduate courses. This College was not given any permission at all. This is the best medical college in the world and the best medical hospital in the world but it is not given permission by the Medical Council of India. It is because this is a 'Money Council of India'. As they could not pay money, they did not get the permission.

I would like to cite the case of a Muslim boy from Vizag, Andhra Pradesh. His name is Siddiqui. He got a little money which was given to him by his father. He wanted to start a three-star hotel but instead of starting a three-star hotel, his mother advised him to start a hospital.

The hospital was to be started in a backward area near my place by name Cudappah. He took loan for a sum of Rs. 100 crore from a bank. He built the medical college and had been waiting for permission for the last five years. The poor Muslim boy instead of approaching a Muslim person, approached me. I thought his was a very genuine case and I went to the Medical Council of India to represent this matter. The boy after having invested a sum of Rs. 100 crore for starting a medical college and a hospital in a backward area of Rayalaseema in Andhra Pradesh was not given the permission by the MCI. I was sitting in the MCI, the MCI people were sitting there and this boy was not even offered a seat. He was humiliated and not given permission for five years. I mentioned earlier that God prevailed on the hon. Health Minister Shri Ghulam Nabi Azad that he has scrapped this Medical Council of India through an Ordinance and instead has brought in the Expert Body. The Expert Body is doing a very good job. They have given permission for 65 medical colleges in 100 days time. They have created 6,000 new seats in our country. They have done a very laudable job. I congratulate the hon. Health Minister that he could achieve the student teacher ratio. Earlier students were not getting seats in post-graduate courses in medical colleges. He changed the teacher-student ratio through a Government notification. Earlier it was 1:1 and he has made it 1:2. With that change, about 3600 post-graduate seats

have been created in this country. This is one of the best things that could have happened. No Health Minister earlier could do this and therefore, I would like to congratulate the hon. Health Minister, Shri Ghulam Nabi Azad on the floor of the House.

Sir, my next point is about the technical education in our country. Thanks to the Late Rajiv Gandhi for bringing in an Act of Parliament in 1987 through which the AICTE was formed. That brought revolutionary changes in technical education in this country. Today a rickshawpullar's son can enter into an engineering college; today the daughter of an agricultural labourer can enter into an engineering college. They have created 10,000 new institutions in this country. There are 15 lakh seats. There is no dearth of seats today. Anybody can enter into an engineering college without paying capitation fees. We have brought in so many revolutionary changes in technical education. But the same kinds of changes are not visible in respect of medical education because of the presence of this Medical Council of India run by few people for making money, which has now been done away with.

Sir, what is happening in our neighbouring country, namely, China? They have brought in revolutionary changes in the field of agriculture. They have brought in agricultural reforms. They later on brought in economic reforms. They also brought in health reforms. Today in that country in every village there is a X-ray machine; today in every village there is an ultrasound machine; in every village there are doctors available. In our country we do not even find a X-ray machine in a *Taluka* headquarters. In a year they are producing 17 lakhs und-graduate MBBS students. In our country we are only producing 30,000 under-graduate MBBS students in a year. Likewise, they are producing 4.5 lakh post-graduate students in a year? How did they achieve this? They changed the student-teacher ratio. Till 1998, the student teacher ratio in China was 1:7 and in 1998 they changed it to 1:20. In India earlier it was 1:1 and now they have made it into 1:2. With that small change in student-teacher ratio in China lakhs of students are

coming out of medical colleges every year. There is no dearth of doctors in rural areas in China. They have brought in revolutionary changes in the health sector. Similar kind of a change also has to come to India.

Sir, I am happy about the Ordinance that has been brought about by the Government in this regard, but the Bill needs certain changes. Our maternity mortality rates when compared with China are no where near them. We are 100 per cent above them. In respect of maternal mortality rates we are no where near China. Average life span here is 78 years, but the life span of their people is much more. We have to give good health care to our people. We need to have good changes in the medical education. Unless we provide better medical education and bring in good doctors we cannot provide good health care system to our citizens. So, I strongly support and also salute this Government for bringing about these changes through an Ordinance, which would be replaced by the Bill.

15.00 hrs.

But you are going to send the Bill to the Parliamentary Standing Committee.

SHRI GHULAM NABI AZAD: No.… (*Interruptions*)

DR. CHINTA MOHAN : Then it is all right. Probably, it may come as a suggestion. If it is not sent, then it is excellent. But small changes are required in the Medical Council. There should be full control of the Government over it. We brought changes in technical education through AICTE Act. The changes brought to the AICTE Act, 1987, may also be brought in the Medical Council also. Unless we have control over this, the same thing will get repeated and the historic decision which you have taken is likely to be diluted. If the doctors wanted to do something else, they can come to politics or Parliament in a different route but they need not do politics in the Medical Council. It is not only the doctors but also the NGOs, the social scientists, Heads from eminent institutions like Christian Medical College, the Medical Institutes of Ludhiana and Chandigarh should also control it. Only then medical education and doctors may improve thereby improving the health care system in India.

With these words, I support this Bill and I congratulate the Minister and the Government for bringing this Bill.

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इंडियन मेडिकल काउंसिल (अमैंडमैंट) बिल, 2010 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। अभी मैं सम्मानित सदस्य पांडा जी और चिन्ता मोहन जी को सुन रहा था। यह बहुत गंभीर मामला है। संविधान में है कि हिन्दुस्तान के हर व्यक्ति को अच्छी से अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाएं। लेकिन आज हमें गौर करना पड़ेगा कि हम उन्हें क्या सुविधाएं दे पा रहे हैं। मेरे ख्याल से मंत्री जी 1956 संशोधन बिल लेकर हमारे बीच बहुत जल्दबाजी में आए हैं। मैं इसे अभी पूरी तरह देख नहीं पाया। इतने बड़े करप्शन को खत्म करने के लिए यह विधेयक जल्दबाजी में लाया गया है। विधेयक में दिया गया है कि नए पाठ्यक्रमों और परीक्षाओं में जो भ्रष्टाचार थे, यह उन पर अंकुश लगाने में कारगर सिद्ध होगा। इसमें अध्यक्ष की जो बात है, मेरे ख्याल से नाम लेना उचित नहीं है, अध्यक्ष के करप्शन चार्जेस के बारे में जो बातें आई हैं, सरकार को उसे बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। उसकी पूरी इन्क्वारी सीबीआई से होनी चाहिए।

मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में जो शिकायतें आती हैं, काउंसिल देखती है कि करप्शन या इस प्रकार की गड़बड़ियों में कैसे सुधार लाये जाएं। हमें उनकी शिकायतों पर गौर करना चाहिए। मेरे ख्याल से पहले की काउंसिल में एक मोनोपोली सी बन गई थी। उसके कार्य में जो दोष था, आनन-फानन में माननीय प्रधान मंत्री जी के हस्तक्षेप के बाद सब बातें उजागर हुईं। स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव, निदेशक आदि ने जल्दी-जल्दी इसकी इन्क्वारी की। लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि क्या उसमें इन्क्वारी हो पाई? जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई? सरकार को इसके लिए पहले से कदम उठाना चाहिए, इसकी मौनीटरिंग करनी चाहिए कि काउंसिल क्या कर रही है।

अभी चिन्ता मोहन जी कह रहे थे, खासकर मंत्री जी की बड़ाई भी कर रहे थे। उनके वहां किसी स्थान में सीट बढ़ाई गई, क्या दिया गया, क्या नहीं दिया गया।

आज देखा जाये तो मेडिकल काउंसिल के निर्देश के अनुसार तमाम मेडिकल कालेजेस, जो निजी तौर पर खोले गये हैं, उनकी स्थिति क्या है? जिनके पास पैसा है, जो बड़े लोग हैं, वे डोनेशन देकर अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन जो आम आदमी है, अगर वह अपने बच्चे को पढ़ाना चाहे, तो नहीं पढ़ा सकता, आज यह स्थिति है। इसके लिए आज तक हम कोई व्यवस्था नहीं कर पाये हैं। क्या कारण है कि बहुत अच्छे-अच्छे अनुभवी डाक्टर्स हैं, वे हमारे देश से विदेश में जा रहे हैं? अब आप हमारे इलाहाबाद मेडिकल कालेज की स्थिति देख लीजिए। मैंने पहले भी कहा था कि जब आप इलाहाबाद जायें, तो वहां के मेडिकल कालेज की स्थिति देखें। अभी बात चल रही थी कि इलाहाबाद यूनीवर्सिटी अब केन्द्रीय विश्वविद्यालय हो गया, तो गवर्नमैंट ऑफ इंडिया उसे अपने अंडर ले। फिर यूपी गवर्नमैंट ने सोचा कि उस

मेडिकल कालेज को हम ले लें, जबकि मेरे ख्याल से केन्द्र सरकार उसके पुनरुद्धार के लिए लगभग 900 करोड़ रुपये दे रही थी। लेकिन आज स्थिति बहुत खराब है। जो सीनियर डाक्टर्स हैं, अच्छे अनुभवी डाक्टर्स हैं, वे इस्तीफा देकर जा रहे हैं।

सभापति महोदय, अभी चिन्ता मोहन जी ने सही कहा कि जो लोग डोनेशन देकर एडमिशन लेते हैं, वे अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद गांव में सर्विस नहीं कर पायेंगे। गांव में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं दे पायेंगे, इसे हमें बहुत गंभीरता से देखना पड़ेगा। संविधान की मुख्यधारा में कहा गया है कि हम सबको बेहतर स्वास्थ्य देंगे, लेकिन आज स्थिति बहुत खराब है। इस अध्यादेश को पहले स्थायी समिति में जाना चाहिए था। हमारी जो स्टैंडिंग कमेटी हे, उसमें हर पार्टी के सम्मानित मैम्बर्स ऑफ पार्लियामैंट होते हैं, चेयरमैन्स होते हैं। उसमें डिसकशन होती है, तमाम गवाह आते हैं। उसके बाद एक बड़ा अच्छा निचोड़ निकलता है। अगर उसकी सिफारिश मानकर आप इस अध्यादेश को लाते, तो मेरे ख्याल से बहुत बेहतर होता, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। आपने इसे बहुत जल्दबाजी में किया। हम मांग करते हैं कि इसे स्थायी समिति को वापिस कर दिया जाये। वह समिति जो सिफारिश करे, उसके अनुसार आप इस विधेयक में संशोधन करें।

सभापति महोदय, हम लोगों ने देखा कि समाचार-पत्रों में, टेलीविजन में बहुत सारी ऐसी खबरें आयीं, जिससे हमारा सिर शर्म से झुक गया। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जिसका इतना महत्व था, उसके बारे में इस तरह से अंगुलियां उठ रही थीं। यह वाकई एक निराशाजनक स्थिति थी। ...(व्यवधान)

वह जांच अभी चल रही है. इसलिए मैं अभी विस्तार से नहीं बताना चाहूंगा। उनकी पत्नी के नाम से एकाउंट है, उनकी पुत्रियों के नाम से एकाउंट हैं। अब कितना पैसा निकला, यह जांच का विषय है। उसमें हम विस्तार से नहीं जाना चाहेंगे। ...(व्यवधान)

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन (भागलपुर): उन्होंने पूरे परिवार का ध्यान रखा। ...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार : वह अपने परिवार को देख रहा था। मेरे ख्याल से उसे देश के परिवार का ध्यान नहीं था। आपने इसमें नये निकाय की घोषणा की है। जो छः सदस्य हैं, उनको भी आपने अधिकार दिये हैं। मेरे कहने का मतलब है कि सम्पूर्ण चिकित्सा एवं स्वास्थ्य शिक्षा परिषद् क्या उसे अपने हाथों में लेकर इस प्रकार की व्यवस्था करेगी? हमारे तमाम सरकारी और गैर सरकारी जो मेडिकल कालेज हैं, क्या आप उनका मूल्यांकन कर रहे हैं, या उनकी स्थिति को देख रहे हैं? इस पर आपको विस्तार से बात रखनी पड़ेगी। हम इतने बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य मिशन चला रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, लेकिन वह पैसा कहां जा रहा है? आज अगर किसी के पास पैसा है, तो उसे बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्राइवेट नर्सिंग होम में मिल पा रही है।

कोई भी आदमी सरकारी पीएचसी, सीजीएचएस या हास्पिटल में जाना नहीं पसंद करता। अगर उसके पास पैसा है, तो वह सीधे प्राइवेट नर्सिंग होम में जाता है। अब जो सरकारी डाक्टर्स हैं, वे प्राइवेट नर्सिंग होम में जाते हैं। सरकारी हास्पिटल में इंगित किया जाता है कि तुम नर्सिंग होम आओ। अगर आदमी के पास पैसा है तो उसके स्वास्थ्य की देख-रेख हो पाती है और पैसा नहीं है, तो बेचारा दम तोड़ देता है। इन सारी व्यवस्थाओं को हमें देखना है। हम अरबों-खरबों रुपया राज्यों को भेज रहे हैं। अब वहां क्या स्थिति है? ... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): यह काम ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में भी होता है। वहां के डाक्टर्स भी सजेस्ट करते हैं कि प्राइवेट डाक्टर के पास आप जाकर चिकित्सा कराइये। ...(व्यवधान) मंत्री जी, मैं इस बात को बहुत गंभीरता से कह रहा हूं। कृपया आप इसे संज्ञान में लें। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : जब आपको बोलने का समय मिलेगा, तब आप बोलिये।

...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार : माननीय मंत्री जी बहुत वरिष्ठ और गंभीर मंत्री हैं, हम उनका बड़ा सम्मान करते हैं, उनको बहुत अच्छा मंत्रालय मिला है। हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि सेवाभाव से सभी को अच्छा स्वास्थ्य मिले, आप अच्छा काम करें।...(व्यवधान) एमपी के स्वास्थ्य की हमेशा जांच होती ही है।...(व्यवधान) लेकिन एक निवेदन मैं करूंगा कि हमारे संसदीय क्षेत्रों में पहले स्वास्थ्य मेला लगता था, आपने उसे खत्म कर दिया है।...(व्यवधान) एक साल हो गया, हमारे यहां तो हुआ नहीं।...(व्यवधान)

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : महोदय, इस तरह के स्वास्थ्य मेलों में लोग दूर-दूर से आते हैं, अगर वहां पर स्पेशलिस्ट डाक्टर्स भेजे जाएं, तो लोगों को लाभ होगा, वहां मतदाताओं का स्वास्थ्य अच्छा होगा।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, आप बैठ जाइए। आपने इस बात को संज्ञान में लाए, अच्छी बात है।

श्री शैलेन्द्र कुमार : इस व्यवस्था को और कारगर बनाना चाहिए। दो-तीन दिन तक यह मेला चलता है। आप जो धनराशि दे रहे हैं, अच्छी तरह से उसका उपयोग नहीं हो पाता है। फॉर्मेलिटी के तौर पर कुछ चेक-अप किए जाते हैं और कुछ दवाइयां दे दी जाती है। उद्घाटन के दिन दिखावे में बड़ी व्यवस्था होती है, लेकिन हम लोगों के वापस आने के बाद वह सब उजड़ जाता है, केवल पैसे की बन्दरबांट होती है। ऐसी तमाम दिक्कतें हैं। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इन पर ध्यान दें। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री विजय बहादुर सिंह (हमीरपुर): महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि हमारे संविधान में अनुच्छेद-21 में लिखा हुआ है, उसे मैं आपकी इजाजत से पढ़ना चाहूंगा:

> "Protection of life and personal liberty is the fundamental duty of the Government."

सुप्रीम कोर्ट की कांस्टीट्यूशन बेंच ने वर्ष 1957 में एक व्यवस्था है : Right to live is my inherent right. उसके आगे लिखा गया है : Right to live does not mean animal living. उसकी परिधि में मेडिकल भी आता है। हमें इसे उस परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। सभी को अच्छी तरह मालूम है कि आज अगर कोई व्यवस्था चरमरा गयी है या किसी व्यवस्था की सबसे ज्यादा दुर्दशा हो गयी है, तो उसमें सबसे पहले स्थान पर मेडिकल व्यवस्था है। गांवों में तो मेडिकल के नाम से कुछ है ही नहीं। सबसे बड़ी समस्या ग्रामीण अंचल की है। मैंने इलाहाबाद में एक पीआईएल दाखिल किया झोला छाप डाक्टर के बारे में। एक-एक डिवीजन में तीन-तीन जिले के अंदर 22000 झोला छाप डाक्टर हैं। वे क्वैक्स हैं, इंजेक्शन गलत लगाते हैं। जैन साहब से पूछिए झांसी में क्या मामला है। वे लोग विलेज डाक्टर कहे जाते हैं और हर गांव में उनकी संख्या एक या दो है। उनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है। भारत में आज जितनी फेक दवाइयां बेची जा रही हैं, वे उनके एजेंट हैं। वे गलत सॉल्ट की मेडिसिन्स बेचते हैं और फेक मेडिसिन का हजारों-करोड़ों रुपये का व्यापार इन झोला झाप डाक्टरों के माध्यम से होता है। मैं वकालत इलाहाबाद हाईकोर्ट में कर रहा था, लेकिन जब मैं चुनाव में अपने क्षेत्र हमीरपुर-महोबा, बुंदेलखण्ड अंचल में गया, तो मैंने खुद सीएमओ से बात की। हमारे जिले में 160 डाक्टरों की पोस्ट्स है।

लेकिन आज के दिन 68 डाक्टर्स वहां पोस्टेड हैं, और 100 से ज्यादा डाक्टर्स वहां जाते नहीं है। वे हाथ जोड़ कर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं क्या करूं।

इस सम्बन्ध में मेरा एक सुझाव है। मैं फूड फार थॉट दे रहा हूं, क्योंकि मैं गुलाम नबी आज़ाद जी को कम से कम 20 साल से जानता हूं। इन्होंने हमसे यहां खुद एक बात कही कि कैंसर का, हार्ट का जितना पैसा लगे, मैं तैयार हूं। मैं इस बात को बड़ी एप्रिशिएशन के साथ कहना चाहता हूं कि जब भी हमने इन्हें या प्रधान मंत्री जी को चिट्ठी लिखी, तुरंत ग्रांट आया, पैसा आया और हमारा काम हो गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं है।

मैं अपने अनुभव से बताना चाहता हूं कि ग्रामीण अंचल में मेडिकल सर्विस के लिए आप स्वीडन का तथा दूसरे देशों का फार्मूला अपनाएं। आप मेडिकल कालेज छोटे-छोटे खोलिए और तीन किस्म के मेडिकल कालेजज़ कर दीजिए। एक तो वे हों, जो सिर्फ बेसिक डॉयग्नॉस्टिक करें, जैसे आम बुखार है, वह

देखें। उसके लिए तीन साल का कोर्स करें। ये मेडिकल कालेजज़ छोटी-छोटी जगहों पर खोलिए। उसी एरिया का वहां रिजर्वेशन दे दीजिए। वह स्टूडेंट जो मेडिकल कालेज की एमबीबीएस क्लास टू होगा, वह उसी क्षेत्र में बस जाएगा और सही डाक्टर बनेगा। उसके बाद जब थोड़ी गम्भीर बीमारी हो, उसके लिए आप तहसील लेवल से डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर में एम.डी. और एम.एस. कर दें। यह टू टियर और थ्री टियर की व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी। मैंने अपनी साफ कर दी है।

उपाध्यक्ष जी, इसके बाद मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि हमारे देश में एम्स की जरूरत नहीं है। हम गांवों में ऐसे डाक्टर्स चाहते हैं जो बुखार बता दें, मलेरिया बता दें, थोड़ा सा जॉंडिस देख लें और लेडिज के लिए बेसिक डिलीवरी और गायनोक्लॉजिस्ट हो जाए। जैसे उत्तर प्रदेश में मेडिकल कालेज का तीन साल का पीएमएस का ग्रेड मान लीजिए 60,000 रुपए है। यह 60,000 रुपया उस डाक्टर को मिलता है जो पांच साल मेडिकल कालेज में एमबीबीएस करे और दो-तीन साल में एमडी करे यानि आठ साल पढ़ने के बाद उसे यह ग्रेड मिलता है। आप तीन साल में मेडिकल कालेज को क्लिनिकल लगाकर तहसील और जिला स्तर पर उसकी पोस्टिंग कर दें। उन्हें 15 से 25 प्रतिशत रिजर्वेशन दीजिए कि अगर वे पढ़ें तो क्लास वन में आ जाएं।

श्री राजेन्द्र अग्रवाल : जैसे बेयरफुट डाक्टर्स होते हैं।

श्री विजय बहादुर सिंह : बेयरफुट डाक्टर्स तो कम्पाउंडर से नीचे होते हैं, वह तो राजनारायण जी की सोच थी। मैं यह कहना चाहता हूं कि जो इंजेक्शन लगाना जानता हो, बेसिक डायग्नॉस्टिक जाने और बेसिक यानि प्राइमरी मेडिसन को जानता हो। जैसे आर्मी में होता है, जब लड़ाई होती है तो जो फील्ड में डाक्टर्स जाते हैं, वे बेसिक वाले जाते हैं। यह आप करें और तीन साल का डिग्री कोर्स कर दीजिए।

चंडीगढ़ में जो डाक्टर पढ़ कर आएगा, जैसे अभी हमारे मित्र वैल्लोर की बात कर रहे थे, वह हमीरपुर और मध्य प्रदेश के गांवों में नहीं जाएगा। एक वकील के नाते मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप डाक्टर को सस्पेंड कर देंगे तो वह सस्पेंशन ले लेता है। तीन-चार साल वह बहाल हो जाता है और पूरा वेतन लेता है तथा शहर में जाकर अपनी प्रेक्टिक्स करता है।

उपाध्यक्ष जी, मैं बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट का बहुत बड़ा जजमेंट है कि जो मेडिकल कालेज में डाक्टर्स हैं, वे प्राइवेट प्रेक्टिक्स नहीं कर सकते, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा था। उसका हमारी प्रदेश सरकार द्वारा इतनी गम्भीरता से पालन किया गया कि जो डाक्टर्स प्राइवेट प्रेक्टिक्स करते थे या तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया या फिर उन्होंने प्राइवेट प्रेक्टिक्स बंद कर दी। आजकल के मेडिकल कालेज प्राइवेट प्रेक्टिक्स करने के अड्डे बने हुए हैं।

उपाध्यक्ष जी, मैं पहला पाइंट यही कहना चाहता था कि छोटे-छोटे मेडिकल कालेजज़ में छोटे-छोटे कोर्स करके डाक्टर्स की बहुतायत कर दें। हार्ट स्पेशलिस्ट जो कार्डियोलॉजिस्ट्स की उस लेवल पर आवश्यकता नहीं है।

दूसरी चीज मैं यह बताना चाहता हूं कि आपने जो आर्डिनेंस जारी किया है, जो एक्ट बनने जा रहा है, इसे देखकर मुझे एक फिल्म का बहुत सुंदर सा गाना याद आ रहा है - सब कुछ लुटाके होश में आए तो क्या हुआ। लेकिन मैं इस अवसर पर कहना चाहूंगा स्वास्थ्य मंत्री जी को बधाई भी देना चाहूंगा कि कम से कम आप होश में तो आए, जिसे कहते हैं कि देर आए, दुरुस्त आए।

मेडिकल कौंसिल का काम सिर्फ सिलेबस और प्रिस्क्रिप्शन तक ही नहीं है। आज हमारे भारत में मेडिकल एथिक्स बिल्कुल खत्म है। जो बड़े-बड़े डाक्टर्स आते हैं, अगर आपको सिर्फ जुकाम या बुखार हो, तो 15 किस्म के टैस्ट बता देते हैं और उनमें इनका कमीशन तय होता है।

आपकी मैडिकल कौंसिल को मैडिकल एथीक्स की भी मॉनिटरिंग करनी चाहिए। ...(व्यवधान) डाक्टर और वकील के पेशे में यही फर्क है। ...(व्यवधान) वकील अगर हार जाए, तो अपील होती है लेकिन डॉक्टर अगर हार जाए तो केस फाइनल है। इसलिए डॉक्टर की जिम्मेदारी वकील से बहुत ज्यादा है क्योंकि हम अगर हारते हैं तो अपील, सैकिंड अपील, रिव्यू होता है लेकिन डॉक्टर अगर हार जाए तो निगम बोध घाट जाते हैं। इसीलिए इसकी व्यवस्था बहुत आवश्यक है।

अब मैं संक्षेप में यह जो आर्डिनेंस आया है, इसके बारे में कुछ कहना चाहता हूं। क्लॉज 2, सब-क्लॉज (3) में इन्होंने लिखा है:- 1

Clause 2, Sub-Clause 3 says:

> "The Central Government shall, by notification in the Official Gazette, constitute the Board of Governors which shall consist of not more than seven persons as its members, who shall be persons of eminence and of unimpeachable integrity in the fields of medicine and medical education, and who may be either nominated members or members, *ex officio,* to be appointed by the Central Government, one of whom shall be named by the Central Government as the Chairperson of the Board of Governors."

यह कोर-टीम है, लेकिन इस कोर-टीम से काम नहीं चलेगा। यह किसलिए है, यह मरीजों के लिए है, इसमें कोई पब्लिक का, मरीज के प्रतिनिधि का भी नाम होना चाहिए। क्योंकि who will be the judge? Who will authorise their barometer? एमीनेंस कौन है? हम यह कहना चाहते हैं कि आईएएस ऑफिसर जिन्होंने हिस्ट्री और गणित करके आईएएस पास किया है, वे निर्णय लेते हैं कि कौन

सी मशीन खरीदी जाए? यह नहीं कि मैडिकल सैक्रेट्री प्रोफैसर ऑफ एमीनेंस को सीलैक्ट कर दें तो हैंचमैन हो जाएंगे। इसे सीनेट बॉडी बनाइये, बड़ी बॉडी बनाइये, सिर्फ 7 आदमियों से काम नहीं बनेगा क्योंकि मैडिकल व्यवस्था लाइफ एंड डैथ से है, इसका ब्रॉड स्पैक्ट्रम करिये। मैं 10 साल से जानता हूं कि जो मैडिकल कौंसिल के जो चेयरमैन थे उनकी क्या बदमाशी चल रही थी। जो थोड़ा भी मैडिकल से संबंधित थे, क्योंकि मैंने मैडिकल कौंसिल ऑफ इंडिया की एक दर्जन से ज्यादा रिट-पिटीशन फाइल कीं, हर आदमी उस जैन्टलमैन को जानता था जिसके कारण यह एक्ट आया, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। मैं चाहता हूं कि जैसे सीनेट में, यूनिवर्सिटी में बॉडी होती है, इसमें 7 न होकर 15-20 आदमी हों, जिससे ब्रॉड प्रतिनिधित्व हो। उसमें प्रोफैशनल्स हों, उसमें पार्लियामेंट के प्रतिनिधि हों, एजुकेशनलिस्ट्स हों। ...(व्यवधान)

इसके डैलीब्रेशन्स में पूरी तरह से पारदर्शिता हो। आखिर में मैं यह कहना चाहता हूं कि सबसे बड़ा हमें जो विश्वास है वह हैल्थ मिनिस्टर की इंटेंशन का है। इनका इरादा बहुत अच्छा है, इसलिए मैं इसमें ज्यादा न जाकर अपनी वेदना स्पष्ट करना चाहता हूं। आप इसे ऐसा बनाइये कि इस तरह का जो एक्शन हुआ है, यह रिपीट न हो। इसे स्टेंडिंग कमेटी में भेजिये, प्रोसीजरल तो हमें इसका ज्यादा आइडिया नहीं है लेकिन इसे फुलप्रूफ बनाइये, क्योंकि इस पर पूरे भारत की हैल्थ डिपेंड कर रही है।

आखिर में मैं कहना चाहता हूं कि यह जो हुआ है, इस पर फौलो-अप एक्शन भी होना चाहिए, क्योंकि हमने देखा कि मामला आया और चला गया। इसे टाइम-बाउंड होना चाहिए, क्योंकि यह जिसके लिए आया है, इस पर भी समय-सीमा में कार्रवाई होनी चाहिए।

श्री जगदीश शर्मा (जहानाबाद): महोदय, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 में संशोधन हेतु माननीय मंत्री जी विधेयक लाए हैं और आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आसन के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं। माननीय मंत्री जी इस देश के जाने-मान कुशल राजनीतिज्ञ हैं। वे काफी अनुभवी और कर्मठ हैं। सदन को विश्वास है कि अधिनियम के माध्यम से इंडियन मेडिकल काउंसिल में जो व्याप्त गड़बड़ियां हैं, उनके निदान में मंत्री जी अहम भूमिका निभा सकेंगे।

महोदय, आखिर इस संशोधन को लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? वर्ष 1956 से एमसीआई का ढांचा पूरे देश में चल रहा था और जब गड़बड़ियां सामने आईं, तो सरकार की चेतना जागी। इसके बाद एक नया विधेयक उस अधिनियम में संशोधन करने हेतु लाया गया। महोदय, आप भी पुराने नेता हैं और बिहार के अलग-अलग भागों से झारखंड बना है। जब हम लोग पहली बार वर्ष 1977 में असेम्बली में गए, तब स्वास्थ्य विभाग के बारे में मान्यता थी कि शायद इस विभाग को ईश्वर और खुदा ही सुधार सके। इसकी क्या वजह है? डाक्टरी पेशा में इलाज बड़ा हो या छोटा, सभी को इसकी जरूरत पड़ती है। डाक्टर की पहुंच सभी जगह है। सरकार के ऊंचे से ऊंचे स्थान पर और नीचे-से-नीचे जगह पर डाक्टरों की पहुंच है। उन्हीं के माध्यम से जब संचालन होना है, तो जिनका बड़ा पैरा है, मतलब बड़ी पहुंच है, उन पर किसी के द्वारा हाथ डालना मुश्किल काम है। मुझे सरकार के इरादे पर पूरा भरोसा है। सरकार पूरी तरह से चाहती है, लेकिन फिर भी गड़बड़ी हो रही है। इसकी जड़ में जाना पड़ेगा। वकील साहब ने सही कहा है कि भारतीय संविधान में जीने का अधिकार हमारे मौलिक अधिकार में आता है। हम अपनी जान स्वयं नहीं दे सकते हैं। मनुष्य को आत्महत्या करने का अधिकार नहीं है। जब जीने का अधिकार हमारे मौलिक अधिकार में शामिल है, तो सरकार को, जो लोक कल्याणकारी राज्य है, इसमें स्वास्थ्य सभी नागरिकों के लिए गारंटी होनी चाहिए। जिस दिन सरकार यह सोच लेगी कि चिकित्सा, चाहे बड़े लोगों की हो या छोटे लोगों की हो, सरकार की बुनियादी जवाबदेही है, उसी दिन एमसीआई में जो गड़बड़ी है या दूसरी जगहों पर गड़बड़ी है, वह स्वतः रुक जाएगी। पहले सरकारी अस्पताल चलते थे, सरकारी मेडिकल कालेज चलते थे। सरकार का उन पर पूरा नियंत्रण होता था। आपने अपनी जान छुड़ाने के लिए प्राइवेट मेडिकल कालेज का दरवाजा खोल दिया। उनको मान्यता कौन देता है? उनको मान्यता एमसीआई देती है या जो बोर्ड बना रहे हैं, वह उन्हें मान्यता देगा। जो सड़ा हुआ निचले स्तर का मेडिकल कालेज है, अगर आपको उसमें एडमिशन कराना है, तो मिनिमम एमबीएस में 25 लाख रुपया देना पड़ेगा।

एम.एस में अगर आप प्रतिस्पर्धा से नहीं आए तो उसमें सीट लिमिटेड है। एक करोड़ रुपये से ऊपर...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अभी आप समाप्त करें। आप दूसरे दिन कंटिन्यू करेंगे।

15.31 hrs.

PRIVATE MEMBERS' BILLS -INTRODUCED

(i) HIGH COURT OF TRIPURA BILL, 2010*

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, we shall take up Private Members' Business.

Shri Khagen Das.

SHRI KHAGEN DAS (TRIPURA WEST): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the establishment of a High Court for the State of Tripura.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for the establishment of a High Court for the State of Tripura."

The motion was adopted.

SHRI KHAGEN DAS : I introduce** the Bill.

15.31 ½ hrs.

(ii) FLOOD CONTROL BILL, 2009*

SHRI G.S. BASAVARAJ (TUMKUR): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the setting up of a National Flood Control Board to suggest measures to control floods and for matters connected therewith.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

> "The leave be granted to introduce a Bill to provide for the setting up of a National Flood Control Board to suggest measures to control floods and for matters connected therewith. "

The motion was adopted.

SHRI G.S. BASAVARAJ : I introduce** the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 2, Dated 13.08.10.

* *Introduced with the recommendation of the President.

15.32 hrs

(Shri Arjun Charan Sethi *in the Chair*)

(iii) SCULPTORS, ARTISTS AND ARITSANS OF RURAL AREAS WELFARE BILL, 2009*

SHRI G.S. BASAVARAJ (TUMKUR): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the welfare of Sculptors, Artists and Artisans in Rural Areas and for matters connected therewith.

MR. CHAIRMAN : The question is:

> "The leave be granted to introduce a Bill to provide for the welfare of Sculptors, Artists and Artisans in Rural Areas and for matters connected therewith."

The motion was adopted.

SHRI G.S. BASAVARAJ : I introduce the Bill.

15.33 hrs.

(iv) CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 2010*

(Insertion of new article 16A)

DR. SANJEEV GANESH NAIK (THANE): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

MR. CHAIRMAN: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted.

DR. SANJEEV GANESH NAIK: I introduce** the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 2, Dated 13.08.10.
**Introduced with the recommendation of the President.

MR. CHAIRMAN: Item no. 15. Shri Yogi Adityanath – not present.

Item no. 16. Kumari Saroj Pandey – not present.

Item no. 17. Kumari Saroj Pandey – not present.

Item no. 18. Shri Jai Prakash Agarwal.

15.33 ½ hrs.

(v)REPRESENTATION OF THE PEOPLE (AMENDMENT) BILL, 2010*

(Insertion of new section 29AA)

SHRI JAI PRAKASH AGARWAL (NORTH EAST DELHI): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Representation of People Act, 1951.

MR. CHAIRMAN: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Representation of People Act, 1951."

The motion was adopted.

SHRI JAI PRAKASH AGARWAL : I introduce the Bill.

15.34 hrs.

(vi)CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 2010*

(Amendment of Eighth Schedule)

SHRI JAI PRAKASH AGARWAL (NORTH EAST DELHI): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

MR. CHAIRMAN: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 2, Dated 13.08.10.

The motion was adopted.

SHRI JAI PRAKASH AGARWAL : I introduce the Bill.

15.34 ½ hrs.

(vii) CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 2010*

(Substitution of new article for article 48A)

SHRI JAI PRAKASH AGARWAL (NORTH EAST DELHI): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

MR. CHAIRMAN: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted.

SHRI JAI PRAKASH AGARWAL : I introduce** the Bill.

15.35 hrs.

(viii)CONSTITUTION (SCHEDULED CASTES) ORDER (AMENDMENT) BILL, 2010*

(Amendment of Schedule)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :-

> "कि संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

MR. CHAIRMAN : The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950.

The motion was adopted.

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 2, Dated 13.08.10.

** Introduced with the recommendation of the President.

15.35 ½ hrs.

(ix)CONSUMER PROTECTION (AMENDMENT) BILL, 2010*

(Amendment of section 2, etc.)

SHRI ANANDRAO ADSUL (AMRAVATI): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Consumer Protection Act, 1986.

MR. CHAIRMAN: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Consumer Protection Act, 1986. "

The motion was adopted.

SHRI ANANDRAO ADSUL : I introduce** the Bill.

15.36 hrs.

(x)CINEMATOGRAPH (AMENDMENT) BILL, 2010*

(Amendment of section 2, etc.)

SHRI ANANDRAO ADSUL (AMRAVATI): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Cinematograph Act, 1952.

MR. CHAIRMAN: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Cinematograph Act, 1952."

The motion was adopted.

SHRI ANANDRAO ADSUL : I introduce** the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 2, Dated 13.08.10.

** Introduced/Moved with the recommendation of the President.

15.36 ½ hrs.

(xi)CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 2010*

(Amendment of article 117, etc.)

SHRI ANANDRAO ADSUL (AMRAVATI): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

MR. CHAIRMAN: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted.

SHRI ANANDRAO ADSUL : I introduce the Bill.

15.37 hrs.

(xii)PALLIATIVE CARE (EDUCATION AND TRAINING) BILL, 2010*

श्री ओम प्रकाश यादव (सीवान): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :-

> "कि देश की स्वास्थ्य देखरेख प्रणाली के अभिन्न अंग के रूप में उपशामक देखरेख की मान्यता; आयुर्विज्ञान महाविद्यालयों और संस्थाओं में उपशामक देखरेख में शिक्षा और प्रशिक्षण; चिकित्सालयों में उपचार सुविधाएं तथा उससे संबंधित मामलों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

MR. CHAIRMAN: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for recognition of palliative care as an integral part of health care system of the country; education and training in palliative care in medical colleges and institutions; treatment facilities in hospitals and for matters connected therewith."

The motion was adopted.

श्री ओम प्रकाश यादव : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 2, Dated 13.08.10.

15.37 ½ hrs.

(xiii)CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 2010*

(Insertion of new article 45A)

श्री ओम प्रकाश यादव (सीवान): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :-

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India. "

The motion was adopted.

श्री ओम प्रकाश यादव : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

15.38 hrs.

(xiv) CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 2010*

(Insertion of new article 279A)

श्री ओम प्रकाश यादव (सीवान): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :-

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted.

श्री ओम प्रकाश यादव : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित** करता हूं।

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 2, Dated 13.08.10.

* Introduced with the recommendation of the President.

15.38 ½ hrs.

(xv) MAHATMA GANDHI NATIONAL RURAL EMPLOYMENT GUARANTEE (AMENDMENT) BILL, 2010*
(Amendment of section 6)

श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:-

"कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी अधिनियम, 2005 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005."

The motion was adopted.

श्री हंसराज गं. अहीर : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

15.39 hrs.

(xvi) DISPLACED FARMERS (REHABILITATION AND OTHER FACILITIES) BILL, 2010*

श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जो कृषक औद्योगिक इकाइयों की स्थापना करने के लिए उनकी भूमि का अर्जन किए जाने के परिणामस्वरूप विस्थापित हो जाते हैं, उनके पुनर्वास, औद्योगिक इकाइयों द्वारा किये गये लाभों में ऐसे कृषकों की हिस्सेदारी तथा उससे संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

MR. CHAIRMAN : The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for rehabilitation of farmers who are displaced as a result of acquisition of their land for setting up of industrial units, sharing by such farmers in the profits made by industrial units and for matters connected therewith."

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 2, Dated 13.08.10.

The motion was adopted.

श्री हंसराज गं. अहीर : सभापति महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

15.40 hrs.

(xvii) ANGANWADI WORKERS (REGULARISATION OF SERVICE AND OTHER BENEFITS) BILL, 2010*

श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आंगनबाड़ी कर्मकारों की सेवाओं के नियमितीकरण करने, उन्हें स्थायी सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिए जाने तथा उससे संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित किये जाने की अनुमति दी जाये।

MR. CHAIRMAN: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for regularization of the services of anganwadi workers, conferring the status of permanent employee of the Government on them and for matters connected therewith."

The motion was adopted.

श्री हंसराज गं. अहीर : सभापति महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित** करता हूं।

15.41 hrs.

(xviii) COMMISSION FOR THE FORMATION OF THE STATE OF VIDARBHA BILL, 2010*

श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विद्यमान महाराष्ट्र राज्य का पुनर्गठन कर पृथक विदर्भ राज्य के निर्माण के लिए एक आयोग का गठन करने तथा उससे संबंधित विषयों पर उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित किये जाने की अनुमति दी जाये।

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 2, Dated 13.08.10.

** Introduced/Moved with the recommendation of the President.

MR. CHAIRMAN: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for the constitution of a Commission for the formation of a separate State of Vidarbha by reorganization of the existing State of Maharashtra and for matters connected therewith."

The motion was adopted.

श्री हंसराज गं. अहीर : सभापति महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

15.42 hrs.

(xix) CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION BILL, 2010*

SHRI MANISH TEWARI (LUDHIANA): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the constitution of a Central Bureau of Investigation for prevention, investigation and prosecution of certain offences and for matters connected therewith.

MR. CHAIRMAN: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for the constitution of a Central Bureau of Investigation for prevention, investigation and prosecution of certain offences and for matters connected therewith."

The motion was adopted.

SHRI MANISH TEWARI: I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 2, Dated 13.08.10.

15.43 hrs.

(xx) HIGH COURT AT CALCUTTA (ESTABLISHMENT OF A PERMANENT BENCH AT MURSHIDABAD) BILL, 2010*

SHRI ADHIR CHOWDHURY (BAHARAMPUR): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the establishment of a permanent Bench of the High Court at Calcutta at Murshidabad.

MR. CHAIRMAN: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for the establishment of a permanent Bench of the High Court at Calcutta at Murshidabad."

The motion was adopted.

SHRI ADHIR CHOWDHURY: I introduce the Bill.

15.43 ½ hrs.

(xxi) SPECIAL FINANCIAL ASSISTANCE TO THE STATE OF WEST BENGAL BILL, 2010*

SHRI ADHIR CHOWDHURY (BAHARAMPUR): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for special financial assistance to the State of West Bengal for the purpose of promoting the welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Sections of people and for the development, exploitation and proper utilization of its resources.

MR. CHAIRMAN: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for special financial assistance to the State of West Bengal for the purpose of promoting the welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 2, Dated 13.08.10.

Other Backward Sections of people and for the development, exploitation and proper utilization of its resources."

The motion was adopted.

SHRI ADHIR CHOWDHURY : I introduce*[*] the Bill.

MR. CHAIRMAN: Shrimati Supriya Sule – Not present.

[*]* Introduced with the recommendation of the President.

5.44 hrs.

(xxii) ECONOMICALLY WEAKER CLASS (PROVISION OF CERTAIN FACILITIES)BILL, 2010*

श्री सतपाल महाराज (गढ़वाल): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के व्यक्तियों को कतिपय सुविधायें प्रदान करने तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों पर उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

MR. CHAIRMAN: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for certain facilities to persons belonging to economically weaker class and for matters connected therewith or incidental thereto."

The motion was adopted.

श्री सतपाल महाराज : सभापति महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

15.44 ½ hrs.

(xxiii)CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 2010* (AMENDMENT OF THE EIGHTH SCHEDULE)

श्री सतपाल महाराज (गढ़वाल): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

MR. CHAIRMAN : The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted.

श्री सतपाल महाराज : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 2, Dated 13.08.10.

15.45 hrs.

(xxiv) REPRESENTATION OF THE PEOPLE (AMENDMENT) BILL, 2010*
(Insertion of new section 32A, etc.)

SHRIMATI MANEKA GANDHI (AONLA): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Representation of the People Act, 1951.

MR. CHAIRMAN: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Representation of the People Act, 1951."

The motion was adopted.

SHRIMATI MANEKA GANDHI: I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 2, Dated 13.08.10.

15.46 hrs.

COMPULSORY VOTING BILL, 2009 – Contd.

MR. CHAIRMAN: The House shall now take up further consideration of the Bill. Before I call hon. Minister Shri M. Veerappa Moily to resume his reply, I have to inform the hon. Members that the time allotted for discussion on the Bill has already been exhausted. If the House agrees, we may extend the time till the Bill is disposed of. I hope the House agrees.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes, Sir.

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी): महोदय, मेरा एक निवेदन है। पिछली बार माननीय मंत्री जी इस पर जवाब दे चुके थे।

सभापति महोदय : नहीं।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : महोदय, मेरी बात सुन ली जाये। उन्होंने मेंबर से आग्रह किया था कि इसे वापस ले लिया जाये। जब वे बोलने के लिए खड़े हुए तब तक समय समाप्त हो गया था। इस पर जितना समय आपने दिया था, उससे चार गुणा ज्यादा समय इस पर बहस हो गयी। निजी गैर सरकारी विधेयक में ज्यादा से ज्यादा और विधेयक लोगों के रहते हैं, उन्हें लिया जाना चाहिए। इसके लिए भी समय सीमा निर्धारित होनी चाहिए। यह नहीं होना चाहिए कि एक विधेयक पर तीन-तीन सत्रों तक बहस चलती रहे और अन्य विधेयक न आयें।

MR. CHAIRMAN: The hon. Minister wants to speak. So, the House may certainly allow him to speak.

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE (SHRI M. VEERAPPA MOILY): Mr. Chairman, I thank you very much for extending the time to provide an opportunity for me to continue my reply which was started last time.

I have already congratulated one of the most enlightened Members of this House Shri J.P. Agarwal for moving this Bill and 18 other hon. Members who have participated in the discussions. I have heard very keenly the ideas which have been floated. In fact, I have gone on record to say that I have no dispute on the Bill. I have no dispute on the arguments which have been advanced by every Member

on the Bill. But, this is the goal. You have ultimately enlightened us to work out a roadmap to reach out to that goal. I think, to that extent, Shri J.P. Agarwal's Bill and the support which has been extended by all the hon. Members will serve the purpose. I must congratulate once again Shri J.P. Agarwal for bringing forward this Bill and the other 18 hon. Members for launching a very good argument.

I do not think I need to analyse the features of this Bill. Still, for the purpose of the recollection of the hon. Members, I would like to illustrate only a few features of the present Bill. Clause 2 of the Bill requires every voter to vote compulsorily at elections. Of course, a few exemptions have been illustrated. Clause 3 of the Bill requires the Election Commission to ensure protection and safety of the voters. Clause 4 of the Bill requires the Election Commission to send a list of all the eligible voters who have not cast their votes to the Central Government or the State Government, as the case may be.

Clause 5 of the Bill provides for making arrangement for several polling booths at convenient places for the purpose of casting of votes. Clauses 6 and 7 of the Bill provide for making appropriate arrangements for the persons engaged in election duty and special arrangements for senior citizens, persons with physical disability and pregnant women to vote at an election. Clause 10 empowers the Central Government to make rules for carrying out the purpose of the proposed Bill.

As I have already said, every objective which has been reflected in the Bill is highly laudable. In fact, the arguments which have been offered in favour of the Bill, if I may be given the liberty to illustrate them, include that voting is a civic duty compared to the other duties performed by citizens, for example, those relating to taxation, compulsory education or jury duty etc. Again, I must tell you that if the citizens think to vote, that is the basic thing. In fact, citizens are the foundations of this great democracy. Casting vote is really a fundamental duty which every citizen should perform. I think, nobody can say that this is not good.

In fact, this has to be built into the psyche of the voter, psyche of the citizen. That is how a sense of duty and a sense of patriotism will have to be imbibed. Maybe we may have to take decisions not only in this political arena but also we need to incorporate, right from class I, it in the educational syllabus and in many other things. That is how ultimately the psyche has to be developed.

One German philosopher, Mr. C.G. Karl Jung**,** gave one statement and I would like to not exactly quote him but tell what he meant to say. He said that human psyche is an important element. No drought, no flood, no big diseases will be that harmful, particularly when we have far advanced technology, medicines and other things, but there is no remedy as far as the human psyche is concerned. It was the human psyche of Bin Laden which demolished the World Trade Centre in America like an earthquake. So, human psyche is very important. In fact, we need to develop that kind of human psyche where one can see how we can live with democracy, breath with democracy. We have to see how we can definitely cultivate that kind of habit and consequently try to cultivate the habit to vote. That would be a comprehensive approach. Merely giving a right to vote is not the only political element which has to be viewed into it. This is what I would like to say.

Another thing which is in favour of the Compulsory Voting Bill is that the Parliament will reflect more accurately the will of the electorate. The will of the electorate will have to be totally manifested by 35 crores of people. Keeping many out of the mainstream of the exercise of franchise, can we say that the will of the electorate has been reflected properly? That is the argument on which Shri Jai Prakash Agarwal and rest of the Members spoke.

The other thing is that the Government must consider total electorate in policy formulation and management. That is a question of participation in the democracy. If the people are not prepared to participate even at the elementary stage of formation of the Government, can we say that there is participation of the citizens as a whole in the process of governance?

The next point, which you have said is that the candidates, can concentrate their campaigning energies on issues rather than encouraging voters to attend the polls. Yes, it is a big investment, namely, to enlighten the voters and to canvass for voting. Ultimately, it rests on taking the voters to the polling booth. Is it necessary for us to motivate them? Is it necessary to coerce them? Is it necessary to tempt them? These are all the basic things, which you have very rightly observed. I think that all of them will come to the polls the day we stop canvassing for votes. Perhaps, that is the ideal democracy, which can be there in India and we can do this. It will happen in India one day or the other that people will definitely imbibe this kind of a fundamental duty to democracy and come to vote. This should happen and all of us should work towards that direction.

The last point, which you have canvassed or rest of the hon. Members have canvassed, is that the voters are not actually compelled to vote for anyone because voting is by secret ballot. You know that he has the liberty. Ultimately, all that is important in a democracy or success of a democracy is fearlessness, which liberates a person. Yes, freedom movement does it to a certain extent, but ultimately, not fearing poverty and not fearing threat is the real liberation, which you should find in a democracy like India, and we need to arrive at it. Hence, I am not going to give any arguments against it. Nobody has talked against it. Hence, there is no point that, as a Minister, I should come and say that the Bill is flawed on these grounds. So, there is no question of giving an argument against it.

But let me come to analyse some of the highlights of this Bill, and it reflects what is the intention and the content of the Bill. The total number of voters in the 2009 Lok Sabha elections were 71.66 crore, which was the largest electorate in the world. We are proud of it. The total voters casting their votes was 41.66 crore. It means that there is a gap of almost 30 crore voters who did not participate in the process. We are claiming that we are the largest Parliamentary democracy and the largest electorate in the entire world, but 30 crore voters kept out of this process. It is a tragedy of democracy and it is a travesty of democracy. We need to

set it right. It is not a new phenomenon, namely, compulsory voting. It has been prevalent in about 20 countries and it has succeeded. No country, which has taken recourse to compulsory voting, has retreated or withdrawn from that position. So, it is a successful experiment.

It is also reported that there are a number of candidates in the Lok Sabha elections who have won by a margin of 13 per cent to 16 per cent votes. However, the margin will definitely depend upon the number of candidates. I do not want to narrate, but there are a number of candidates who have won elections, but lost the deposit amount or forfeited the deposit amount. If I can term it, it is some sort of pyrrhic victory, and we cannot say that it is an actual victory. The deposit of the candidates shall be forfeited where the poll has taken place and the candidate is not elected, and the number of valid votes polled by him does not exceed $1/6^{th}$ of the total number of valid votes polled by all the candidates. It does not synchronize with the winning. This is how they win even if they forfeit their deposit.

The Election Commission is making all efforts to campaign for awareness. A lot of money is spent by the Election Commission, by the Government of India, and by the State Governments to create that kind of awareness. I do not say that there is only one reason for restraining from going to polls. There are several reasons, which are genuine, legitimate and some of them are imposed.

16.00 hrs.

Sometimes, you find your name in the voters' list, but when you go to the polling booth, you do not find your name there because it has already been wiped out. We need to provide for the accountability of those people who prepare the voters' list. This is one of the reforms that I am at it. We are going to do that. There are people who are willing to vote, but their names are not found in the voters' list. These anomalies do appear.

In case of general elections to the Lok Sabha, the President issues the notification under Section 14 of the Representation of People Act calling upon the

parliamentary constituencies to elect. Similarly, under Section 15 of that Act, the Governor of the State calls upon the Assembly constituencies to elect. There is a small error. It is not the Election Commission who declares the elections. It is the Government which does it. However, the Election Commission issues the necessary notification in respect of the election.

In 2009, the Representation of People Act was amended and made a provision for appeal to the District Magistrate in case of non-inclusion of names in the electoral rolls instead of the Chief Electoral Officer. I think recently we got that Bill also passed. Now, it will become an Act of the Parliament. We have done it.

I have already said that India is a country of unity in diversity. This word has a lot of significance not on the ideological books, but in respect of all our lives, and that includes the polity of this country.

Now, coming back to the present Private Member's Bill, I would like to say that elections are the foundation-stone of any democracy. Rather I call it the 'festival of democracy'. We celebrate. It is a 'festival of democracy'. We enjoy it. That is how you herald the democracy, which is renewed again and again.

In fact, the conduct of free, fair and impartial elections depends much upon the performance of three stakeholders – they are independent and impartial electoral machinery, political parties and candidates, and the electorate. These are the three stakeholders. All of them must act responsibly. In a democratic set up, every individual enjoys certain rights which, *inter alia*, include the right to vote.

They enjoy that right. These three stakeholders must not only act, but also with responsibility. I think somewhere we missed accountability. This is what I am going to address in the days to come when I will come forward for a national consultation on comprehensive electoral reforms. I may hold it within two or three months. I am throwing up all these issues for discussion. Accountability is one such issue. How will the three stakeholders be held accountable? How to network it so that nobody fails? It is not only responsibility, but also it should be coupled

with accountability. This is what the issue is. I would like all the hon. Members to participate in that great debate. I would like to do it for two days. We can have an open debate on that.

What happens now-a-days is that many a time we will have a discussion among the political parties. I think we will have to go beyond that. We will have to invite not only the stakeholders, but also the citizens of this country, who should also feel that they are one in having this kind of a great debate. We want to sustain democracy in this country. We want every citizen to come forward and reach out to the goal.

I do not know how far that perception is correct. One of the activists conducted a survey and they found that about 20-25 crores of electorate who belong to the middle-class, some of whom became eligible to vote after attaining the age of 18 years, consciously and deliberately have chosen not to vote. This is a danger.

If that is so, we need to have a perception study and assessment of that. We have not done that. We do a lot of things. But we need to analyse that kind of a study or a perception study or analysis of the attitude of the voters as to why they are not voting, what are the reasons for that. Unless we diagnose this, we will not be in a position to find a solution to this. Holding the National Consultation is one such idea so that we will have a perception study. Maybe that is possible and we will have to make a very quick study so that that study can be made available for the National Consultation which we are holding in future.

The Right to Vote in a democratic set up should be construed to include the Right to Vote. It is the conscience of a person that does not allow him to cast his vote. Further I would like to say that electorates may not like to vote in the elections for a variety of reasons. He may not be satisfied with the developmental activities in the area. That is happening even now. And instances are that in elections where villages after villages boycotted the elections. They do not come to the elections because of the neglect by the representatives or the Government by

way of protest against the lack of development in the areas concerned. That is also one of the reasons. Non-voting in such cases is to focus attention in a particular area. That is not a solution. That should not be the act of a responsible voter. I agree with that hundred per cent. In fact, it is also true that an elector may not be able to vote due to reasons beyond his control, such as illness, inability to reach the place of voting, sometimes he is prevented and his vote has been cast. That happens. Serious pre-occupation with unavoidable exigencies of engagements are due to pressure tactics often employed by political parties or groups in elections. These days, they are characterised by what is known as muscle power. No such studies have been made relating to reasons for low polling. I have already said that we would like to make that kind of a study on money power, muscle power, the caste power, the religious power. These are all having bad influences on the electorates. We need to eschew the atmosphere of a free and fair polling from all these influential elements; otherwise we cannot call it as a free and fair election. We need to address them and in fact, my reform agenda will address all those problems. I am not going to specify now.

Active participation in a democratic process by the people no doubt will strengthen the democratic traditions in the country. But such participation should better come out from the people voluntarily rather than by coercion or allurement. Coercion or allurement or temptation will have to be totally removed for a healthy development of a democracy. How to do it is a question that all of us should address and focus on that. It is in the best interest of this great nation. And a sense of duty in this regard is to inform the people on their own and it is this sense of duty which should be the motivating factor in impelling people to turn up in polling stations in large numbers. The people have to be conscious about their rights as well as their duties and this consciousness should guide all their actions including the voting of elections. It will however, be unfair to blame the people for the low voting percentage; it is not a reflection on them. We all know that when we gained our Independence in 1947, our literacy rate was only 16 per cent.

Everyone doubted whether this illiterate lot can exercise their votes properly. I must tell you that I have seen that unpolluted voters are those who are really illiterate. More and more literate we become, more and more influences creep into that. I found in my own study as a Poet, also as a literary person, a lawyer and also a Law Minister that the highest casualty of dowry cases are from educated mother-in-law, father-in-law and sister-in-law. Mother-in-law and sister-in-law commit this.

We say illiteracy is the bane of the society in India. What do you say for this? Is literacy a bane or a blessing? I do not know!

SHRI B. MAHTAB (CUTTACK): Does the Minister say ignorance is bliss?

SHRI M. VEERAPPA MOILY: I never said that. I posed a question to the entire country. I am telling you our experience. This is what is happening. I find it so shocking that classism, casteism is more prevalent among literate persons. They think caste will get them the political advantage, caste will get them the social advantage, caste will get them the economic advantage. It is getting deeper into them. That can be dangerous. I am not supporting either side.

MR. CHAIRMAN : Hon. Minister says that we are not yet prepared for compulsory voting.

SHRI M. VEERAPPA MOILY: I have said I am prepared. But the question is there are constraints. Ultimately we need to do a lot of things. Understanding the ground realities, we need to cleanse the environment. It can be done. It is not impossible to do it if all of us put our minds together. I have already started it. It is the human psyche which is what we need to address.

It would, however, be unfair to blame the people. I am not blaming the people. There are examples of the voters, barring sporadic incidents of total abstinence from voting, who have turned up in large numbers at election booths even braving risk to life to cast their votes at all elections. There are brave voters. They are prepared to vote and participate in the democratic festival.

The Election Commission has also been exhorting people to realize the importance of their precious vote. It is making all possible arrangements for their safety. Their measures have the effect of awakening the conscience of the people. The conscience of the people ultimately results in the conscience of the nation. The conscience of the people will reflect in the conscience of the nation. If the people have no conscience, the nation will lose the conscience. This is the issue that we need to address very clearly.

We need to add more teeth to the electoral system. A provision has been proposed in the fresh Bill for conferring voting rights to citizens of India absenting from their place of ordinary residence in India owing to employment, education or otherwise and are living outside the country. They are more popularly known as NRIs but really they are not NRIs in nature but they are the Indian citizens who have gone to other countries for employment or education or anything. They have a right to vote at the address which has been put in their respective passports. This Bill has already been cleared by the Standing Committee. After I get approval from the GoM it is coming before the Cabinet. Hopefully I will bring that Bill next time. Lakhs and lakhs of people will be added to the polling after that law is made.

Sometimes people do not have confidence in the contesting candidates due to various reasons and that leads to no polling. Who is to be blamed? Are the voters to be blamed or the system? We will have to correct the system. Sometimes those candidates do win. That will further strengthen their disillusion in the whole system. Erosion of confidence of electors in the electoral system of the country is quite dangerous for the country. But any attempt to force the voters to compulsorily caste their vote without making them feel that they have the option of voting for the candidate with a clean image, who will really work for them, will be fatal for democracy. So, we need to address it. More and more such type may be added. Then what will happen? Sometimes that kind of a discontent, that kind of disillusion, the frustration, may be a volcano which is boiling and may erupt.

That will be more dangerous to the democracy of the country. We need to prevent that. We need to address that.

They find that their aspirations are not really met. This would be the volcano. It may be from a group of people or maybe an individual that is growing but ultimately that may surface in the democratic set up. And that is how many parliamentary democracies have been destroyed and devastated. Our country, I hope, will not become that. Before it becomes or it reaches such a situation – some symptoms are reflected – we need to rectify that. This is what we seriously should address.

The Committee on Electoral Reforms of 1990 headed by Dinesh Goswami was appointed by the Government to go into various proposals on electoral reforms. It also went into remedial measures on low percentage of polling at the elections. I have gone through all the Reports. We have prepared a big note on that for the benefit of national consultations. In this connection, the Committee considered the question of making voting compulsory. We have also discussed and debated about it. This idea however was not accepted because of the practical difficulties involved in its implementation and the contradictory views expressed by the Members of that Committee.

In this connection, political parties, groups, and voluntary agencies have to play the greatest role in exhorting the people to exercise their voting rights, come what may, and contribute in strengthening of the democratic institutions. I find that many studies have been made, many activists are involved in that. I must say that many of the studies I have found were more negative in nature than positive. What should be constructively done to change the psyche, to change the system? How it can involve these people? Everything emanates from the love of the country, love for the country. There, we feel that it is our Government, our country that we are going to face. It is our democracy. If that kind of a sense of belonging among the citizens is not built, we may mechanically give the life, but at the same time, we land into a system of total distortion.

The role of the Government may be to accelerate the pace of development in all areas so as to relieve people from their basic problem. Let them think about the broader issues associated with their national identify. The remedy lies not in adding one more law in the Statute Book. It may at best be for an ornamental purpose. We are passing laws after laws. But are we doing something to really add flesh and blood into those laws. We make the law and we think that our duty is over. But are we adding or contributing any flesh and blood into those laws? Any law, I would rather think, should not forget the social content, the economic content and the political content. We do not address that. Maybe on some day, we will bring in a law here, while passing it…… … (*Interruptions*) I am not convincing him; I am supporting him in undertaking concrete and effective measures to motivate people …(व्यवधान)

सभापति महोदय : जब बक्त आएगा तब आप बोल सकते हैं।

…(व्यवधान)

SHRI M. VEERAPPA MOILY: We always say, `one man, one vote'. Is not it? But can we say `one value'? No, this is what I am addressing. We say, `one man, one vote'. Are we saying, `one value'? We have varied values. This is why we get lost. We have several identities; that does not matter. But that identity does not say that they should have unequal value for each citizen. We need to address some of them? So, I must congratulate the hon. Member, Shri J.P. Agarwal and 18 other Members who have contributed to the discussion. I would like them to join in this National Consultation. There is no solution in passing just this law and finish this? We are trying to bring out many reform measures, as comprehensive electoral reforms. We will address all these issues which include compulsory voting also. But that stand alone law will not take us anywhere. It has to be accompanied and coupled with many other laws, not only laws, but also principles like 'one man, one vote and one value'.

What are those values? Those values have been enshrined in the Constitution. The rule of law is there, by which everybody is equal before the law. That man stands up, goes to the poll, elects a person – just imagine, he realize this.

I may narrate one of the incidents which I have said in my Ramayana, my epic poem. For 14 years, there was no King ruling Ayodhya – Bharata was not ruling, he was in a village; Rama was not ruling, but those 14 years really made the entire Ayodhya as Rama Rajya. Rama Rajya was not created by Dhasarata or Rama. Rama Rajya was created by the citizens; for 14 years, it is the citizens of Ayodhya who ruled that country, who made it Rama Rajya.

All of us may claim that I have given the ideal rule; I have given the Ethiopian rule; I have given the best rule, etc. But if you do not empower the citizens to understand their rights, to rule their own country – if that day does not come – I do not say that our Indian democracy is perfect.

I would quote one more instance from my epic poem and conclude my speech. Rama and Lakshmana were taken by Vishwamitra to Tataka Vana, where poor tribal people were being exploited. There, some of the women had been raped by Rakshasas and some of them became pregnant. Then Rama and Lakshmana went to them, equipped them with the capacity to build themselves. They said to one of the characters, Vanaja, that Rama and Lakshmana will not come back to this place again; in every house, Rama and Lakshmana should be born.

This should be the ideal India and the ideal democracy that we need to build. With this, I conclude and request my hon. Member, Shri Agrawal to be kind enough to withdraw this Bill.

He has the full and unanimous support for this. I hope that he would feel emboldened and would feel very happy that he has done his job perfectly well.

We will all discuss this again within 3-4 months. I would call a big debate in the nation, for a comprehensive electoral reforms, where this could be one of

the issues that we would discuss. How we could make it happen? This is a road map that we would build up together.

श्री जय प्रकाश अग्रवाल (उत्तर पूर्व दिल्ली): सभापति महोदय, मैं मंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। मेरे सारे कुलीग्स, जो ओनरेबल पार्लियामैंटेरियन्स हैं, जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया ...(व्यवधान) आप भी उनमें से एक हैं। मुझे खुशी है कि सबने इसका समर्थन किया। मैं जो बिल लाया, मैंने जो स्टडी की और जो फैक्ट्स यहां रखे थे, उनको इकट्ठा करने में मुझे काफी समय लगा था। तभी मैंने कहा कि आज जरूरत है जब हम फंडामेंटल ड्यूटीज और राइट्स की बात करते हैं, और जब हम वोट देने जाते हैं, तो वह परसेंटेज गिरकर 30,40, 50 और 60 परसेंट क्यों रह जाता है? जो लोग ये कहते हैं कि हमें रोटी दो। आप राज कर रहे हैं और हमें नौकरी नहीं मिल रही, एजुकेशन नहीं मिल रही, दवाई नहीं मिल रही, तो क्या फिर उनकी ड्यूटी नहीं है कि जिस दिन चुनाव हो, उस दिन वे सौ फीसदी वोट दें। अगर ऐसा होता, तो शायद मुझे यह बिल लाने की जरूरत न पड़ती। जब हम कोई मांग रखते हैं, तो हमें अपनी तरफ भी देखना चाहिए कि हमारी ड्यूटी देश के प्रति क्या है?

सभापति महोदय, वर्ष 1947 से पहले किसी ने किसी को तन्ख्वाह नहीं दी थी। महात्मा गांधी ने कोई पे रोल नहीं बना रखा था, जिसमें लोगों को कहा कि आजादी के लिए लड़ो, हम पैसे देंगे। भावना ही तो थी इस देश के प्रति कि यह देश मेरा है और इसे आजाद होना चाहिए। आज जब कोई सरकार बनने वाली हो, जो हमारे लिए काम करने, हमारे लिए कार्यक्रम और नीतियां तय करने की बात करने वाली हो, उस समय हम घर पर बैठे रहें या बच्चों के साथ कहीं घूमने चले जाएं या यह ध्यान न रखें कि हमारी ड्यूटी है वोट देकर सरकार बनाना, तो मुझे लगता है कि शायद कहीं कभी इसकी जरूरत पड़े और इस बहस की जरूरत जरूर पड़ेगी कि क्या वजह है, क्यों आज वे लोग वोट देने नहीं आते हैं? लोकतंत्र में मेजॉरिटी मानी जाती है। अगर 100 में से 51 लोग वोट नहीं देते हैं, तो वह चुनाव सही चुनाव नहीं माना जा सकता है। मैंने आपके सामने कुछ एनोमलीज, कुछ खामियां भी रखी थीं, जिसमें 16 प्रतिशत वाले का आपने बड़ा सही जवाब दिया, जिक्र किया। कुछ गलती भी है कि 16 प्रतिशत से कम पर अगर जमानत जब्त हो जाती है, तो वह जीता हुआ कैसे डिक्लेयर हो सकता है? इसे आपको ठीक करना चाहिए। मैंने एक अन्य मुद्दा उठाया था, जिसका आपने जवाब नहीं दिया। मैंने उसके बारे आज फिर एक बिल इंट्रोड्यूस किया है कि धर्म के नाम पर वोट नहीं मांग सकते, तो धर्म के नाम पर पार्टी नहीं बन सकती है। धर्म के नाम पर और सेना के नाम पर पार्टी नहीं बन सकती है। पूरे सदन ने मेरे उस बिल का समर्थन किया है इंट्रोड्यूस करने में। मैं आशा करता हूं कि आगे अगर मुझे बहस करने का मौका मिला तो मैं उस पर चर्चा जरूर करूंगा। सभी ने इस पर चर्चा में हिस्सा लिया, इसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देता हूं। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Are you withdrawing the Bill?

श्री जय प्रकाश अग्रवाल : मैं मंत्री जी का बहुत आदर करता हूं, उन्होंने आग्रह किया है, इसलिए मैं अपना बिल वापस लेता हूं।...(व्यवधान)

SHRI B. MAHTAB : Sir, I have a point of order. I had participated in the discussion and I had categorically asked the mover of the Bill not to withdraw the Bill. I told him that this is a utopian idea. At that time he stood up and said, "No, it is not a utopian idea, I believe in this". He is now withdrawing it.

MR. CHAIRMAN: He is at liberty to withdraw it. He is the mover of the Bill and he is at liberty to withdraw it.

SHRI B. MAHTAB : The citizen of this country also has a liberty to vote or not vote. How can you compel a person to vote?

MR. CHAIRMAN: He is at liberty to withdraw it.

SHRI M. VEERAPPA MOILY: I may tell you, what happens in a Long Jump! You just do not run, you stop and then take the jump. This is what he is doing.

श्री जय प्रकाश अग्रवाल : मैं मंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपने लंबे भाषण में उन सारी बातों का जिक्र किया जिनको मैंने उठाया था। मुझे खुशी है कि आपने यह माना है कि इस विषय पर लंबी चर्चा की जरूरत है और उसके बाद हम इसमें तब्दीली कर सकते हैं। इन सारे आश्वासनों के बाद मैं अपने बिल को वापस लेना चाहता हूं।...(व्यवधान)

सभापति महोदय : इसमें और लोगों के बोलने का स्कोप नहीं है।

...(व्यवधान)

श्री महाबल मिश्रा (पश्चिम दिल्ली): महोदय, बहुत लोग दिल्ली में बाहर से आते हैं।...(व्यवधान)

सभापति महोदय : ये बातें रिकॉर्ड पर नहीं जाएंगी।

...(व्यवधान) *

सभापति महोदय : मिश्रा जी, आप बलवान हैं, लेकिन अभी कुछ नहीं हो सकता है।

...(व्यवधान)

SHRI JAI PRAKASH AGARWAL : I beg to move for leave to withdraw the Bill to provide for compulsory voting by the electorate in the country and for matters connected therewith.

---

* Not recorded.

MR. CHAIRMAN: The question is:

> "That leave be granted to withdraw the Bill to provide for compulsory voting by the electorate in the country and for matters connected therewith."

The motion was adopted.

SHRI JAI PRAKASH AGARWAL : Sir, I withdraw the Bill.

16.29 hrs

CHILD WELFARE BILL, 2009

MR. CHAIRMAN: The House shall now take up Item No.41.

SHRI ADHIR CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, I beg to move:

> "That the Bill to provide for the welfare of children and for matters connected therewith, be taken into consideration."

I have introduced a Bill under the nomenclature of the Child Welfare Bill, 2009. The salient features of the Bill are as follow. The Bill seeks to establish adequate number of juvenile homes with all basic amenities for the welfare of children in every district of the country.

Clause 5 of this legislative document has sought that every child who is admitted into the juvenile home shall be entitled to the following facilities free of cost:

1) Accommodation, food and clothing;
2) Education including higher and technical;
3) Medical assistance; and
4) Any other facility which is necessary for the all round development of the child.

Clause 6 of this Bill has sought that the Central Government shall make provisions for reservation in posts and services under its control for children admitted to juvenile homes on attaining the age of 18 years.

This is an year when we are celebrating 150th birth anniversary of great poet, Rabindra Nath Tagore who once wrote that the civilisation must be judged and prized not by the amount of power it has developed but how much it has evolved and given expression to its laws, institutions, the love of humanity. But the fact is that in today's India, children are the victims of neglect, rape, torture, sexual abuse, inhuman labour and all other nefarious descriptions.

Child is recognised as an apostle of God who has sent forth day by day to spread to preach the message of love, peace and hope everyday. We have to have an introspection into why India in spite of all its resources, in spite of plethora of laws is not being able to protect the rights of the children. That needs to be pondered over. Just a few minutes earlier, hon. Law Minister in his deliberation uttered that only laws cannot make any real change and we have to infuse flesh and blood into the laws. Their lies the crux.

In our Constitution, children have been entitled the right to live, right to education, right to health and right to better life. There is no dearth of legislation in our country in respect of welfare of children. But the problem of India is that here laws are enacted but are not acted upon. There lies the problem.

I have to take recourse to some figures in order to substantiate my argument. India is known as the second populous country in the world. We hold only 2.4 per cent of land area but 17.5 per cent of world population. Now, India is a country having 1.18 billion population. Every minute India is giving birth to 34 lives.

At the same time there are 10 deaths taking place. There are 2040 births per hour and 603 deaths per hour. 48,960 births and 14,475 deaths are registered everyday, there are about 10.78 million births every year and the death rate is 0.40 million a year.

We have signed the Millennium Development Goal. But the objectives of this document are not being implemented. The situation, as it prevails today, suggests that achieving the objectives of the Millennium Development Goal is next to impossible to achieve within the prescribed time limit. In the population policy, the target set for infant mortality was 30 per one thousand by the year 2010. We are today in the year 2010 and at present the infant mortality rate of our country is 53 per thousand. Similarly, the maternal mortality rate was targeted at 100 per thousand by the year 2010. But our achievement in this regard is a deplorable 254 per thousand. That is why it is a matter of great concern.

Sir, insofar as the child sex ratio is concerned, at birth the ratio is 1:12 male/one female and at under 15, the ratio is 1:10 per male/one female child. India is recognised as the youngest country in the world. We have a population of 31.17 per cent between the age of one and 14 years. But what is the plight of this generation on whom depends our future? We are extinguishing the lamps that are supposed to illuminate, the nation including us. Today the world is ours, it is the world of our children also. But tomorrow it would not be ours, rather this world would belong to our children, who are our future.

Sir, insofar as infant mortality rate is concerned, one-fifth of the world's new born deaths occur in India. The countries like Peru, Bangladesh and Nepal have done better than India as far as neo-natal mortality rates are concerned. Over four lakhs new born die within 24 hours every year in India. It is the highest in the world. Under 5 years mortality is the highest in the world with over 2 million children die before their fifth birthday, that is one child in every 15 seconds die. It is astounding to note that 90 per cent of these deaths are preventable.

What is the status of children in our country? That is an issue that needs to be contemplated on and it is in that context I mentioned that we need to have an introspection into the future of India.

Sir, India vowed to achieve millennium development goal of reducing under-five mortality rate by two-third by the year 2015. I have already told that it is next to impossible.

In so far as malnutrition is concerned, the World Bank estimates that India ranks second in the world in the number of children suffering from malnutrition after Bangladesh. 47 per cent of the children exhibited a degree of malnutrition, suffering from stunted growth. Every second malnourished child in the world is from India. Even in the prosperous States like Gujarat and Kerala, there is a rise in the number of malnourished children. 46 per cent under the age of three years are too small for their age and 16 per cent show signs of wasting. Anaemia affects 74 per cent of children under the age of three and shockingly, you can easily

observe the discrimination being committed by the society as 90 per cent of all adolescent girls, are anemic.

Sir, it is disconcerting and alarming to note that 2,20,000 children are infected HIV with nearly 60,000 being added each year in our country. Child malnutrition is responsible for 22 per cent of India's burden of disease. Micronutrient deficiency is also prevalent. 75 per cent are noticed to be deficient from iron, 57 per cent from Vitamin A deficiency and 85 per cent from iodine deficiency. As per the National Health Survey Report to which I am referring to, nearly three-fourths of all infants between six to 35 months of age are anaemic in 19 States of our country. In the age group zero to three years, one-third of them are stunted and more than one-sixth are wasted. Two out of five are under weight. Prevalence of underweight is not only the highest in the world but it is nearly double that of Sub-Saharan Africa with dire consequences of morbidity, morality and productivity as well as economic growth.

Sir, a few days earlier, nobel laureate Amartya Sen told that India is swinging between Sub-Sahara and Silicon Valley. We are really swinging between Sub-Sahara and Silicon Valley as has been proved by the UNDP Report. In UNDP Report, multidimensional poverty index has been establishing the fact that there are more multidimensional poverty index poor people in 8 States of India, namely , Bihar, Chhattisgarh, Jharkhand, West Bengal, Madhya Pradesh, Orissa, Rajasthan and UP than the 26 poorest African countries combined together. As per MDPI, the number of poor people in 26 poorest African countries is estimated as 410 million but in India, only eight States can surpass the number and hold 421 million poor people. One-third of world's poor live in India. The economic status will reflect the health of our children.

It is amply proved that youngest generation in India are suffering from pervasive malnutrition. For most of these infants malnutrition would have started in the womb of their mothers itself. It is horrible to note that 54 per cent of pregnant women in India are suffering from anaemia. Not only that. In terms of Body Mass Index, it is found that one-third of women are below normal. The National Health Survey indicates that after surveying nineteen States, it is found that more than sixty per cent of children are immunised in eight States and the proportion of fully immunised children is less than half.

Early marriages are far from being eradicated in spite of banishment by law. In Rajasthan itself, 41 per cent girls get married between 15 and 19 years. Insofar education is concerned – I refer it because my Bill has proposed to provide education, health, protection, care, homes, etc. – by the beginning of 2009, 20 per cent of all Indian children aged between 14 and 16 were out of school. The reason being inadequate facilities and severe impoverished environment of seven lakh rural schools of the country, which equally frustrate the children to have equal access to education. Our country has passed the legislation for free and compulsory education to the children. But the stark reality still contradicts, the stark reality still is in conflict with the hallowed objectives of papers that are produced before the people of our country. Fifty-two per cent of the children in India are either not attending the school or dropping out before Class VIII. We are far away from universalising the education.

The World Bank has established that 25 per cent Government primary teachers remain absent; 50 per cent are engaged in teaching while at work; 14 per cent of teachers being para teachers; and 10 per cent schools have a single teacher. If we want to turn our population into a demographic dividend we need to provide not only education by its mere definition, but also a quality education, which is a far cry so far as India is concerned. Only one in six schools in our country is equipped with toilets. Girl students are often reluctant to go to schools because of lack of toilet facilities. The most under qualified and un-trained teachers cater to

the poorest and the most deprived sections of our society further widening the gap between the privileged and under-privileged sections of our society. There is a shocking absenteeism of teachers which incurs a cost of 2 billion dollars.

Sir, we are a signatory of the United Nations Convention on the rights of the child which was ratified by India in December, 1992. It states that the state parties recognize the right of the child to be protected from economic exploitation and from performing or work that is likely to interfere with the child's education, and to be harmful to the child's health or physical, mental, spiritual and social development. We have already signed it. But the fact is that less than 25 per cent of all enrolled children in India attend a grade that is commensurate with their age. Less than half of the children in grade three could read a text designed for grade one; and 38 per cent of the students in grade four could subtract or divide.

The other day, the hon. Minister, Shri Kapil Sibal was referring about the Higher Education. He mentioned that 12 per cent enrolment was achieved. On the other hand, the private education market is estimated to be worth of 40 billion dollars. We have come to know that this Government is proposing a new concept, viz, `Outcome over Outlays'. I would like to know from the concerned Minister whether in terms of education of these children, in terms of health facilities of these children including their care and protection, whether the outlays have ever been enumerated so that we are able to know the outcome in commensurate with the outlays of the Budget.

Sir, in so far as child labour is concerned, a shocking 12.6 million children are engaged in hazardous occupation to make India a home to the largest population of child labour in the world. Where have they been engaged? If you go to Sivakasi in Tamil Nadu, you will find them in the match factory, in the fire works factory and in the explosive factory. If you go to Firozabad, you will find those little children are sweating in the glass and bangle industry. In the industry of beedi in Andhra Pradesh and in West Bengal, even the children of four years age are being engaged because their parents think that it is better to earn a

supplement income. So they do not encourage those children to go to school rather engage themselves in the hazardous occupation. Those parents are also poor. They are also ignorant. They do not know in regard to the legislation which is supposed to provide vocational training and other facilities to their kids. The kids are preferred because the children are found as a cheap docile. They never claim for their entitlements as their adult counterpart. They are not tired and exhausted *vis –a vis* their adult counterpart. That is why the children are always preferred to those industries.

The carpet industry in Bhadoi, Varanashi, Mirzapur in Uttar Pradesh where eight per cent of work force is from children. In the Brassware factories in Moradabad, you will find those little children. In the export-oriented garment and gem factories, you will find the children are polishing the gems and jewellery. In the mines and manufacturing unit in Mubarakpur**,** U.P., you will witness the same scenario. In the leather units in Agra, Kanpur, Durg, Tonk and everywhere the children of our country are performing their jobs to earn livelihood.

As far as the diamond industry is concerned, in Surat, the same scenario will be recurring. Why I am referring to this matter is because here we have enacted the law banning child labour but child labour is very much prevalent in every nook and corner of this country.

MR. CHAIRMAN : How much more time will you take?

SHRI ADHIR CHOWDHURY: I will take a few minutes. I would like to refer to the hon. Finance Minister's inclusive Budget. A few months back, we have passed our Budget for the year 2010-11. In the Budget, it has been observed that the inclusive Budget for the year 2010-11 does not include children. Out of every rupee spent in the Budget, for children, he has allotted only 4.63 paise. The Children's share in this fiscal is Rs.51,453.84 crore out of a Budget of Rs.11 lakh crore. If we go in for the dissection of the Budget, I think everybody will be disheartened.

Share of Development Sector – I mean the budget for children in the Union Budget – is only .90 per cent. Only this much has been allotted. Share of Health Sector is .49 per cent. Share of Protection Sector is 0.04 per cent. Share of education Sector is 3.20 per cent. The total share of children is 4.63 per cent. We know that there is the Centrally-Sponsored Scheme to build 6000 high-quality model schools at block level as benchmarks of excellence.… (*Interruptions*)

Here, I would like to draw the attention of the hon. Minister to what I say. The first phase was launched in November 2008. Only 419 schools in 12 States were approved during the year 2009 but only 167 schools in six States have been sanctioned.

The Centrally-sponsored Scheme of hostels for SC boys and girls has been renamed as Babu Jagjivan Ram Chhatravas Yojana from January 1, 2008. The Central assistance for girls hostels was raised from 50 per cent to hundred per cent. The target during 2009-10 was to construct 44 hostels for girls and 30 hostels for boys. Only Rs. 5.98 crore was released under the scheme against an allocation of Rs.90 crore up to December 2009.

Now, I come to the Central-sponsored Scheme to set up girls hostels in educationally backward blocks with 100 seats in about 3,500 educational backward blocks. In October 2008, 647 hostels in 14 States were approved. So far, only 163 hostels in seven States have been sanctioned. What does it indicate? It indicates that till now, we are indifferent to the welfare of our future generations.

17.00 hrs.

There are 164 million children in the 0-6 age group in the country. According to the Third National Family Health Survey conducted in 2005-06, over 37 million children below the age of 3 are underweight, while almost 50 per cent of under 5 children are moderately or severely malnourished.

The Integrated Child Development Services (ICDS), one of the world's largest programmes for early childhood development, has received Rs. 7,932.71 crore in the Budget, an 18 per cent jump over last year. So far, according to the Ministry of Women and Child Development, about 69 million children aged between 6 and 72 months are covered by the Supplementary Nutrition Programme under ICDS and only 34 million children are covered by any kind of pre-school initiatives, including ICDS. This must be seen against the total number of children under six years, which is 164 million. According to the Ministry of Women and Child Development, it lays down a target of 1.4 million Anganwadi Centres, one in every habitation, there is still a shortfall of 95,731 Centres as of March, 2009. The much-feted Rajiv Gandhi National Creche Scheme for Working Mothers is also witnessing the same deplorable condition.

As far as health is concerned, the 15 per cent increase in the health sector allocation for children is due to the allocation of Rs. 351 crore for the new Conditional Maternity Benefit Scheme. This is to tackle the problem of low birth weight. There is also a 14 per cent increase in the Reproductive and Child Health Programme and 33 per cent of the health sector allocation remains externally funded. Despite investments in Polio eradication, according to the Union Health Minister Shri Ghulam Nabi Azad, a total of 107 blocks in Uttar Pradesh and Bihar are still affected by the polio virus despite 15 years of campaign in which all other States and Union Territories have been freed of the disease.

The Sarva Shiksha Abhiyan is very well publicised. It is a good programme about which we are all aware of. There is a 15 per cent rise in the outlay for Sarva Shiksha Abhiyan to Rs. 15,000 crore and an 18 per cent increase in the outlay for the Mid-Day Meal Scheme. However, most of this increase is funded by the Education Cess.

Insofar as protection is concerned, over the years, in every Budget it has received the least attention. This year too it receives 0.04 per cent of the Budget. All initiatives till the 11th Five-Year Plan had been ameliorative in nature, that is,

they addressed children after they fell through the protective net. With the designing of the Integrated Child Protection Scheme (ICPS), the effort was to create a protective environment for children which would thereby address their needs so that they do not become vulnerable to exploitation and abuse. It is, indeed, heartening to see a 300 per cent increase in the allocation for the Integrated Child Protection Scheme. This year, the allocation for this scheme has been increased from Rs. 54 crore to Rs. 270 crore. However, this is still not enough to even implement the Juvenile Justice Law in our country.

Sir, the need of the hour is that we have to pay our attention to other areas also. Now, trafficking of children has been growing alarmingly throughout the country.

In the organ transplantation industry, children are being exploited as pawn to flourish this industry. Insofar as prostitution is concerned, you will find an abundant number of children being exploited. Even 'Slumdog Millionaire' has won the Oscar prize. But the 'Slumdog Millionaire' by Danny Boyle exhibited the horrible acts against humanity that are happening in India. Even children are purposely blinded for begging.

Last but not least, India is home to the largest population of street children. What are we doing for those children who are the future of our country? In our country, 50 per cent of wealth is being owned by the 10 per cent of population. Even in the city of Mumbai alone, you will find more millionaires than the entire Scandinavian countries combined together. A successful society will invest all its resources and hope in the success of children. An unsuccessful society ignores and maltreats its children. Here our children are being engaged in prostitution. Here our children are being engaged in begging. Millions of children found in streets are begging under scorching sun, under rain. Therefore we should be humane in our approach because children are the future of our species. How a society treats its children, is a direct reflection of how we look at our future. A

moral and competent society is one that respects and upholds the rights of its children. If it fails, it will be called immoral and incompetent.

It is the right of the children to receive special care and protection. It is the right of the children to have protection from work which threatens their health. It is the right of the children to have a living standard which is adequate for his or her physical, mental, spiritual, moral and social development. We not only are concerned with today's world but also concerned for future because we do not know how tomorrow's world will fundamentally differ from today's world. Therefore, we have to mobilize all our resources, all our powers, all our social, political, economic forces so that we can build a generation who are healthy, who should be educated, who should be mentally, physically and spiritually sound. In this legislation, I have proposed these kinds of measures.

I would like to quote hon. Justice P.N. Bhagwati. He said:

> "A child is born. It is a soul with a being, a nature and capacity of its own, who must be helped to find them, to grow into their maturity, into a fullness of physical and vital energy and the utmost breadth, depth and height of its emotional, intellectual and spiritual being. "

We should put our special emphasis to stop the children who are being trafficked, who are trafficked not only for sex trade, but also for non-sex trade as agricultural labour, as industrial labour and as domestic labour. They are facing impoverishment and they are facing poverty much beyond the description of modern society.

Not only these, but even in the name of adoption, children are being trafficked. Trafficking has assumed an alarming dimension, which needs to be resisted by our legislations, which are at the disposal of the concerned Ministry.

Insofar as child homes, rescue homes and remand houses are concerned,all are in pathetic condition Juvenile Justice Act had been passed by this Parliament. But I do not know about the status of the implementation of this Juvenile Justice Act because today the juveniles are the victims in all respect.

I would request the hon. Minister that being a woman, she should be more soft and she should be more tender upon the children of our country because they are the victims of all sorts of neglect, all sorts of indifference.

If we are not able to build the generation to the best of our capacity, we will be losing our future. So, everything must be done without much late.

Sir, I am concluding my speech with a last quotation. This is a quotation from UNICEF. It says:

> "A child of today cannot develop to be a responsible and productive member of tomorrow's society unless an environment which is conducive to his social and physical health is assured to him. Every nation, developed or developing, links its future with the status of the child. … "

UNICEF also exhorted, and said:

> "The day will come when nations will be judged not by their military or economic strength, nor by the splendour of their capital cities and public buildings but by the well being of their people; by the levels of health, nutrition and education; by the opportunities to earn a fair reward for their labour; by their ability to participate in the decisions that affect their lives; by the respect that is shown for their civil and political liberties; by the provision that is made for those who are vulnerable and disadvantaged and by the protection that is afforded to the growing minds and bodies of their children."

Sir, we hope that we all must pay our fullest attention to the growth of our future generation. If we are able to build our future generation to the desired level, then there can be no denying that India will be prosperous; India will be able to carve out a niche in the Comity of Nations.

With these words, I am concluding my speech.

MR. CHAIRMAN : Motion moved:

> "That the Bill to provide for the welfare of children and for matters connected therewith, be taken into consideration."

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी): सभापति महोदय, इस बिल के प्रस्तावक महोदय ने लगभग 50 मिनट तक अपनी बात को सदन के सामने रखा है। लेकिन एक है समस्या को रखना और एक है उसका निदान, जो समस्या है, उसका कारण क्या है और निदान क्या है। किसान की समस्या के कारण और निदान पर हिन्दुस्तान के सुविख्यात किसान नेता चौधरी चरण सिंह जी ने जो किताब लिखी थी, - "The Economic Nightmare of India, its causes and cure." जब तक हम कारण को नहीं जानेंगे, तब तक उसका निवारण क्या करेंगे?

महोदय, यह बात सही है कि आजाद भारत में बाल विकास के ऊपर, ग्राम विकास के लिए और महिलाओं के कल्याण के लिए राशि खर्च की गई और उसे हम गिनाते जाएं और कहें कि इतने सौ करोड, इतने हजार करोड़, इतने लाख करोड़ और अरबों रुपए खर्च कर दिए, लेकिन आखिर धरातल पर, जहां से हम आते हैं, वहां की वस्तुस्थिति क्या है, हमें उसे देखना होगा। वहां वे गिना रहे थे कि इतनी रक्तहीनता है, इतना कुपोषण है, इतने विकलांग हैं, इतने बीमार हैं, तो मैं सबके बारे में एक ही बात जानना चाहता हूं कि जमीन कैसी है ? चूंकि मैं किसान हूं इसलिए मैं जानता हूं कि बीज कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर जमीन में उर्वरा शक्ति नहीं है, तो अच्छे बीज भी उर्वरा-विहीन जमीन में अच्छा उत्पादन नहीं दे सकते। अगर जमीन में उर्वरा शक्ति है या ताकत है, तो कमजोर बीज भी कुछ न कुछ उत्पादन जरूर दे देता है और वह किसान को निराश नहीं करता।

महोदय, आखिर हिन्दुस्तान के बच्चे कमजोर, विकलांग और अनपढ़ क्यों हैं ? यदि इसकी जड़ में जाएं, तो पहले उनकी मां की ओर देखना पड़ेगा। उन माताओं की ओर हमारी दृष्टि इसलिए जाती है, क्योंकि उन माताओं को हमने देखा है। उन्हीं माताओं में से एक मां मेरी भी थी। इसलिए जब मेरी दृष्टि इन गरीबों के ऊपर जाती है, तो मैं पहले अपने भूत में चला जाता हूं कि मैं कहां से चला हूं, कैसे बढ़ा हूं और कैसे यहां तक आया हूं।

महोदय, 4, बिशम्भर दास मार्ग पर जब मुझे कोठी आबंटित हुई और उसमें जब मरम्मत का काम चल रहा था, तब मैं एक कमरे में रह रहा था। वहां मजदूर काम करते थे। खुद राज का काम करता था। ईंट और पत्थर लगाता था और उसकी पत्नी उसके साथ 'रेजा' के रूप में काम करती थी। संभवतः वे मध्य प्रदेश अथवा बिहार के पूर्णिया या कटिहार की तरफ के रहे होंगे। आदमी राज का काम करता था और उसकी पत्नी मजदूरनी यानी रेजा का काम करती थी। पति है राज अर्थात् मिस्त्री और पत्नी है रेजा। उसके तीन बच्चे, मेरे उस कैम्पस में खेलते थे। कभी-कभी उनकी मां कहती थी कि जा, दौड़ कर ईंट ले आ,

पत्थर ले आ। वे पांच साल, सात साल या आठ साल के बच्चे जाते थे और जब उनसे ईंट नहीं उठता था, तो ईंट को अपने पेट से चिपका कर, जैसे बंदरिया अपने बच्चे को पेट से चिपका कर चलती है, वैसे ही वे ईंट को पेट से चिपका कर लाते थे। इस प्रकार वे पेट से सटाकर ईंट ढोते थे और मां के पास रखते थे। मां और बाप उन ईंटों को लगाते थे। एक दिन मैंने उससे पूछा कि इस बच्चे से ईंट क्यों ढुलवाती हो, तो उसने कहा कि बाबू ठेके का काम है, ये बच्चा थोड़ी-थोड़ी मदद कर देगा, तो जल्दी काम हो जाएगा। इसी दिल्ली के अंदर ऐसे बच्चे लाखों की संख्या में हैं।

महोदय, दिल्ली जैसे बड़े शहर में जहां हिन्दुस्तान के करोड़पति और अरबपति रहते हैं, वहां एक-एक रात में, पंच सितारा होटल में डिनर पर लाखों रुपए फूंक दिए जाते हैं, लंच, डिनर और शादी-विवाहों पर खर्च कर दिए जाते हैं। उनकी पार्टियों में आई.ए.एस., आई.पी.एस. ऑफीसर, नेता, व्यवसायी और ठेकेदार जाते हैं। वहीं सड़क के किनारे, पेड़ के नीचे वे गरीब पड़े होते हैं। वे पेड़ के नीचे मां के पेट से जन्मते हैं, वहीं पलते हैं, वहीं बढ़ते हैं, वहीं खेलते हैं, वहीं उनकी जवानी आती है और इस पेड़ के नीचे वाले, उस पेड़ के नीचे वाले की किसी बेटी से शादी करते हैं, तो फिर पेड़ के नीचे ही खुले आसमान में उनके बच्चे पैदा होते हैं। क्या हिन्दुस्तान के लोगों की दृष्टि इस ओर गई ? वे कह रहे थे कि यह बच्चे का अधिकार है। मैं कहता हूं कि बच्चे का अधिकार है। लेकिन उन बच्चों को सुधारने का कर्तव्य किस का है ? बच्चे को यह अधिकार कब मिलेगा ? उन्हें यह अधिकार तब मिलेगा, जब कर्तव्य करने वाले आएंगे। आखिर उन बच्चों के लिए साधन कहां से आएंगे ?

सभापति महोदय, मैं 1977 में लोक सभा के लिए चुना गया। उससे पहले मैं तीन बार विधान सभा में चुना गया था। मैंने उससे पहले कभी दिल्ली को नहीं देखा था। जब मैं 1977 में लोक सभा में पहली बार आया, तो मुझे नॉर्थ ऐवेन्यू में आवास का आबंटन हुआ। मैं दिल्ली के इन ऊंचे-ऊंचे भवनों को देखने के लिए पैदल ही निकल जाया करता था। एक दिन मैं इंडिया गेट पर गया। एक गाड़ी जा रही थी। उस गाड़ी में से एक कुत्ता, खिड़की में शीशे के पीछे से जीभ निकाल कर लप-लप कर रहा था। मैं टहलता जा रहा था, लेकिन मैं उसे ऐसा करते हुए देख कर खड़ा हो गया। मैं सोचने लगा कि यह कुत्ता मेरी तरफ जीभ लपलपा कर क्या कह रहा है ?

मैं थोड़ा चिन्तन में गया, डॉ. लोहिया की दृष्टि से मैंने खोजना प्रारम्भ किया तो मुझे लगा कि यह कुत्ता मुझे कह रहा है कि ऐ इन्सान, तू एम.पी. बन गया है, तेरे तन पर कपड़ा है, तू पैदल चलता है। देख, मैं कितनी लम्बी गाड़ी में हूं। ठंडी में गर्म और गर्मी में ठंड वाली गाड़ी में मैं मैम साहब की बगल में बैठा हूं, घर में जाता हूं तो दूध-पाव-रोटी खाता हूं, सप्ताह में दो दिन मांस भी खाता हूं और मछली भी खाता हूं।

मुझे मैम साहब कौन-कौन इलायती-विलायती शैम्पू से नहलाती हैं कि मेरे शरीर में जूं न आ जाये। अगर मुझे जुकाम भी होता है तो मुझे गाड़ी पर चढ़ाकर डॉक्टर के पास ले जाते हैं, मेरा ईलाज कराते हैं। बोल, ऐ इन्सान, मैं कुत्ता तुझसे अच्छा हूं या नहीं? क्या इस देश के लोग इस बारे में सोचेंगे? इसी दिल्ली में 100-200 रुपये रोज इन बड़े लोगों के कुत्तों को खिलाने पर खर्च होते हैं और इसी दिल्ली के अन्दर 10-20 लाख बच्चे आठ आने और एक रुपये रोज़ पर भी पूरी खुराक नहीं पाते हैं। क्या यह देश चलने वाला है? एक हिन्दुस्तान में दो हिन्दुस्तान कैसे चलेंगे?

मैं केवल यह कहना चाहूंगा कि सरकार से केवल मांग मत करो, आज सरकार किसकी है, आजादी के बाद से आज तक देखो तो सब मिलकर सरकार में बैठे हो, कोई राज्य में बैठे हो, कोई केन्द्र में बैठे हो। केन्द्र में भी सरकार चलाने का अवसर आया। मैं किसी सरकार को जिम्मेदार नहीं मानता, मैं व्यवस्था को जिम्मेदार मानता हूं। इस व्यवस्था को बदलो, जिस व्यवस्था ने इन बच्चों को ऐसा किया है और जिन बच्चों की बात मैं कह रहा हूं, वे बच्चे संयोग से, दुर्भाग्य से किसान के बच्चे हैं, पिछड़ी जाति के बच्चे हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चे हैं जो 90-95 प्रतिशत हैं। उसी में पांच प्रतिशत ऊंची जाति के निर्धन और निर्बल बच्चे भी हैं। गरीब ब्राह्मण का बेटा भी आता है, होटल में झूठी पत्तल को फेंकता है, झूठा थाली धोता है और रात में जाड़े में ठिठुरता है। वह फुटपाथ पर जब सोता है और जूट की चट्टी ओढ़ता है। उसी के नीचे वह इन्सान का बच्चा सोया रहता है और उसी की बगल में कुत्ते का बच्चा भी उसके साथ गले लगकर सो जाता है। क्या हिन्दुस्ताम में इस गरीब को देखा है?

सभापति महोदय, मैं विनम्रतापूर्वक कहना चाहूंगा कि संसद के वर्तमान इस स्वरूप और इस वर्तमान आर्थिक, राजनैतिक व्यवस्था के रहते हुए हिन्दुस्तान के करोड़ों गरीब, किसान, मजदूर, पिछड़े, दलित, मेहनतकश इन्सान के बच्चे कीड़े के जैसे जन्मते रहेंगे, पलते रहेंगे, ठिठुरते रहेंगे, मरते रहेंगे और बहस होती रहेगी, आंख से आंसू बहते रहेंगे, उनको गिनाते रहेंगे कि तुम्हारे लिए हमने इतने अरब रुपये दे दिये, लेकिन वह रुपया यहां से चलेगा और रास्ते में पता नहीं कहां-कहां टपकते-टपकते जायेगा। एक पाइपलाइन दिल्ली से गांव तक जाती है, जिससे पानी जाता है और ठीक उसके बगल में दूसरी पाइपलाइन है, जिससे रिटर्न होकर ऊपर तक आता है। शिखर से सतह की ओर जाता है और सतह से फिर लौटकर शिखर तक आ जाता है और सतह सूखी की सूखी ही रह जाती है, इससे क्या निकलेगा? इसे कौन चलाता है? भ्रष्टाचार जब तक नहीं मिटेगा, हिन्दुस्तान की अर्थव्यवस्था नहीं सुधरेगी।

मैं फिर कहना चाहूंगा कि गांवों में गरीबों के लिए तो गिना रहे थे, लेकिन सरकारी बैंक और गैर-सरकारी नये पुराने बैंकों का 2,13,352 करोड़ रुपया एन.पी.ए. खाते और बट्टे खाते में डालकर माफ कर

दिये हो, यह 2,13,352 करोड़ रुपया तारांकित प्रश्न संख्या 142 दिनांक 06.08.2010 को वित्त मंत्री ने इसी सदन में जवाब देते हुए कहा है। किसानों को 76 हजार करोड़ रुपया दे दिया तो दुनिया में ढिंढोरा पीटा गया, जबकि 2,13,352 करोड़ रुपया हिन्दुस्तान के मुट्ठी भर व्यवसायियों का माफ कर दिया गया। क्या ये पैसे लेकर उन बच्चों को रोटी नहीं दे सकते थे, उनको कपड़े नहीं दे सकते थे, उनकी पढ़ाई पर खर्च नहीं कर सकते थे? हिन्दुस्तान के ये मुट्ठी भर लोग देश को लूट रहे हैं और क्यों लूट रहे हैं, उससे आगे आइये।

महोदय, इस देश में गैर सरकारी संगठन हैं। उसमें कौन लोग हैं? उन्हीं के घर के लोग कोई आईएएस है, कोई आईपीएस है, कोई कमिश्नर है, कोई लेफ्टिनेंट है, कोई जनरल है, कोई कर्नल है, कोई राजनीति में हैं। बाप-बेटा दलाल और बैल का दाम बारह आना। अफसर बनकर आफिस में बैठे हैं और उनके ही घर के लोग, उनकी पत्नी एनजीओ बनती हैं, उनके परिवार के लोग एनजीओ बनते हैं और बाल कल्याण के नाम पर, महिला विकास के नाम पर भारत सरकार का पैसा लेते है। कस्तूरबा गांधी के नाम पर बने स्कूल का पैसा कहां गया? कहने के लिए तो दलितों के बच्चों के नाम पर उसका रिकार्ड लिखते हैं, लेकिन उनका पैसा कौन ले गया - एनजीओ। एनजीओ का क्या मतलब है? इसको भगवान ही जाने।

वर्ष 2005-06, 2006-07 और 2007-08 में इसी सदन में सरकार ने स्वीकार किया कि विदेशों से 28,876.90 करोड़ रूपए और शिक्षा के नाम पर 7,229 करोड़ रूपए, यह रूपए 144 विदेशी देशों से लाए गए, लंका से, बांग्लादेश से, घाना आदि से। भिखमंगों से भी भीख मांगने में इस देश के बड़े लोगों को शर्म नहीं आती है। इस देश के गरीबों का कफन बेचकर खाने वाले हिंदुस्तान के उन गरीब के बच्चों की, बाल कल्याण और उद्धार के लिए क्या कह रहे हो? यह पैसा कहां गया, यह किसने लिया है, क्या इसकी आप जांच कर सकते हैं? अभी शैलेंद्र जी कह रहे थे। इनकी कौन जांच करेगा? चाहे वह कामन वेल्थ गेम्स हों, चाहे वह हर्षद मेहता का केस हो, चाहे आईपीएल हो। जितने आए, सब लूटते चले गए। सदन में बहस होती है। हम सदन को ठप करते हैं, रोकते हैं, तीन दिन तक धक्का-मुक्की करते हैं, उस पर नियम 193 में बहस लाते हैं। हम भी बहस करते हैं। हरियाणा में जिसको कहते थूक बिलोई - इसका मतलब थूक को मथते रहो न मट्ठा निकलेगा, न मक्खन, हम थूक-बिलोई करते हैं, इसमें न मट्ठा निकलता है, न मक्खन। ...(व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद (सारण): न मट्ठा न दूध निकलेगा, फेन निकलेगा।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : लालू जी के थूक में फेन भी निकलेगा। किसी गरीब के थूक में तो फेन भी नहीं निकलेगा, क्योंकि उसके अंदर कुछ है ही नहीं।

सभापति महोदय, मैं इस बात को गंभीरता के साथ गहराई से कहना चाहता हूं कि आखिर यह क्यों होता है? यहां से पैसे गए, कापार्ट से, दूसरी अन्य जगह से आप एनजीओ को पैसा देते हैं। यहां से पैसा बाल विकास के लिए, महिला विकास के लिए, गरीब के लिए जाता है और उसको एनजीओ चलाता है। एनजीओ का कलेक्टर चुनाव करता है। क्या किसी एमपी के कहने से एनजीओ को आप पैसे देंगे? मालिक इस देश का कौन है - कलेक्टर । मैं नहीं कहता। मैं आपके सामने रखना चाहूंगा -" हमारा देश, समाज, सरकार अभिमुख है और सरकार अफसर अभिमुख है यानी जनता सरकार की नौकर है और सरकार अफसरों की नौकर है - लोकसभा वाद-विवाद, 4 अगस्त, 1967, डा. राम मनोहर लोहिया। हम अफसर के नौकर है। इस देश पर संसद का शासन है। संसद पर बहुमत दल का शासन है। बहुमत दल पर मंत्रिमंडल का शासन है। मंत्रिमंडल पर प्रधानमंत्री का शासन है और प्रधानमंत्री के ऊपर कितनी अदृश्य शक्तियों का शासन है और उस सबका सूत्र हिंदुस्तान के कलेक्टर से जुड़ा हुआ है, आईएएस अफसर से जुड़ा हुआ है। हम सदन में खड़े होते हैं, भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, कामन वेल्थ गेम्स में हो रहे भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं। मंत्री खड़े होते हैं, अफसर को बचाते हैं। हम तो अफसर के गुलाम हैं। खाता है अफसर, पचाता है नौकरशाह, लूटता है देश को नौकरशाह, गरीब का खून पीता है नौकरशाह, हड्डी चबाता है नौकरशाह, ब्लैकमार्केटिंग कराता है नौकरशाह, एफसीआई का गेहूं सड़ाता है नौकरशाह, हमारे देश के बच्चे भूखे मरते हैं और एफसीआई के गेहूं सड़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि क्या इस देश में इसका कोई इलाज है? हां, इलाज है, इस संसद में पिछड़े, दलित, अनुसूचित जाति, किसान मजदूर के बेटे जितने हों, चाहे किसी भी दल में हो, लेकिन स्वाभिमानी बनकर, अपने दल की सीमा को तोड़ दो, अपने नेताओं की दुम को छोड़ दो और कोई माने या न माने इस संसद में बैठ जाओ और कहो, जब तक इसका फैसला नहीं होगा, तब तक इस संसद से उठकर हम नहीं जाएंगे, तब कहीं उसका हल निकल सकता है। ...(व्यवधान)

शैलेन्द्र जी, कर सकते हैं। अगर हमने आवाज उठाई तो जिस भारतीय जनता पार्टी के बारे में लोग कहते थे कि पिछड़ों की जनगणना को नहीं मानेंगे, भारतीय जनता पार्टी ने उसका समर्थन किया, अगुवाई की। ...(व्यवधान) आप मंदिर को छोड़िए, मंदिर पर क्यों जाते हैं। हम मंदिर पर जाते हैं, लेकिन गरीबों के पैसों से अपनी मूर्ति नहीं बनवाते। निर्धन, निर्बल, दलित, पिछड़ों के नाम पर नेता आते हैं, अपने को सजाते हैं, हीरे का हार होगा, रेशमी रुमाल होगा, बॉबी कट बाल होंगे, हमारी मूर्तियां बन जाएंगी, लोगों को बुलाएंगे, जय-जयकार करवाएंगे, अपनी-अपनी जाति को भरमाएंगे, देश के नाम पर हम भी खाएंगे, आपको भी खिलाएंगे। क्या ऐसे चलेगा? मेरी विनम्र प्रार्थना है कि आप उसे मत छेड़िए, उस तरफ मत जाइए, हमने राम के नाम पर देश को बेचा या कुछ किया, लेकिन जनता ने हमें वोट देकर भेजा था। जनता के वोट का

अपमान मत कीजिए। बहुत से लोग हैं जो बहस को गलत दिशा में ले जाना चाहते हैं। क्यों? "हम जो विरोधी दल हैं, उनका ध्यान भी उचित प्रश्नों की तरफ उतना नहीं जा पाता जितना गलत प्रश्नों की तरफ जाता है।"

शैलेन्द्र जी, हमारी और आपकी चीज है, वह पांडे जी की चीज नहीं हैं।...(व्यवधान) " विरोधी दलों का मुख्य लक्ष्य यह होना चाहिए कि सवाल अच्छे उठाए जाएं। गलत सवाल उठा दिए जाते हैं, चाहे जितना अच्छा जवाब दिया जाए। लेकिन उससे उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती। सदन की शोभा तभी संभव है जब देश की शोभा बची रहती है। जब तक देश, सदन को अलग करके देखने की परिपाटी और तरीका चलता रहेगा, तब तक शोभा बिगड़ती चली जाएगी। इसलिए देश और सदन दोनों की शोभा को बनाकर रखना है।" (लोक सभा वाद-विवाद 26 अप्रैल, 1966 डा. राममनोहर लोहिया)

17.32 hrs.

(Shrimati Sumitra Mahajan *in the Chair)*

इस देश में गलत बहस को गलत दिशा की ओर चला दिया जाता है। गरीबी मिटाने के लिए मैं अपनी ओर से वादा करता हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी में हूं और अगर सम्पूर्ण सदन निर्णय ले कि खर्च पर सीमा लगाई जाए, हुक्मदेव नारायण यादव अपनी प्राण की बाजी लगा देगा, अपनी सदस्यता को दाव पर लगाकर खड़ा होगा। लेकिन कोई आए तो। हमें क्यों कहते हैं? क्या यह मेरी जिम्मेदारी है? इसलिए मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, भ्रष्टाचार पर चर्चा होती है, लेकिन भ्रष्टाचार कब मिटेगा। केवल निर्गुण तर्क से नहीं। इसी सदन में डा. राम मनोहर लोहिया ने चर्चा छेड़ते हुए भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए कोई बात कही थी। क्या आज सदन के लोग, देश के लोग तैयार हैं? "हिन्दुस्तान में कानून का राज नहीं रह गया, मनमानी का राज हो रहा है। 21 दिसम्बर 1963 को लोक सभा में श्री लोहिया ने जो कहा था, वह आज भी उसी तरह सत्य है। नियम अच्छे नहीं हैं या उनका पालन नहीं हो रहा है। नतीजा यह होता है कि सरकार के कामों में पक्षपात भरा हुआ है। उस पक्षपात में लोगों को पैसे का फायदा होता है या नहीं, यह दूसरे नम्बर का सवाल है। पक्षपात, मनमानी, घूसखोरी, नियमों की अवहेलना, ये सब भ्रष्टाचार में समझे जाने चाहिए। भ्रष्टाचार के घेरे को व्यापक बनाइए। सिंहासन और व्यापार के संबंध की तरफ भी मैं आपका ध्यान खींचूगा। यह संबंध हिन्दुस्तान में जितना दूषित, बेईमान और भ्रष्ट हो गया है, उतना दुनिया के इतिहास में कभी नहीं हुआ। हमें केवल यह देखना है कि क्या किसी की बेटी, बेटे या रिश्तेदार, मेरी राय है कि दो पीढ़ी तक के रिश्तेदारों ने उनके संबंधी के सिंहासन पर बैठने के कारण कोई लाभ उठाया है या नहीं। आज हिन्दुस्तान में यही कसौटी रहनी चाहिए कि सिंहासन पर बैठे लोगों की मदद लेकर क्या किसी ने व्यापार में लाभ उठाया है। ऐसा कोई व्यापार जहां मंत्री को कोई कोटा, परमिट या लाइसैंस देना पड़ता

हो, उसमें मंत्री के दो पीढ़ी तक के रिश्तेदारों को बिल्कुल नहीं आना चाहिए। जब तक यह सिद्धांत आप नहीं अपनाते हैं, तब तक सिंहासन और व्यापार का संबंध बिगड़ा ही रहेगा।" क्या आज हिन्दुस्तान की संसद, लोक सभा, राजनैतिक दल और संसद सदस्यों के अंदर इतनी नैतिकता, आध्यात्मिकता, राष्ट्रीयता, मानवता, उदारता और दयालुता है? इसलिए मैं इस संसद में खड़े होकर जब बोलता हूं, तो मैं इस संसद को ही नहीं, हिन्दुस्तान के उन करोड़ों लोगों को कहता हूं कि आप किससे आशा कर रहे हो? छोड़ो इस संसद की आशा, छोड़ो इस राजनीतिक व्यवस्था की आशा, छोड़ो इस प्रशासनिक व्यवस्था की आशा, तुम हथियार उठाकर नक्सलाइट मत बनो, हिंसा की राजनीति में मत जाओ। तुम अगर मर्द हो और तुम्हें अपनी मां के दूध की लाज बचानी है, तो आ जाओ दिल्ली में। इस सड़क पर फुटपाथ पर पेड़ के नीचे, जो छोटे-छोटे बच्चे कीड़े जैसे रेंगते हैं, उन 20 लाख मां-बाप को एकत्रित करो, उनमें ताकत पैदा करो और गांधी जी की तरह तुम संसद और दिल्ली की सड़कों को घेर लो और कहो - ''चाहे हमला जैसा होगा, हाथ हमारा नहीं उठेगा, न मारेंगे, न मानेंगे, अपना हक हम लेकर रहेंगे।'' जिस दिन यह ताकत पैदा करोगे, उस दिन हिन्दुस्तान का स्वरूप बदलेगा, उन गरीबों के बच्चे बदलेंगे, उनका सब कुछ बदलेगा।

महोदय, अंत में, मैं ज्यादा समय न लेते हुए प्रार्थना करूंगा कि हिन्दुस्तान के इन गरीब बच्चों के लिए गांधी जी, लोहिया जी, दीन दयाल उपाध्याय जी, अम्बेडकर जी आदि सबने कहा - कोई समता समाज, कोई समरस समाज, कोई अंतिम मानव आदि सारे सिद्धांत आये और उनके मानने वाले गद्दी तक भी आये, लेकिन उन सबके शिष्य अपने-अपने गुरूओं को भूल गये। इसमें मैं किसी एक के बारे में नहीं कहूंगा। गांधी जी की मूर्ति बना दी गयी, उनके गले में माला डाल दी गयी। अम्बेडकर जी की मूर्ति बन गयी, उनके गले में माला डल गयी, लोहिया जी और दीन दयाल उपाध्याय जी की मूर्तियां बन गयी, उनके गले में माला डल गयी, लेकिन उनके आदर्श और सिद्धांत को राजनीति ने नहीं अपनाया है। इसलिए इन बच्चों को रोटी, कपड़ा और मकान तब मिलेगा जब उनकी मां की कोख मजबूत होगी। जब मां की कोख से ही बच्चे बीमार निकलेंगे, विकलांग निकलेंगे, तो उनको आप कैसे सुधार सकते हैं? उन मां के स्तनों में दूध नहीं है, शरीर में खून नहीं है, पेट में बच्चा होते हुए आठ घंटे मजदूरी करती हैं, सिर पर टोकरी उठाती हैं, ईंट -गारा उठाती हैं, खाली पेट सोती हैं। मां तो सूखी रोटी और नमक प्याज खाती है और एक तरफ कुत्ते पर एक सौ, दो सौ रुपया रोज इंसान खर्च कर रहा है। आज उठो, इस कुत्ते के ऊपर सौ रुपये खर्च करने वाले और हिन्दुस्तान के इन गरीब बच्चों को भूखा रखने वालों की दुनिया को बदल दो, तब आप नया हिन्दुस्तान बना सकते हैं। क्या आप उसे बना सकते है? क्या हम इसे कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते, इसलिए नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं न कहीं हमारा रिश्ता भी उनसे बन जाता है, उनसे जुड़ जाता है। हम कहीं

दब जाते हैं इसलिए हम कठोरता के साथ अपनी करुणा की धारा को प्रवाहित नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैं हाथ जोड़कर कहूंगा कि ''आओ, कौन चलेगा आज देश से भ्रष्टाचार मिटाने को, बर्बरता से लोहा लेने, सत्ता से टकराने को, आज देख ले कौन रचाता मौत के संग सगाई है, तिलक लगाने तुम्हें जवानों क्रांति द्वार पर आयी है। लाख-लाख झोंपड़ियों में तो छायी हुई उदासी है, सत्ता सम्पत्ति के बंगले में हंसती पूर्णमासी है। यह सब अब न चलने देंगे, हमने कसमें खाई हैं, तिलक लगाने तुम्हें जवानों क्रांति द्वार पर आयी है।'' जिस दिन इस संसद का स्वरूप बदलेगा, संसद का रूपांतर होगा तब संसद का काया-कल्प हो जायेगा। जिस दिन इस संसद में करुणा आ जायेगी, जिस दिन इस संसद में मानवता आ जायेगी, जिस दिन इस संसद की धरती कराह उठेगी, जिस दिन हम इस मिट्टी की कराह को समझ लेंगे और समझेंगे कि हिन्दुस्तान की माता, माता है चाहे वह राजमहल की माता हो या झोंपड़ी की हो, माता, माता है।

यादेवी सर्व-भूतेषु मातृरूपेण संस्थिताः,

नमस्तस्ये-नमस्तस्ये, नमस्तस्ये-नमस्तस्ये, नमो नमः।

जब तक उन माताओं के स्तनों में दूध न हो, उनके शरीर में खून न हो, उनके पेट में रोटी न हो, वे सूखी रोटी खायें, प्याज खायें एक तरफ कुछ मां हैं, जो डाक्टर के प्रिसक्रिप्शन्स से ड्राईफ्रूट खाती हैं, फ्रूट्स खाती हैं, हरी सब्जी खाती हैं, मक्खन खाती हैं, लाख- लाख चीज खाती हैं।

तेरे पेट के अंदर बच्चे बलवान, पुष्ट, बुद्धिमान होते हैं और मेरे बच्चे मां के पेट में ही विकलांग होते हैं। हिन्दुस्तान के 95 प्रतिशत माताओं के गर्भ आज इतने कमजोर हो चुके हैं कि विकलांग बच्चे पैदा हो रहे हैं। जहां 95 प्रतिशत माताओं की कोख कमजोर हो, माता के शरीर में खून न हो, बच्चे विकलांग पैदा हों, वह राष्ट्र कभी सबल और समृद्ध हो नहीं सकता है, इसलिए यह झगड़ा 5 या 10 प्रतिशत ऊपर वाले के बीच में फंसा हुआ है। आइए, हम सब अपने को बदलें, अपनी सुविधा की बात छोड़ें, अपने सुख की बात छोड़ें। आइए, इस राष्ट्र के निर्माण के लिए, उन बच्चों के भविष्य के निर्माण के लिए अगर अपना सर्वस्व अर्पित करने से भी भारत का भविष्य बन सकता है, तो भारत का भविष्य बनाने में लगें, तभी कुछ निकल सकता है। नहीं तो यह बहस निरर्थक है, इससे कुछ निकलने वाला नहीं है।

सभापति महोदया: बच्चे तो राह देख रहे थे कि आप उनके कल्याण की योजनाएं बताएंगे। कोई बात नहीं, शैलेन्द्र कुमार जी कुछ बता सकते हैं।

शैलेन्द्र कुमार ।

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): आदरणीय सभापति महोदया, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

महोदया, भाई अधीर रंजन चौधरी जो प्राइवेट मैम्बर्स बिल लाए हैं, उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। बाबू हुक्म देव जी ने बहुत ही ओजस्वी रूप से अपनी बात सदन के सामने रखी। उन्होंने सही चित्रण और विचार प्रस्तुत किए। एक गरीब के बालक की और अमीर-गरीब की खाई का पूरा चित्रण यहां प्रस्तुत किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने डॉ. राम मनोहर लोहिया जी के विचारों को यहां उद्धृत किया, जिसकी आज आवश्यकता है।

महोदया, हम अक्सर कहते हैं, 15 अगस्त आ रहा है, स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थाओं में हम लोग जाएंगे, झण्डा फहराने के बाद भाषण देंगे कि आज के बच्चे देश के भावी कर्णधार हैं और इन्हीं के कंधों पर देश का भविष्य है। आज उसी कड़ी में माननीय सदस्य अपने विचार यहां रख रहे हैं। बाल श्रम की बात कही गई है। श्रम मंत्रालय के बजट पर कभी-कभी चर्चाएं होती रहती हैं और हमने अपनी बात उसमें रखी है। बाल श्रमिक वही बच्चे बनते हैं, जिनके माता-पिता की स्थिति बहुत दयनीय होती है। आर्थिक दशा बहुत कमजोर होती है, बहुत गरीब होते हैं। जैसा कि हुक्म देव जी ने कहा कि हमारे बंगले पर इस प्रकार से बात हुई और बच्चे ईंट ढो रहे थे। उनकी भी परिस्थितियां रही होगी, नहीं तो वह अपने बच्चों से मजदूरी न करवाते। 5 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए हम चिंतित हैं और उनकी स्थिति बहुत खराब है।

दिल्ली में संसद सबसे बड़ी पंचायत है, जहां हम यह चर्चा कर रहे हैं। हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगायी है और कहा है कि बच्चों के लिए कल्याणकारी कदम उठाए जाने चाहिए। आज भी यहां 60 हजार बच्चे भीख मांगते हैं। बाल श्रमिक करीब 60 हजार हैं, जिनमें से पांच हजार को ही मुक्त करवाया जा सका है। यह तो दिल्ली का आंकड़ा है। दिल्ली में 43 प्रतिशत बच्चे यौन शोषण का शिकार हैं। मुंबई में 40 से 50 प्रतिशत बच्चे बाल श्रमिक हैं।

आज देखा जाए तो हम लोग कभी स्वास्थ्य मंत्रालय, कभी बाल विकास या महिला कल्याण मंत्रालय पर चर्चा करते हैं, लेकिन आज भी हिन्दुस्तान के 49 प्रतिशत बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। अगर चार बच्चों की जांच की जाए तो तीन बच्चों में खून की कमी मिलेगी। यही हालत हमारी माताओं और बहनों की है, जिनकी स्थिति भी बहुत दयनीय है। हम इस विषय पर भी चर्चा कर चुके हैं।

मुझे खुशी है कि यहां पर बहन कृष्णा तीरथ जी, नमो नारायण मीणा जी और भूरिया जी बैठे हैं। वे लोग देश की इस सबसे बड़ी पंचायत में उस समुदाय से आए हैं, जहां जीवन भर संघर्ष होता है। यह एक अच्छी बात है। इसलिए वे हम सदस्यों के दुख-दर्द को अच्छी तरह से समझ सकते हैं।

जहां तक बाल विकास मंत्रालय की रिपोर्ट की बात है, उसमें कहा गया है कि देश के करीब 50 प्रतिशत बच्चे आज भी शारीरिक शोषण के शिकार हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हम इसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं और केवल यहां भाषण देकर ही रह जाते हैं। जैसा कि अभी हुक्मदेव नारायण यादव जी बता रहे थे कि उनके विकास के लिए कुछ नहीं हो रहा है। माताओं में कुपोषण के कारण कई बच्चों की मौत तो माता के गर्भ में ही हो जाती है या पैदा होते ही उनकी मौत हो जाती है या वे पैदा भी होते हैं तो विकलांग पैदा होते हैं। इस बात का उल्लेख अभी माननीय सदस्य ने भी किया था।

हमारे देश में बच्चे काफी प्रतिभाशाली हैं। अगर उनकी सही देखरेख हो, उन्हें उचित शिक्षा और अवसर मिलें तो वे बच्चे देश के भावी कर्णधार बन सकते हैं। इसलिए उन्हें जो अभाव है, उसकी पूर्ति की जरूरत है। जो भी सरकार देश में आती है, हमेशा कहती है कि बच्चों के चहुंमुखी विकास के लिए अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। लेकिन आज उनका जो शोषण हो रहा है, उसके खिलाफ हम उन्हें संरक्षण नहीं पा रहे हैं, हम उनके लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। आज भी देखा जाए तो बाल श्रम, यौन शोषण, बच्चों की खरीद-फरोख्त, वेश्यालयों में ले जाना आदि अवैध धंधों में उन्हें लिप्त किया जाता है और हम उसे रोक नहीं पाते हैं। दिन-प्रति-दिन उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। इसलिए जरूरत इस बात की है बालिग और नाबालिग में भी मूल्यांकन करना पड़ेगा।

आज के बच्चे 21वीं सदी के बच्चे हैं। आज के टीवी, कम्प्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक युग के बच्चे बुजुर्गों से भी ज्यादा दिमाग रखते हैं । हमें उसका भी मूल्यांकन करना पड़ेगा कि उनकी प्रतिभा को कैसे आगे बढ़ाकर हम उन्हें देश के भावी कर्णधार बना सकें।

जहां तक अनाथ, उपेक्षित और निराश्रित बच्चों की बात है, ज्यादातर देखा गया है कि ऐसे छोटे-छोटे बच्चों से बलपूर्वक काम लिया जाता है या भीख मंगाई जाती है। दिल्ली में ही आप अगर किसी चौराहे पर देखें तो पाएंगे कि छोटे-छोटे बच्चे हाथ में किताब या कोई खिलौना बेचते मिलेंगे या आपकी कार को पोंछने का काम करते हुए मिलेंगे। इसलिए मैं मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि इस स्थिति को देखना होगा। जहां तक इनके संरक्षण की बात है, आपने वैसे तो बहुत से बाल गृह, बंदी गृह बनाए हैं, जहां ऐसे बच्चों को पकड़ कर रखा जाता है, लेकिन वहां की व्यवस्था भी देखनी होगी। जहां तक मेरी जानकारी है ये बाल गृह और बंदी गृह समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा संचालित होते हैं या फिर महिला कल्याण और बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित होते हैं। पहले इन्हें मिलाकर एक ही सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय था, लेकिन अब इन्हें अलग-अलग कर दिया गया है।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां इन बच्चों को भेजा जाता है उन बाल गृहों की दशा बड़ी खराब है। कई तो ऐसे बाल गृह हैं, जिनकी छतें बरसात में लीक करती हैं। जाड़े में, गर्मी में, बरसात में इन

सभी मौसमों में बच्चों को हालत बड़ी खराब होती है और उन्हें ये सब झेलना पड़ता है। उनके तन पर पूरे और साफ कपड़े तक नहीं होते। सरकार उनके लिए जो व्यवस्था करती है, कई लोग बीच में ही उसकी कटौती करते हैं, चोरी कर लेते हैं। इसी तरह उनके खाने के लिए जो व्यवस्था की जाती है, सही मायनो में तो उन्हें पौष्टिक आहार देना चाहिए, लेकिन जो पैसा यहां से भेजा जाता है, उसे बीच में ही चोरी कर लिया जाता है।

ऐसे बच्चों के लिए जो आपने टीचर्स की, अध्यापकों की व्यवस्था रखी है तो उन्हें तकनीकी शिक्षा दी जाए। बच्चे जब उन गृहों से पढ़कर निकलें, तो उन्हें विशेष दर्जा देकर, नौकरियों में स्थान दिया जाए। स्थान चाहे सरकारी नौकरियों में दें, या गैर-सरकारी में, लेकिन उन्हें स्थान इसलिए दिया जाए क्योंकि ये बच्चे निराश्रित होते हैं, बिना मां-बाप के होते हैं। इसलिए इन अनाथ बच्चों के लिए सरकार को यह व्यवस्था करनी चाहिए।

कभी-कभी देखा गया है कि बहुत सी माताएं-बहनें दत्तक पुत्रों या पुत्रियों को गोद लेते हैं, तो उसमें इतनी जांच होती है, इतनी फोर्मेलिटीज होती हैं, जिन्हें वे कर पाने में सक्षम नहीं होते। इसलिए इस प्रक्रिया को भी सरल बनाया जाना चाहिए, जिससे ये बच्चे किसी मां का प्यार-दुलार पा सकें और देश का भविष्य बन सकें। इसकी व्यवस्था भी आपको करनी चाहिए।

बाल-कल्याण समितियों का गठन हुआ है। मध्य प्रदेश, गुजरात,कर्नाटक, महाराष्ट्र की अच्छी स्थिति है लेकिन इस बारे में उत्तर प्रदेश में केवल 10 समितियां हैं और बिहार में केवल 12 समितियां हैं। यहां और बाल-कल्याण समितियों का गठन करके, बच्चों के कल्याण की व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी और हर जिले में यह व्यवस्था हो जाए तो मेरे ख्याल से बहुत उत्तम होगा।

हम बाल-विकास को विकास के एजेंडे में प्राथमिकता देते हैं और हमारे महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय ने इस विषय पर चिंता व्यक्त की है और कहा है कि हमारी सरकार बाल विकास को प्राथमिकता देगी। अगर हम दिल पर हाथ रखकर देखें तो हम कितना इस ओर ध्यान देते हैं, यह किसी से छिपा नहीं है।

आज स्कूलों में 56 प्रतिशत बच्चों को शारीरिक रूप से दंडित किया जाता है, जिससे बच्चों की मानसिकता पर बहुत बुरा असर पड़ता है, इसे भी रोकने की जरुरत है। कभी-कभी जब बहुत अति हो जाती है तो ऐसी रिपोर्टें टेलीविजन और प्रिंट-मीडिया में भी सुनाई पड़ जाती हैं। देखा गया है कि 83 प्रतिशत ऐसे बच्चे भावनात्मक रूप से पीड़ित होते हैं, लेकिन यह अच्छी बात है कि घर पर वे अपने मां-बाप का दुलार पाते हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बच्चों की जो तस्करी हो रही है, करीब 2 लाख 50 हजार करोड़ रुपये सालाना का इसका कारोबार होता है। जिसमें लीवर है, किडनी है, रैटीना, यह सब बेचने का धंधा होता है। कुछ बच्चे वेश्यावृति में भी धकेल दिये जाते हैं, इस पर विचार करने और रोक लगाने की जरुरत है, तभी

भारत का भविष्य बन सकता है। इस सिलसिले में भारत का स्थान तीसरा है। अवैध खरीद-फरोख्त, वेश्यावृति, भीख मंगवाने, अश्लील फिल्में और नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए हम इन बच्चों का इस्तेमाल करते हैं। ये बच्चे पकड़े जाते हैं लेकिन उनकी उचित व्यवस्था हम आज तक नहीं कर पाए हैं। आप किसी भी ढाबे पर जाइये, वहां आपको बाल-श्रमिक काम करते मिल जाएंगे। प्लेट धोते हुए, बर्तन साफ करते हुए, चाय पिलाते हुए आपको बच्चे मिल जाएंगे।

जितने बड़े लोग हैं, उनके घरों का सर्वेक्षण होना चाहिए, क्योंकि ये लोग इन बच्चों को ले जाकर अपने घरों का काम करवाते हैं। इनमें बच्चे ही नहीं बच्चियां भी होती हैं। अतः इन घरों का सर्वेक्षण करवाना चाहिए। अगर वहां पर बाल-मजदूर काम कर रहे हैं तो वहां रोक लगाने की आवश्यकता है।

दिल्ली में अब तक केवल 128 बच्चों को ही मुक्त कराया गया है, जोकि बहुत ही शर्मनाक बात है। जहां पर हजारों की संख्या में बच्चे लापता होते हैं वहां केवल 128 बच्चों को ही हम मुक्त करा पाये हैं, यह शर्मनाक रिपोर्ट है, इसमें आपको तेजी लानी पड़ेगी। बच्चों में अतिसार, निमोनिया, खसरा, मलेरिया आदि बीमारियां पाई जाती हैं और ये बच्चे कुपोषण का शिकार होकर मर जाते हैं। इसे भी देखने की जरुरत है। आज 40 परसेंट बच्चों की मौत इन्हीं बीमारियों से होती है, इसका आप सर्वे कराकर देखिये।

वर्ष 2009 में राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार बांटते समय प्रधान मंत्री जी ने यह कहा था कि बच्चों की देखभाल में कमी न आने पाये। आज हम कितना बजट दे रहे हैं और क्या उसका सही रूप में उपयोग हो पा रहा है या नहीं, इसका हमें मूल्यांकन करना है, इसकी हमें इंक्वायरी करनी है।

सुप्रीम कोर्ट ने बहुत गम्भीरता से पहल करते हुए कहा कि बाल कल्याण बोर्ड हर जिले में बनाया जाए। हर जिले में बाल कल्याण समितियां बनाई जाएं। जो आंकड़े हैं, वे बहुत कम हैं। आपको इस विषय में बहुत काम करने की जरूरत है।

बाल पुलिस अधिकारी की भी नियुक्ति होनी चाहिए। महिला पुलिस है, ऐसे ही बाल पुलिस अधिकारी की भी नियुक्ति होनी चाहिए। अगर कोई बच्चों से संबंधित केस आए, तो बाल पुलिस देखे। सुप्रीम कोर्ट ने आपको यह अच्छा सुझाव दिया है। जहां तक पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने की बात है, अगर आंकड़े देखें, तो बंगलादेश और नेपाल से भी भारत पीछे है। यह बहुत शर्म की बात है। आप मिड डे मील योजना में देखते होंगे कि खाने में कहीं कीड़े मिल रहे हैं, कहीं सड़ा हुआ खाना दिया जा रहा है। कहीं-कहीं बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। इस तरफ विशेष तौर पर ध्यान देने की जरूरत है। बच्चे अच्छा पौष्टिक भोजन नहीं करेंगे, तो उनमें विटामिन, प्रोटीन की कमी हो जाएगी और वे बच्चे कभी तन्दुरुस्त नहीं रह सकेंगे तथा उनकी बुद्धि तेज नहीं होगी। वे कुपोषण का शिकार हो कर अंत में मर जाते हैं। आज बच्चों को पूर्ण रूप से पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने की जरूरत है। दुनिया में 51 देशों की सूची में भारत का 22वां नम्बर है। अब

तक 35 हजार बच्चों को केवल अपने देश में आश्रय मिला है। ये आंकड़े भी बहुत कम है, इस तरफ भी सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। दिल्ली की वर्ष 2008-09 की रिपोर्ट है। 2210 बच्चे इस साल दिल्ली से लापता हैं। हर रोज का आंकड़ा देखें तो केवल दिल्ली से 17 बच्चे रोज लापता हो रहे हैं। दुनिया में हर साल 72 लाख बच्चे गुलामी के शिकार होते हैं। मैं दुनिया की बात तो नहीं कहता, लेकिन भारत में इस तरफ विशेष ध्यान देने की जरूरत है। मैंने यह मामला पहले भी संसद में उठाया था कि जो बच्चे लापता हो रहे हैं, वे कहां जा रहे हैं? उन्हें कौन लापता कर रहा है? क्या कोई ऐसा गिरोह तो सक्रिय नहीं है, जो उन्हें लापता करके गलत काम करवा रहा हो? आज तक हम ठोस नतीजे पर नहीं पहुंचे कि उस गिरोह को पकड़ कर उस गिरोह का सफाया कर सकें। आज भी बच्चों के गायब होने की हमेशा रिपोर्ट आती रहती है। भारतवर्ष में प्रतिवर्ष 45000 बच्चे गायब होते हैं, जिनसे मजदूरी करवायी जाती है और सेक्स वर्कर बना दिया जाता है। उनके अंगों की तस्करी की जाती है। इस ओर भी हमें विशेष ध्यान देने की जरूरत है। केन्द्र सरकार कहती है कि देश में 1.2 करोड़ बाल मजदूर हैं। जबकि 12 लाख बच्चे खतरनाक उद्योगों में काम कर रहे हैं। आज हम उनको वहां से मुक्त नहीं करवा पाए हैं। यह बड़े अफसोस और शर्म की बात है। जहां तक देखा जाए, हुक्म देव बाबू भारत के कुल बजट की बात कर रहे थे तो बजट मात्र तीन प्रतिशत इन बच्चों की शिक्षा पर हम खर्च कर रहे हैं और एक प्रतिशत उनके स्वास्थ्य पर खर्च कर रहे हैं। यह बहुत कम है। भारत वर्ष की जनसंख्या 1 अरब 18 करोड़ के करीब है। देश के केवल 17 जिलों में किशोर न्यायालय गठित किए गए हैं। बाल कल्याण समितियां केवल दस जिलों में है। यह बहुत शर्मनाक रिपोर्ट है। मैं देख रहा था कि 66 जिलों में रिपोर्ट तैयार की जा रही है, 68 जिलों में बाल कल्याण समितियों की और 66 जिलों में किशोर न्यायालय गठित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। हम 21वीं सदी की बात कर रहे हैं और अभी इस संबंध में केवल प्रयास किए जा रहे हैं। यह सोचने की बात है। बच्चों को उनका हक देने में हम हमेशा विफल रहे हैं। हमने बजट की व्यवस्था तो की है, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 1 करोड़ 20 लाख बाल श्रमिक हैं, जबकि ऐसा नहीं है। 6 करोड़ बच्चों से काम करवाया जा रहा है। आज हमें संकल्प लेना होगा कि बच्चे चरित्रवान और जिम्मेदार बनें। इसके लिए माता-पिता और सरकार सभी जिम्मेदार हैं, इसमें हमें प्रयास करना होगा। इन बातों के साथ मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं और सरकार से निवेदन करता हूं कि इन तमाम बातों पर, जो यहां रखी गई हैं, उन पर विशेष ध्यान दिया जाए। धन्यवाद।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय (भदोही): सभापति महोदया, बालक कल्याण विधेयक 2009 पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।

सभापति महोदया : धन्यवाद। आगे के लिए आप कंटिन्यू करेंगे। इसीलिए आपको खड़ा किया है।

The House stands adjourned to meet again on Monday, the 16th August, 2010 at 11 a.m.

18.00 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, August 16, 2010/Sravana 25, 1932 (Saka).